कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 62 अंक : 10 पृष्ठ : 52 अगस्त 2016 मूल्यः ₹22

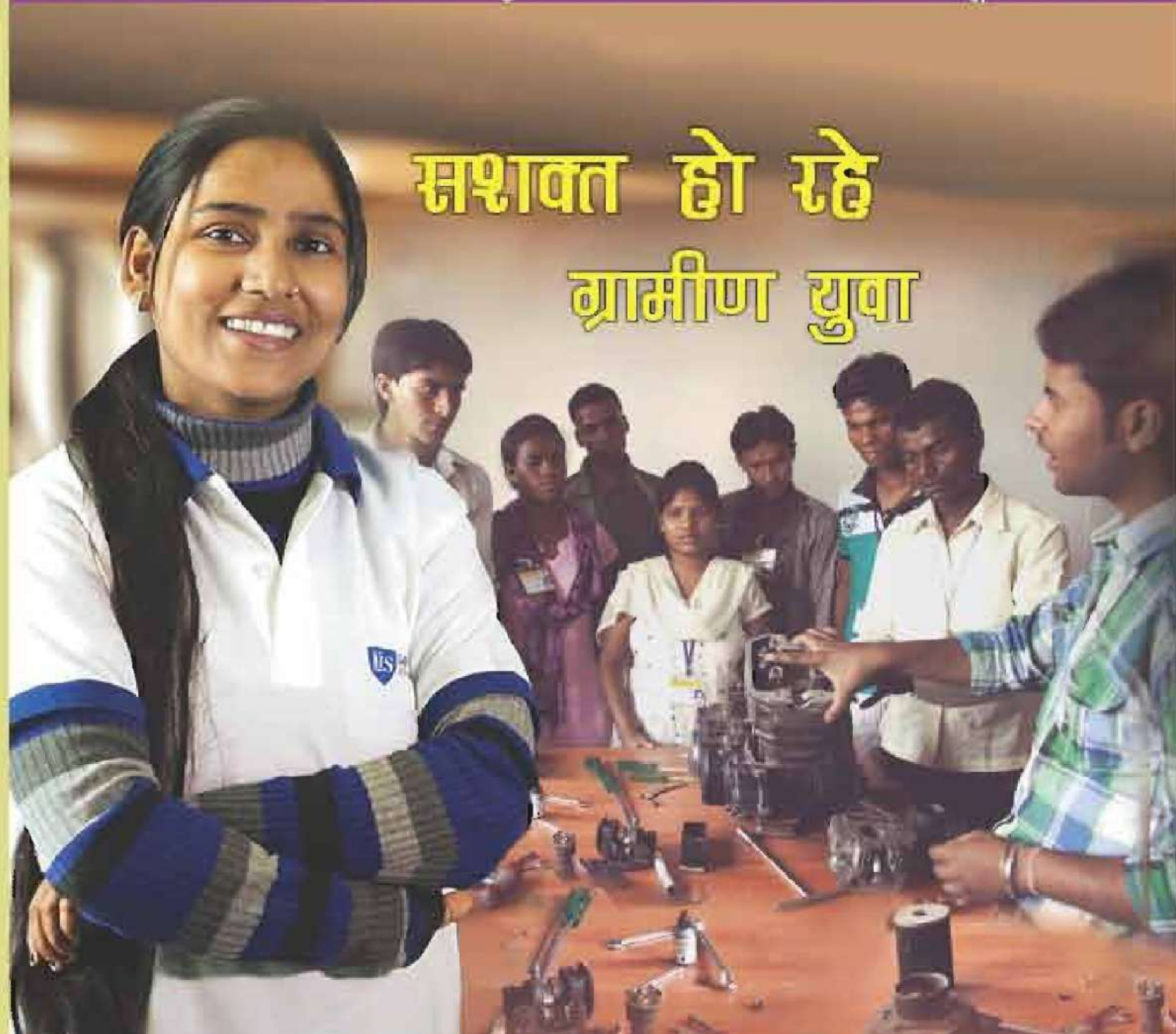

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 62★ मासिक अंक : 10★ पृष्ठ : 52 ★आषाढ़–भाद्रपद 1938★अगस्त 2016

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल
संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 0 03
दूरभाष : 011–24365925
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक

दूरभाष : 011–24367453
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
आशा सक्सेना
सज्जा
आशीष कण्ठवाल

मूल्य एक प्रति	:	22 रुपये
विशेषांक	:	30 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	230 रुपये
द्विवार्षिक	:	430 रुपये
त्रिवार्षिक	:	610 रुपये

इस अंक में

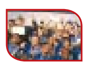 सशक्त युवा से ही होगा सशक्त भारत — अरुण तिवारी — 5

ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता की संभावनाएं — डॉ. रहीस सिंह — 9

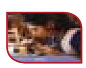 मील के पत्थर गढ़ता कौशल विकास का सफर — भुवन भास्कर — 12

युवाओं को नई दिशा देता स्किल इंडिया — ललन कुमार महतो — 16

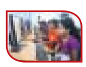 ग्रामीण युवा और शिक्षा — पीयूष कुमार दुबे — 21

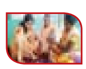 स्वस्थ युवा से ही बनेगी मजबूत नींव — श्रवण शुक्ल — 25

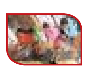 युवाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए योजनाएं — संगीता यादव — 29

स्वरोजगार से दूर होगी बेरोजगारी — गौरव कुमार — 34

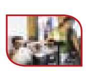 युवाओं के लिए वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा — नीलेश कुमार तिवारी — 38

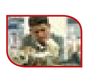 युवाओं के समग्र विकास का लक्ष्य — शुभम वर्मा — 41

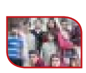 सशक्त होती ग्रामीण युवा महिलाएं — प्रमोद जोशी — 45

स्वच्छता सैनानी

ऑपरेशन मलयुद्ध-खुले में शौच मुक्त हरदा का सपना हुआ साकार — 49

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011–24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए उत्तरदायी नहीं है।

संपादकीय

जब हम 'सशक्त' युवा की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य एक स्वस्थ, शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वावलंबी युवा से होता है। किसी भी देश, समाज तथा परिवार के लिए उसका युवा वर्ग सबसे बड़ी पूंजी होता है चूंकि देश का वर्तमान और भविष्य उसी के कंधों पर टिका होता है। एक स्वस्थ युवा ऊर्जा और शक्ति से ओत–प्रोत होता है और अगर उस ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित किया जाए तो वह देश और समाज को नई ऊंचाईयों पर ले जा सकता है।

जनगणना 2011 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 65 प्रतिशत से अधिक कार्यशील जनसंख्या (15–59 वर्ष) और करीब 22 प्रतिशत युवा (15–24 वर्ष) हैं। इस तरह से भारत युवाओं का देश है। युवा ही आगे चलकर देश को चलाएंगे बशर्ते वे स्वस्थ और सशक्त हो। आंकड़ों से जाहिर है कि भारत में बड़ी तादाद में युवा श्रम उपलब्ध है। परंतु केवल युवा आबादी किसी भी देश की तरक्की निर्धारित नहीं कर सकती। इन युवाओं को शिक्षित करना, कुशलता से लैस करना, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना या स्वरोजगार के अवसर देना, उनका उचित मार्गदर्शन करना कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे सरकार को निपटना है। साथ ही, इन युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है।

देश में कौशल विकास की जरूरत और चुनौतियों को देखते हुए उनसे निपटने के लिए सरकार ने 31 जुलाई, 2014 को कौशल विकास और उद्यमिता विभाग को अधिसूचित किया जिसे 9 नवम्बर, 2014 को पूर्ण मंत्रालय का दर्जा मिल गया। इसके अलावा प्रशिक्षण और उद्यमिता कार्यक्षेत्र मसलन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) एवं उद्यमिता प्रशिक्षण योजनाओं के पूरे नेटवर्क को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया। इन बदलावों के चलते सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सहयोग से कौशल विकास वातावरण को विकसित करने के रास्ते खुले हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार ग्रामीण युवा की मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति संजीदा है। ग्रामीण विकास और युवा वर्ग को लेकर सरकार ने एक समग्र और बहुआयामी सोच का परिचय दिया है। देश में युवाओं की एक बड़ी फौज मौजूद है; उसे अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो स्थिति बेहद विस्फोटक हो सकती है। सरकार ने स्थिति की गंभीरता को न केवल समझा है बल्कि तत्परता से इस दिशा में कदम भी बढ़ाए हैं। सरकार ने कौशल और उद्यमिता विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। सरकार का प्रयास एक तरफ तो ग्रामीण युवा वर्ग में कौशल विकास कर उसे आत्मनिर्भर बनाने का है तो दूसरी तरफ गांवों में आधारभूत सुविधाएं विकसित कर उन्हें आगे बढ़ने और स्वरोजगार के अवसर गांव में ही उपलब्ध कराने का है। इन कदमों से गांवों से युवा वर्ग का पलायन रोकने में मदद मिली है और ग्रामीण युवा शक्ति का उपयोग गांव में ही उत्पादन कार्यों में किया जाना संभव हो पा रहा है।

ग्रामीण भारत और खासकर ग्रामीण युवा को सशक्त बनाने में वर्तमान सरकार का अब तक का अहम योगदान यह भी है कि विकास मॉडल में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत को अनुपयोगी मान लेने वाली सोच में बदलाव आया है। बीते सालों में यह धारणा गहराती चली गई थी कि कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पादन में कोई विशेष योगदान नहीं दे सकता। धीरे–धीरे ग्रामीण भारत से जुड़े मुद्दे भी मुख्यधारा विमर्श से गायब होते जा रहे थे। वर्तमान सरकार ने अपने प्रयासों से इस धारणा को तोड़ दिया है। जैसे–जैसे ग्रामीण युवा आबादी का देश के विनिर्माण क्षेत्र में योगदान बढ़ेगा, उसका सामाजिक और आर्थिक उत्थान स्वयं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

युवाओं का स्वास्थ्य भी बेहद महत्वपूर्ण है। आज की युवा पीढ़ी बेहद तनावग्रस्त जीवन जी रही है। परिणामस्वरूप कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से ग्रस्त है। ऐसे में योग समय की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों और प्रेरणा से संयुक्त राष्ट्र द्वारा पिछले वर्ष 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' घोषित किया गया। परिणामस्वरूप आज दुनिया भर के लोग योग को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बना रहे हैं। भारत में भी युवावर्ग 'योग' की तरफ आकर्षित हुआ है और धीरे–धीरे इसे अपना रहा है। 'योग' ने युवाओं के लिए एक बेहतर कैरियर के रूप में भी संभावनाएं बढ़ाई हैं। आज देश–विदेश में अनुभवी योग प्रशिक्षकों तथा योग–चिकित्सकों की मांग बढ़ी है।

संक्षेप में, सरकार ने ग्रामीण युवाओं के समग्र विकास के लिए उनकी शिक्षा, रोजगार समस्याओं तथा खेती इत्यादि सभी पहलुओं पर विचार करते हुए योजनाओं का निर्माण किया है। सरकार ने शहरी, ग्रामीण और आदिवासी सभी युवाओं की चिंता इन योजनाओं में की है। जल संरक्षण तथा मृदा स्वास्थ्य जैसी योजनाएं और मनरेगा में भी तालाब, बांध आदि बनाने के कार्यों को समाहित करके अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है। अब बस जरूरत है तो इन योजनाओं को असल धरातल पर उतारने की जिससे सशक्त और समर्थ होकर ग्रामीण युवा भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें।

सशक्त युवा से ही होगा सशक्त भारत

—अरुण तिवारी

जैसे गांवों को शहर में तब्दील कर देना अथवा उसे शहरी सुविधाओं से भर देना, गांवों का असल सशक्तीकरण नहीं है, वैसे ही पढ़-लिखकर गांव से शहर पलायन कर जाना ग्रामीण युवा का सशक्तीकरण नहीं है। युवा सशक्तीकरण का असल मतलब है, अपने आसपास के परिवेश को विकसित करने में समर्थ व संकल्पित हो पाना। ऐसा करने के लिए ग्रामीण युवाओं को ऐसे ज्ञान की चाहत को प्राथमिकता बनाना होगा, जो उन्हें खेतीबाड़ी, मवेशी और स्थानीय संसाधन आधारित कारीगरी व विपणन का सर्वश्रेष्ठ व स्वावलंबी नमूना प्रस्तुत करने में सक्षम बनाए। ऐसा कुशल ग्राम अर्थशास्त्री बनना होगा कि गांव को आर्थिक उत्थान के लिए नगर की ओर न ताकना पड़े।

पूर्व राष्ट्रपति स्व. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने 54 करोड़ की युवा आबादी को भारत की सभी संपदाओं में सबसे ऊपर बताया था। उन्होने कहा था कि यदि समाज के इस तबके को सशक्त बनाया जाए, तो मुझे विश्वास है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य वर्ष 2020 से पहले भी हासिल किया जा सकता है। स्व. डॉ. कलाम के इस विश्वास पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध में पराजय और हिरोशिमा और नागासाकी में गिरे परमाणु बम से हुई बर्बादी के बाद जापान शक्तिहीन भी था और पंगु भी। उसके पास न भारत जैसा विशाल युवा संख्या बल था और न प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रीय संकल्प और युवाओं की ताकत, मेहनत और प्रतिभा के बल पर पुनः दुनिया को एक सशक्त आर्थिक ताकत बनकर दिखाया। उसने अपनी पराजय के मात्र 10 साल के भीतर बुलेट ट्रेन बना ली और 29वें साल में इस लायक कर लिया कि ओलंपिक जैसे महत्वाकांक्षी आयोजन को अंजाम दे सके। भारत का युवा भी यह कर सकता है।

भारतीय युवा तय कर ले, तो भारत भी एक ऐसा राष्ट्र बन सकता है, जिसकी तरक्की से दुनिया रश्क करे। हमारे पास

अधिक प्राकृतिक संसाधन हैं। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में अधिक युवा जनसंख्या बल है और हाथ में अधिक वर्ष भी। वर्ष 2030 तक भारत में युवा जनसंख्या 65 करोड़ हो जाएगी। युवा आबादी वृद्धि का यह क्रम वर्ष 2050 तक जारी रहेगा। आगामी साढ़े 34 वर्षों में युवा चाहे तो भारत में युगांतकारी परिवर्तन का पर्याय बन सकता है, लेकिन इसकी सबसे पहली और बुनियादी शर्त है कि पहले वे स्वयं सशक्त हों।

कितना सशक्त भारतीय युवा?

अध्ययन बताते हैं कि भारतीय युवाओं में नशे की लत बढ़ी है; नकारात्मक और हिंसात्मक प्रवृत्तियां बढ़ी हैं; अवसाद बढ़ा है। अवसाद के कारण युवा आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका लांसेट का सर्वे है कि नशा और आत्महत्याएं,भारत में युवाओं की मौत के सबसे तेजी से बढ़ते कारण हैं। आत्महत्या के 40 प्रतिशत मामले दक्षिण भारत के चार बड़े राज्यों के हैं। सर्वे के दौरान आत्महत्या करने वाले युवाओं में ग्रामीण, गरीब अथवा अभावग्रस्तों की तुलना में शिक्षित व नौकरीपेशा तनावग्रस्त व अवसादग्रस्त युवाओं की संख्या ज्यादा पाई गई। 15 से 29 वर्ग की उम्र अपने लिए सपने संजोने व ऊर्जा व उत्साह से अपने सपने की पूर्ति में लग जाने की होती है। यदि इस उम्र में अवसाद और तनाव से भर जाने के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो यह सशक्त नहीं, बल्कि अशक्त होने के लक्षण हैं। अवसाद के कारणों को गंभीरता से लेना होगा।

रोज़गार, युवा सशक्तीकरण की बुनियादी जरूरत है; जबकि भारत में खासकर युवाओं की बढ़ती बेरोज़गारी चिंतित करने वाली है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच भारत की 15 से 24 वर्ष की उम्र के युवाओं की आबादी दुगुनी हुई, लेकिन बेरोजगारी दर बढ़कर 17.6 प्रतिशत पहुंची। वर्ष 2001 में जहां 3.35 करोड़ युवा बेरोज़गार थे, वहीं 2011 में यह तादाद 4.69 करोड पहुंच गई। भारत की बेरोज़गारी दर, यूरोप को छोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारे देश मे 35. 5 प्रतिशत युवा स्नातक बेरोज़गार हैं। हर साल पैदा होने वाले चार लाख इंजीनियरिंग डिग्रीधारकों में से दो लाख बेरोज़गार रह जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई है। दिसंबर, 2015 के जारी आंकड़ों के अनुसार, कुल भारतीय बेरोजगारों में 25 प्रतिशत 20 से 24 वर्ष उम्र के हैं। 25 से 29 वर्ष उम्र के बेरोजगार 17 प्रतिशत हैं। इस तरह 20 साल से ज्यादा आयु वाले 14.30 करोड़ युवा आज नौकरी की तलाश में हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, उक्त आंकड़ों में आधी संख्या महिलाओं की है। बेरोजगारों में 10वीं–12वीं पास युवाओं की संख्या 2.70 करोड़ हैं, जबकि तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले 16 प्रतिशत युवा, बेरोजगारों की कतार में शामिल हैं। ग्रामीण युवाओं की बड़ी संख्या असमंजस की स्थिति में है कि किधर जाएं। युवाओं में कुपोषण के आंकड़े भी कम डराने वाले नहीं हैं।

बुजुर्ग मां–बाप की दायित्वपूर्ति से दूर भागता युवा; अपनी मातृभाषा और पैतृक ग्रामीण निवास से पलायन करता युवा; येनकेन प्रकारेण काम निकालने को आदर्श सिद्धांत और 'मुझे क्या मतलब', को अपना आदर्श वाक्य मानता युवा; सामाजिक मूल्यों को स्वयं पर बोझ मानने वाला युवा; 'इजी मनी' को सर्वश्रेष्ठ धन और 'इजी वे' को परमपथ मानता युवा। नशा, नंगापन, मुक्त संबंध, कैरियर और पैकेज को ही स्टेटस सिंबल मानने वाले युवाओं की संख्या भारत में भी बढ़ रही है। समाजशास्त्री कह रहे हैं कि इस उम्र में निडरता है, लेकिन उससे पैदा होने वाला अनुशासन ग़ायब है। वे विवाह पूर्व यौन संबंध गलत मानने से इंकार कर रहे हैं। वे अपना जीवनसाथी तय करने में अपने अभिभावकों की सहमति जरूरी नहीं समझ रहे। दिल्ली पुलिस ने गत् कुछ वर्षों में हुए ज्यादातर अपराधों का कारण प्रेम व अवैध संबंध बताया। समाजशास्त्री, इसे समाज का आईना बता रहे हैं। क्या हम इसे सशक्त युवा भारत की तस्वीर कहें ? नहीं, किंतु संतोष की बात है तो सिर्फ यह कि युवा भारत की कुल जमा तस्वीर यही नहीं है, जो ऊपर लिखे आंकड़ों और समाजशास्त्रीय आकलनों ने पेश की है। खलनायकों के पोस्टर वाली इस फिल्म में नायकों को छापा ही नहीं गया।

उजला पक्ष

युवा भारत की एक आधुनिक तस्वीर यह भी है कि आज का भारतीय युवा जानकारियों का अनुपम भण्डार है। अपने विचार को व्यवहार में उतारने के लिए सिर्फ पांच घंटे सोकर काम करने वाले शहरी नौजवानों की खेप की खेप भारत में है। इसी नाते आज भारतीय युवा मानव संसाधन और प्रवासी युवा उद्यमियों की दुनिया भर में साख है। तकनीक में भारतीय युवाओं के हस्तक्षेप ने दुनिया के बीच भारतीयों की स्वीकार्यता बढ़ा दी है। आंकड़ा है कि वर्ष 2020 तक दुनिया के हर 10 स्नात्तक में से चार भारत और चीन में होंगे। देश के शिक्षा बोर्डों मे ज्यादा प्रतिशत पाने वालों की सूची में लड़कियां, अब लड़कों से पीछे नहीं हैं। उड़ीसा के सुदूर गांव की आदिवासी लड़की भी अब महानगर में अकेली रहकर पढ़ने का हौंसला जुटा रही है। दिल्ली की झोपड़पट्टी में रहकर बमुश्किल रोटी का इंतजाम कर सकने वाली बेवा मां के नन्हे बेटे के मात्र 25 साल की उम्र में जापान की कंपनी का महाप्रबंधक बनने को अब कोई अजूबा नहीं कहता। निर्णय अब सिर्फ ऊंची कही जाने वाली जातियों के हाथ में नहीं है। कम से कम शहर व कस्बों में अब कोई अछूत नहीं है। जिसकी हैसियत है, उसकी जाति नजरअंदाज की जाती है। गांवों में भी विवाह

अब तीन–तेरह की पारंपरिक श्रेणी, दहेज या परिवार की हैसियत से ज्यादा, लड़का–लड़की की शिक्षा और सुनिश्चित भविष्य संभावनाओं पर तय होते हैं।

भारत की जनसंख्या दर घटी है। दहेज हत्या में कमी आई हैं। हमारे गांवों के खेतिहर मज़दूर अब खेत मालिक की शर्तों पर काम करने को मजबूर नहीं हैं। बंधुआ मज़दूरी का दाग मिट रहा है। ये सकारात्मक बदलाव हैं, जिन्हे सशक्त युवा मन ही अंजाम दे रहे हैं। झारखण्ड की बंजर–टांड धरती पर खेती संग सामूहिक बागवानी की हासिल होती मंजिल बताती है कि युवा सशक्तीकरण के शासकीय प्रयास भी रंग ला रहे हैं। हमें युवा भारत के इन्हीं सशक्त चित्रों को आगे बढ़ाना है, किंतु यह हो कैसे?

शासन से अपेक्षा

इसके लिए उम्रदराजों को जिम्मेदारियां युवा कंधों पर डालनी होंगी; वे डालें। दलित–पिछड़े युवा व युवतियों को अपने सशक्तीकरण के लिए नौकरियों में आरक्षण से ज्यादा, अच्छी शिक्षा व चुनौतियों तक पहुंच की दरकार है। शासन यह पहुंच सुनिश्चित करे। सरकारों को रोजगार, निवेश, उद्यम, ग्रामोद्योग, लघु सूक्ष्म उद्योग, ग्रामीण विकास, कृषि, खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी नीति व व्यवस्थाओं को युवाओं के लिए और अधिक खोलना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रशिक्षित युवाओं की वैश्विक जरूरत को देखते हुए मुद्रा बैंक, कौशल विकास मिशन, डिजीटल इंडिया, रूरल डिजीटल मिशन आदि के जरिए दूरदर्शी आगाज़ किया है। 1500 नई आई. टी. आई., 5,000 कौशल विकास केन्द्र, 1120 करोड़ की परिव्यय से 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षण–इस आगाज़ को युवा वर्ग द्वारा सकारात्मक अंदाज़ में लेते हुए और गति देने की ज़रूरत जरूर है, लेकिन शहरी रोजगार में निरंतर आती कमी की चेतावनी को भी ध्यान में रखना होगा। 'क्रिसिल' की रिपोर्ट के अनुसार चेतावनी यह है कि अगले सात साल में एक करोड, 20 लाख लोग काम के अभाव में शहरों से वापस गांव की ओर कृषि कार्यों में लौटने को मजबूर होंगे। कल–कारखानों की बंदी, छंटनी, ठेकेदारी प्रथा का बोलबाला होने से सरकारी व निजी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार में गिरावट आई है। ऐसे में कृषि और गांवों की मजबूती ही उस युवा आबादी को मज़बूती दे सकेगी। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह अमीर घरानों को टैक्स में छूट का आंकड़ा घटाकर, गुणकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, ग्रामीण विकास और कारीगरी आधारित लघु–सूक्ष्म ग्रामोद्योगों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाए। भारत की युवा आबादी में एक बड़ा प्रतिशत किशोरियां हैं। उनकी अपनी विशेष जरूरतें, चुनौतियां और आकांक्षाए हैं। उनके अनुकूल शासकीय निवेश व प्रशासनिक नीयत आवश्यक है।

ग्राम पंचायतें भी ग्रामीण युवा सशक्तीकरण की मजबूत माध्यम बन सकती हैं। इसके लिए ग्रामीण युवा को पंचायती राज संस्थानों के असल मकसद और अहमियत से परिचित करना होगा। राष्ट्रीय नेहरु युवा केन्द्र संगठन पर विशेषकर ग्रामीण युवाओं को जागरूक और सशक्त करने की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय नेहरु युवा केन्द्र संगठन की हालत यह है कि युवा समन्वयकों के आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं। एक ही युवा समन्वयक कई ज़िलों की जिम्मेदारियां संभाल रहा है। युवा क्लबों की संख्या कागज़ पर कुछ और है और हक़ीक़त में कुछ और। कार्यक्रम भी सरकारी योजनाओं के प्रचार पोस्टर मात्र बनकर रह गए हैं। राष्ट्रीय नेहरु युवा केन्द्र संगठन की नीति–रीति, व्यवस्था, बजट और कार्यक्रमों में आज ऐसे व्यापक बदलावों की जरूरत है, ताकि यह महज् नाम का युवा संगठन न होकर, युवा सशक्तीकरण आंदोलन का एक सशक्त भारतीय प्रतीक बन जाए। नागरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय कैडिट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना. और स्काउट एण्ड गाइड को भी नवीन चुनौतियों और प्रेरणाओं का मैदान बनाकर युवाओं में सशक्तीकरण की ऊर्जा पैदा की जा सकती है। केन्द्र सरकार ऐसा करे। सिनेमा के पर्दे, खेल के मैदान और राजनीति के नायक भारतीय युवाओं को ज्यादा आकर्षित करते हैं। इन क्षेत्रों में मौजूद सकारात्मक तथ्य और शुचितापूर्ण प्रेरकों के प्रसार को औजार बनाकर युवाओं में प्रेरणा भरना संभव है। किंतु युवा अनुकूल इन सभी कवायदों का लाभ तभी मिलेगा, जब युवा अपने सशक्तीकरण की भाषा, परिभाषा, आवश्यकता और संभावनाओं से बखूबी परिचित और प्रेरित हो।

युवा से अपेक्षा

युवा संकल्प करता है, तो फिर विकल्प नहीं ढूंढता। दुनिया में भारतीय ज्ञान और अध्यात्म की कीर्ति लहराने वाले स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के मंदिर जाने से ज्यादा जरूरी फुटबाल खेलना बताया। वह मानते थे कि युवाओं के स्नायु फौलादी होने चाहिए। मोहनदास कर्मचंद गांधी ने सत्य, अहिंसा तथा आत्मशोधन को अपनी शक्ति बनाया और दुनिया में नाम कमाया। आई.ए.एस की नौकरी छोड़ने वाले बंकर रॉय का तिलोनिया स्थित बेयरफुट कॉलेज, जलपुरुष राजेन्द्र सिंह के साथ–साथ अलवर का उत्थान चित्र, हिवरे बाज़ार के पोपटराव पवार की सरपंची की विख्यात दास्तान, भारत की पहली एम.बी.ए. डिग्रीधारी महिला सरपंच होने के नाते चर्चा में आई राजस्थान के ज़िला टोंक की छवि रजावत.... ऐसे जाने कितने युवा प्रयास हैं, जो बताते हैं कि यदि हम अपनी वृत्ति और कौशल के अनुकूल पथ चुनें, तो न सिर्फ स्वयं सशक्त होंगे, बल्कि अन्य को सशक्त करने में भी अहम् भूमिका निभा सकेंगे। किंतु इसके लिए युवा

को सबसे पहले अपनी मानसिकता व प्राथमिकता बदलनी होगी।

आत्मविश्वास बुनियादी शर्त

खासकर ग्रामीण युवा को शहर में नौकर बनने की बजाय, गांव में अपने काम का खुद मालिक अर्थात अपने भविष्य का खुद नियंता बनने का सपना देखना होगा। निजी उत्थान को गांव के उत्थान से जोड़ना होगा। आत्मविश्वास, स्वावलंबन और संकल्प.... युवा सशक्तीकरण के सबसे अहम् पैमाने हैं। इन पैमानों को हासिल करने के लिए युवा क्या करे? सबसे पहले वह अपनी भाषा, पहनावा, खान–पान, कौशल, परिवेश, सपनों व स्वयं की शक्ति पर विश्वास करे। सपना और भविष्य तय करने से पहले अपनी स्वभाविक वृति और अपने स्वाभाविक कौशल की पहचान करे।

वृत्ति व कौशल की पहचान जरूरी

हमारी स्वाभाविक वृत्ति वह होती है, जिस काम को करते हुए हम थकते नहीं। हमारा प्रशिक्षित अथवा कौशल वह होता है, जिसे हम बिना किसी से प्रशिक्षित हुए इस स्तर तक हासिल कर लेते हैं कि उसे दूसरे सराहते हैं। दुनिया कुछ भी कहे; लाभ–हानि का गणित लगाने वाले कुछ भी सलाह दें; अपनी वृत्ति और कौशल को पहचानकर भविष्य का मार्ग तय करने व उस पर अडिग रहने वाला युवा कभी अशक्त रह ही नहीं सकता। आठ स्थान पर टेढ़े शरीर वाले अष्टावक्र ने अपनी मानसिक शक्ति को पहचाना और अपने से अधिक उम्र के नामी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर ख्याति पाई। शारीरिक रूप से अशक्त होते हुए भी वह सशक्तों की श्रेणी में शुमार हुआ।

नायक बनने में सार्थकता

युवा, बंधनों और बने–बनाए रास्तों पर चलने की बाध्यता नहीं मानता। वह नए रास्ते बनाता है। इन नए रास्तों को ही बदलाव कहते हैं। इसीलिए युवा को 'बदलाव का वाहक' कहा गया है। उत्साहवर्धक परिवर्तन हो अथवा परिवर्तनकारी उत्साह; ये दोनो ही युवा मन के संकेत हैं।

तन की भिन्न अवस्थाएं, मन की अवस्था को प्रभावित चाहे जो करें, लेकिन सच कहे तो यौवन, तन से ज्यादा, मन की ही अवस्था है। याद कीजिए कि जीसस, मोहम्मद, सुकरात, अरस्तू, प्लेटो, टालस्टाय, सिकंदर, नेपोलियन, लेनिन, कृष्ण, एकलव्य, प्रह्लाद, अष्ट्रावक्र, सावित्री, गौतम बुद्ध, गुरु नानक से लेकर गांधी तक....आदि कितने ही नाम हैं, जिन्होंने अलग–अलग वय का होते हुए भी अपने–अपने समय में समाज की लीक पर सवाल उठाए और दुनिया बदली। पराक्रम किया, दुख झेले, जहर पिया, लेकिन अपने परिवेश को जीवंतता दी और दुनिया बदली। आप भी बदलें। यही असल सशक्तीकरण है।

युवा वही जो बदले दुनिया

युवा ही नहीं, किसी भी संज्ञा व सर्वनाम के मौलिक गुणों को उभारकर शक्ति दे देना ही उसका सशक्तीकरण होता है। जैसे गांवों को शहर में तब्दील कर देना अथवा उसे शहरी सुविधाओं से भर देना, गांवों का असल सशक्तीकरण नहीं है, वैसे ही पढ़–लिखकर गांव से शहर पलायन कर जाना ग्रामीण युवा का सशक्तीकरण नहीं है। युवा सशक्तीकरण का असल मतलब है, अपने आसपास के परिवेश का विकसित करने में समर्थ व संकल्पित हो पाना। ऐसा करने के लिए ग्रामीण युवाओं को ऐसे ज्ञान की चाहत को प्राथमिकता बनाना होगा, जो उन्हें खेतीबाड़ी, मवेशी और स्थानीय संसाधन आधारित कारीगरी व विपणन का सर्वश्रेष्ठ व स्वावलंबी नमूना प्रस्तुत करने में सक्षम बनाए। ऐसा कुशल ग्राम अर्थशास्त्री बनना होगा कि गांव को आर्थिक उत्थान के लिए नगर की ओर ताकना न पड़े।

गांवों में प्राइवेट उच्चतर माध्यमिक स्कूलों व स्नातकोत्तर कॉलेजों की बाढ़ आ गई है। सामुदायिक व सहकारी आधार पर संचालित कृषि, मवेशी, जल, भूमि, आयुष, पारंपरिक कौशल उन्नयन तथा समग्र ग्राम प्रबंधन सिखाने वाली अच्छी तकनीकी व प्रबंधन पाठशालाओं का भारतीय गांवों में अभी भी अभाव है। बस, कुछ थोड़े से संजीदा युवा साथी एक बार यह तय कर लें, तो वे इस अभाव से स्वयं को मुक्त कर पूरे परिवेश की सक्षमता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कुश्ती, दौड़, निशानेबाजी, तैराकी जैसे ग्राम अनुकूल खेलों की नर्सरी बनाकर भी हमारे ग्रामीण युवा–युवतियां ग्रामोदय से भारतोदय की सक्षमता हासिल कर सकते हैं। आत्म सशक्तीकरण के लिए ग्रामीण युवाओं को ग्रामसभा की ऐसी उत्प्रेरक शक्ति बनना पड़ेगा, जो खुद सक्रिय हो और पंचायती राज संस्थान की त्रिस्तरीय इकाइयों को सतत् सक्रिय, कर्मठ तथा ईमानदार बनाए रखने में सक्षम हो। ग्राम विकास योजना धनराशि गांव–गांव पहुंचने लगी है। प्रत्येक ग्रामीण युवा चाहे तो ग्रामसभा सदस्य की हैसियत से उचित ग्राम योजना निर्माण, मंजूरी तथा क्रियान्वयन में एक नायक की भूमिका निभाकर अपना युवा होना सार्थक कर सकता है। शहर हो या गांव, युवा सशक्तीकरण का मैदान कुछ और भी हो सकता है, लेकिन एक बात तय है कि भारतीय युवा के सशक्तीकरण में ही भारत का सशक्तीकरण निहित है। यह वर्तमान की भी मांग है और युवा भारत के भविष्य की भी। आइए, आग़ाज करें।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। कई प्रमुख समाचार–पत्रों में जुड़े रहे हैं। 13 से अधिक पुस्तकों का संपादन। वर्तमान में सामाजिक सरोकार के विषयों पानी–प्रकृति, ग्रामीण विकास एवं लोकतांत्रिक मसलों पर विविध पत्र–पत्रिकाओं में नियमित लेखन।)

ई–मेल : amethiarun@gmail.com

ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता की संभावनाएं

—डॉ. रहीस सिंह

भारतीय युवाओं में जिस मनोविज्ञान का निर्माण हुआ है अथवा किया गया है, उसके केन्द्र में नौकरी है, उद्यम नहीं। जबकि वास्तविक राह उद्यमिता के विकास से ही होकर जाती है। इसलिए आज की जरूरत यह है कि हमारा युवा वर्ग एक सफल उद्यमी बनने का मनोविज्ञान विकसित करे या स्वप्न देखे ताकि वह स्वयं रोजगार तलाश न करे बल्कि रोजगार पैदा करे। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ऐसी उद्यमिता संभावनाएं ग्रामीण युवाओं में विद्यमान हैं? क्या ग्रामीण युवा कुशलता और तकनीक के स्तर पर शहरी युवाओं से प्रतियोगिता कर पाएगा?

सर हेनरी मेनियो मैकॉफ ने ग्राम समुदाय को 'लघु गणतंत्र' के समान बताते हुए कहा है कि यह बाह्य संबंधों से बिल्कुल पृथक और विभिन्न राजनीतिक फेरबदल के बावजूद अपरिवर्तित रहा। उनका यह भी कहना है कि ग्रामीण समुदाय के लोगों का जीवन एक–दूसरे पर निर्भर था। वास्तव में भारतीय ग्राम समुदाय एक 'लघु गणतंत्र' (टिनी रिपब्लिक) की भांति ही था क्योंकि यह उन सभी शर्तों को पूरा कर रहा था जो एक गणतंत्र के लिए अनिवार्य मानी जाती हैं, जैसे–आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, प्रशासन और न्याय। अगर उस समय के गांवों को वर्तमान गणतंत्रीय अवधारणा के सापेक्ष देखें तो यह निष्कर्ष निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि उस समय के गांव उत्पादन, उद्यमिता और प्रशासन के मामले में आत्मनिर्भर थे। यही वजह रही होगी कि उस समय गांवों की आबादी नगरों की बजाए गांवों में ही रोजगार पैदा करने में सक्षम थी। उस समय आज जैसी ग्राम से नगर की ओर पलायन की समस्याएं नहीं थीं। धीरे–धीरे गांवों की हैसियत कमजोर पड़ी, जबकि वे राज्य के लिए आर्थिक स्रोत ठीक उसी प्रकार से बने रहे, जैसे वे पहले रहे थे। आजादी के बाद बहुत कुछ बदला लेकिन गांव अपनी पुरानी हैसियत प्राप्त नहीं कर पाए। परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण युवा ग्रामीण उद्यमिता के अभाव में अपने भविष्य की तलाश करने शहरों की ओर निकल पड़ा। शहरों की ओर पलायन की यह गति लगातार तेज ही होती जा रही है। अब यहां पर तीन प्रश्न हैं– प्रथम यह कि क्या ग्रामीण युवा में उद्यमिता की संभावनाएं वैसी ही हैं, जैसी शहरी युवा में? द्वितीय–क्या गांव युवा उद्यमिता के मौलिक आधार बन सकते हैं अथवा नहीं? और तृतीय–क्या सरकारें नगरों की तरह गांवों में भी उद्यम स्थापना के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जहां ग्रामीण युवा संभावनाएं तलाश सकें।

यदि ग्रामीण अंचलों में गम्भीरता से झांक कर देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि अभी भी ग्रामीण युवा के लिए उद्यम का प्रमुख क्षेत्र कृषि ही है। यदि 'सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011' के अनंतिम आंकड़ों पर नजर डाले तो पता चलता है कि देश के 640 जिलों में रहने वाले शहरी और ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या 24.39 करोड़ है। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 17.91 करोड़ परिवार रहते हैं, अर्थात लगभग 73 प्रतिशत परिवार ग्रामीण हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 5.37 करोड़ यानी 29.97 प्रतिशत ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं और 51.14 प्रतिशत ग्रामीण परिवार दैनिक मजदूरी पर तथा 30.10 प्रतिशत ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर हैं। उम्मीद की जा सकती है कि कृषि पर लोगों की निर्भरता और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी के बीच जितना बड़ा अंतर है, उसी अनुपात में गांव का युवा कार्य से वंचित है या वंचित होने की संभावना से ग्रस्त होगा। वैसे सामान्य स्थिति में भी कृषि में वर्ष भर रोजगार निर्मित नहीं होते इसीलिए ग्रामीण युवाओं को बेरोजगारी/अर्ध–बेरोजगारी की समस्या का सामना करना

पड़ता है। अतिरेक आय का निर्माण न हो पाने के कारण, उद्यमों की ओर ग्रामीण युवाओं का रुझान नहीं हो पाता। परिणाम यह होता है कि यह ग्रामीण युवा शहर की ओर उद्यम की तलाश में प्रव्रर्जित होता है। लेकिन इसके लिए कुशलता की जरूरत है, अकुशलों के लिए नगरों में भी संभावनाएं नहीं होती हैं। पलायन के बाद भी उनकी कठिनाइयां दूर नहीं होती जिससे कभी–कभी वे कुंठा के शिकार होते हैं जिससे उनमें उद्यमिता की जो विशेषता विद्यमान होती है, उसका भी धीरे–धीरे क्षय होने लगता है। इस विपरीत परिणाम देने वाली स्थिति का निर्माण इसलिए अधिक हुआ है क्योंकि भारतीय युवाओं में जिस मनोविज्ञान का निर्माण हुआ है अथवा किया गया है, उसके केन्द्र में नौकरी है, उद्यम नहीं। जबकि वास्तविक राह उद्यमिता के विकास से ही होकर जाती है। इसलिए आज की जरूरत यह है कि हमारा युवा वर्ग एक सफल उद्यमी बनने का मनोविज्ञान विकसित करे या स्वप्न देखे ताकि वह स्वयं रोजगार तलाश न करे बल्कि रोजगार पैदा करे।

वर्तमान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का शुद्ध घरेलू उत्पाद 13,70,000 करोड़ रुपये या 304 बिलियन डॉलर से अधिक है और ग्रामीण सकल घरेलू उत्पाद करीब 15,46,018 करोड़ रुपये या 343 बिलियन डॉलर है। सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी ग्रामीण जनता तक तेजी से पहुंच रही है। और भारत के गांव सूचना, प्रौद्योगिकी तथा बाजार तक पहुंच के संदर्भ में निरंतर समानता हासिल कर रहे हैं। संभावनाओं के दोहन के लिए उचित दक्षता निर्माण तथा प्रौद्योगिकी के मिश्रण से यह इलेक्ट्रॉनिक संपर्क ज्ञान और आर्थिक रिटर्न के निर्बाध प्रवाह का रास्ता साफ कर सकता है। हालांकि वित्तीय सेवाओं के संदर्भ में ग्रामीण आधार को मजबूत करने के लिए नीति–स्तर पर महत्वपूर्ण जोर रहा है लेकिन हाल में सम्पन्न हुई सामाजिक–आर्थिक जनगणना काफी भिन्न निष्कर्षों के लिए जगह बनाती हुई दिख रही है। विकास की नई व्यवस्था में संपर्क साधनों में सुधार, बेहतर माहौल तथा आर्थिक कारकों के कारण कई उद्योग तथा शैक्षणिक संस्थाएं गांवों की ओर आकर्षित हुए हैं।

वर्तमान समय में करीब 40 प्रतिशत कॉलेज और 20 प्रतिशत प्रोफेशनल कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। यही नहीं यह हिस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। खास बात यह है कि इन संस्थाओं में कई विद्वान स्वयंसेवक तथा भावी उद्यमी होते हैं जो दक्षताओं को आमदनी तथा मानव विकास में बदलने के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी, वृहद एकीकरण तथा अधिक सक्षम प्रबंधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक संस्थानों और स्वयंसेवकों का गांवों की ओर पलायन हो रहा है, इसके अर्थ दो हुए। एक यह कि उन्हें ग्रामीण युवाओं में कुशलता, दक्षता एवं उद्यमिता की संभावनाएं दिख रही हैं। द्वितीय'' वे ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता की संभावनाओं का निर्माण करने के लिए यत्नशील हैं। अब आवश्यक यह है कि ग्रामीण युवा तकनीक व कौशल के क्षेत्र में दक्षता हासिल करने के लिए आगे आए क्योंकि तकनीकी दक्षता हासिल किए बिना आज के युग में उद्यम प्रतियोगिता में सफलता अर्जित कर पाना बेहद मुश्किल होगा।

दरअसल उद्यमिता किसी वर्ग, किसी स्थान, किसी जाति, धर्म या क्षेत्र से प्रेरित और उस पर आधारित नहीं होती है। यह वैयक्तिक गुणों के साथ–साथ सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करती है। लेकिन इसके साथ–साथ युवाओं में उद्यमिता की भावना का भरना बेहद जरूरी है। हालांकि इसके लिए ठोस एवं नियोजित ढंग से कदम उठाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए ग्रामीण युवाओं को संगठित करके उनमें कौशल का विकास करना होगा, उन्हें शहरी युवाओं के साथ लाना होगा, उन्हें डिजिटली कनेक्ट करना होगा और इस सबसे पूर्व ग्रामीण युवाओं के अभिभावकों की सोच में परिवर्तन लाना होगा। उद्यमिता की संभावनाओं के निर्माण के लिए यह जरूरी है कि पहले ग्रामीण युवाओं तक उद्यमों से संबंधित नए ज्ञान, नई सूचनाएं एवं आवश्यक जानकारियां पहुंचायी जाएं ताकि उनमें उद्यमिता के प्रति अभिरुचि एवं ज्ञान पैदा हो। उद्यमिता के विकास के लिए उनमें कुछ आवश्यक गुणों का निर्माण जरूरी होगा, जैसे–नई उपलब्धियों और संभावनाओं के प्रति सचेतना, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति, सकारात्मक सोच, इनीशिएटिव लेने का साहस, चुनौतियों से निपटने की क्षमता, वातावरण को विश्लेषित करने की इच्छा, प्रयासों की सातत्यता, सूचनाओं को संकलित करते रहने की विशेषता, अवसरों की तलाश, आदि।

इस दिशा में गांधी जी का बुनियादी शिक्षा वाला मंत्र बेहद कारगर हो सकता है। उल्लेखनीय है कि गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा की मंशा यह थी कि गांव के बच्चों को सुधार–संवार कर उन्हें गांव का आदर्श बाशिंदा बनाया जाए। उनका मानना था कि जो कांग्रेसजन स्वराज्य की इमारत को बिल्कुल उसकी नींव से चुनना चाहते हैं, वे देश के बच्चों की उपेक्षा कर ही नहीं सकते। विदेशी हुकूमत ने अनजाने ही क्यों न हो, शिक्षा के क्षेत्र में अपने काम की शुरुआत बिना चूके बिलकुल छोटे बच्चों से की है। हमारे यहां जिसे 'प्राथमिक शिक्षा' कहा जाता है वह तो एक मजाक है; उसमें गांवों में बसने वाले हिन्दुस्तान की जरूरतों और मांगों का जरा भी विचार नहीं किया गया है; और वैसे देखा जाए तो उसमें शहरों का भी कोई विचार नहीं हुआ है। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य दस्तकारी के माध्यम से बच्चों का शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास करना है। लेकिन मैं मानता हूं कि कोई भी पद्धति, जो शैक्षणिक दृष्टि से सही है और जो अच्छी तरह चलायी जाए, आर्थिक दृष्टि से भी उपयुक्त सिद्ध होगी।

बुनियादी शिक्षा की विशिष्ट बातें

- पूरी शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिए, यानी आखिर में पूंजी को छोड़कर अपना सारा खर्च उसे खुद देना चाहिए।

- इसमें आखिरी दर्जे तक हाथ का पूरा–पूरा उपयोग किया जाए।
- सारी शिक्षा विद्यार्थियों की प्रांतीय भाषा द्वारा दी जानी चाहिए।
- इसमें साम्प्रदायिक, धार्मिक शिक्षा के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन बुनियादी नैतिक शिक्षा के लिए काफी गुंजाइश होगी।
- यह शिक्षा विद्यार्थियों के घरों तक पहुंचेगी।

चूंकि इस शिक्षा को पाने वाले लाखों–करोड़ों विद्यार्थी हिन्दुस्तान के नागरिक ही होंगे, इसलिए उन्हें एक अंतर–प्रांतीय भाषा सीखनी होगी। सारे देश की यह एक भाषा देव नागरी या उर्दू में लिखी जाने वाली हिन्दुस्तानी हो सकती है। दुर्भाग्यवश आज के ग्रामीण युवा में इन चीजों का अभाव है। आज के युवा का सम्पर्क तकनीक से है, लेकिन बुनियादी शिक्षा के अभाव के कारण वह उसका प्रयोग उत्पादन साधन के रूप में न करके उपभोगवादी वस्तु के रूप में करता है। ऐसे में उसकी संभावनाओं का क्षरण होता है ना कि संवृद्धि, फलतः उसमें उद्यमिता संभावनाएं कमतर होती जाती हैं। हालांकि केन्द्र और राज्य सरकारों की तरफ से बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, शिक्षण एवं संवादों के जरिए उद्यमिता के लिए प्रेरित व प्रशिक्षित करते हैं, विशेषकर स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यक्रम आदि। कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति–2015 का विज़न "उच्च मानकों सहित रफ्तार के साथ बड़े पैमाने पर कौशल प्रदान करते हुए सशक्तीकरण की व्यवस्था तैयार करना और उद्यमिता पर आधारित नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है, जो देश में सभी नागरिकों की स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए धन एवं रोजगार का सृजन कर सके।" किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कौशल और ज्ञान दो प्रेरक बल होते हैं। वर्तमान वैश्विक माहौल में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य चुनौती से निपटने में वे देश आगे हैं जिन्होंने कौशल का उच्च–स्तर प्राप्त कर लिया है। कौशल विकास ही युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित कर सकता है और उद्यमिता में उनकी सहभागिता विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोगी हो सकती है। भारत के पास लगभग 60 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये भारत की वह पूंजी है, जिसे लाभांश के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब इनकी सम्बद्धता उद्यमिता से हो अन्यथा यह विनाशकारी भी साबित हो सकती है।

उल्लेखनीय है कि कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति में चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। यह नीति कम अपेक्षित मूल्य, औपचारिक शिक्षा से एकीकरण का अभाव, निष्कर्ष पर ध्यान देने का अभाव, प्रशिक्षण के लिए अच्छी बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षकों का अभाव, आदि सहित कौशल सम्बंधी प्रमुख बाधाओं को दूर करती है। वर्तमान खामियों को दूर करने के साथ–साथ यह नीति उद्योग से संबंध को बढ़ावा देते हुए गुणवत्तापूर्ण, भरोसेमंद प्रारूप के परिचालन, प्रौद्योगिकी को बल प्रदान करने और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के व्यापक अवसरों को बढ़ावा देकर कौशल के लिए आपूर्ति एवं मांग को व्यवस्थित करती है। नीति में निष्पक्षता पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो सामाजिक/भौगोलिक रूप से हाशिये पर रहने वालों और वंचित वर्गों के लिए कौशल अवसरों पर लक्षित है (इसमें महिलाएं भी शामिल हैं)। इस नीति में उद्यमियों को परामर्शदाताओं, सहायकों और ऋण बाजारों से जोड़ने, नवाचार एवं उद्यमिता संस्कृति को प्रोत्साहन देने, कारोबार करने को और ज्यादा सुगम बनाने तथा सामाजिक उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करने को बढ़ावा दिया जाना भी शामिल है। इसके तहत इस वर्ष 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) और उद्योग द्वारा तय मानदंडों पर आधारित होगा। इसका जैसे–जैसे ग्रामीण क्षेत्र में प्रसार होगा, ग्रामीण युवा स्वयं को उद्यमिता के लिए तैयार करने में सफल होते जाएंगे। इन युवाओं के लिए वर्क स्पेस का निर्माण स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, स्टैंडअप, उज्जवला, अमृत जैसी स्कीमें करेंगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डिजिटल इंडिया योजना निभा सकती है। डिजिटल इंडिया योजना के 9 स्तम्भों, यानी–ब्रॉडबैंड हाइवे, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई–गवर्नेंस, ई–क्रांति, इंफोर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, आईटी फॉर जॉब्स और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम में से कम से कम 6 स्तम्भ ऐसे हैं जो ग्रामीण युवाओं में आज की व्यवसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण एवं बाजार व्यवस्था से तेजी से जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। भारत निर्माण जैसी योजनाओं ने ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है, वह गांव से शहरों को कनेक्ट करेगा जिससे उद्यानिकी, मत्स्यिकी, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि अनुसंधान, हस्तशिल्प, पशुधन, हस्तकुटीर, ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हो रही सेवाओं की मांग युवाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि बॉटम–अप–गवर्नमेंट में सुधार हो।

बहरहाल प्रत्येक युवा, चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण उसमें उद्यमिता के प्रति रुझान बढ़ रहा है, जिसकी पुष्टि स्टार्टअप्स की बढ़ती हुई संख्या से भी की जा सकती है। रही बात ग्रामीण युवा की तो पहले गांव में उद्यमिता की बुनियाद रखनी होगी तत्पश्चात युवाओं को कौशलयुक्त बनाकर उस दिशा में मोड़ने की जरूरत होगी। अभी समस्त प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन ऐसा करना होगा क्योंकि यही श्रेष्ठ विकल्प है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने ऐतिहासिक–सामाजिक और आर्थिक विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं।)
ई–मेलः raheessingh@gmail.com

मील के पत्थर गढ़ता कौशल विकास का सफर

—भुवन भास्कर

कौशल विकास के साथ ही उद्यमशीलता को भी अभियान का हिस्सा बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार जानती है कि कुशलकर्मियों की संख्या चाहे जितनी भी बढ़ जाए, रोजगार सृजन के लिए कई बाह्य कारक जिम्मेदार होते हैं, जिन पर सरकार का कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता। इसमें आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन, मांग और आपूर्ति परिदृश्य और किसी खास सेक्टर के लिए मौजूद नीतिगत और बुनियादी कारक जैसे कारण मिलकर भूमिका निभाते हैं। इसलिए सरकार ने कौशल विकास हासिल कर चुके युवाओं को स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करने के लिए 'कौशल ऋण' की भी शुरुआत की है। इसके तहत 5 वर्षों में (जुलाई 2015 से) 34 लाख युवाओं को 5000 से 1.5 लाख रुपये तक का ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण कराने वाला हर युवा इस ऋण का लाभ उठा सकता है।

अब से करीब–करीब साल भर पहले 15 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में विकराल होती बेरोजगारी की समस्या का दीर्घकालिक समाधान पेश करते हुए एक नई योजना का श्रीगणेश किया, जिसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का नाम दिया गया। सरकार ने इस योजना के तहत साल भर में 24 लाख युवाओं को सार्थक, उद्योग जगत के अनुकूल और कौशल आधारित प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा। लोगों को प्रशिक्षण कक्षाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसमें आर्थिक लाभ भी जोड़ दिया गया। यानी जो कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करेगा, उसे सरकार की ओर से प्रमाणपत्र के अलावा नकद ईनाम भी देने का फैसला किया गया।

पीएमकेवीवाई दरअसल मोदी सरकार की ओर से युवाओं के प्रशिक्षण और उनमें तकनीकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए शुरू की गई कई योजनाओं में सबसे प्रमुख है। इसके साथ ही राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान भी शुरू किया गया, कौशल विकास और उद्यमिता 2015 की राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई और "कौशल भारत, कुशल भारत" के नारे के साथ विश्व युवा कुशलता दिवस के मौके पर व्यापक 'स्किल इंडिया' अभियान की भी शुरुआत की गई। भारत में कुशल श्रमिकों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 5 प्रतिशत है। दूसरे देशों से अगर तुलना करें तो चीन में यह संख्या 47 प्रतिशत, जापान में 80 प्रतिशत, ब्रिटेन में 68 प्रतिशत, अमेरिका में 52 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 96 प्रतिशत है। अमेरिका के मैनपॉवर ग्रुप ने नियोक्ताओं का एक सर्वे करने के बाद जारी रिपोर्ट में कहा है कि जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस में जहां क्रमशः 40 प्रतिशत, 57 प्रतिशत और 20 प्रतिशत नियोक्ताओं को अपनी जरूरतों के मुताबिक कर्मचारी ढूंढने में मुश्किल आती है, वहीं भारत में यह संख्या 67 प्रतिशत है। और इसका एक अन्य पहलू यह भी है कि देश की करीब 54 प्रतिशत जनसंख्या यानी 60 करोड़ से ज्यादा 25 वर्ष से कम आयु की है जिसे तुरंत रोजगार दिए जाने की जरूरत है। ये आंकड़े देश में कौशल विकास की आवश्यकता को रेखांकित करने के लिए पर्याप्त हैं। इस अभियान को लेकर वर्तमान सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार बनने के दो महीने के भीतर जुलाई 2014 में युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय के तहत कौशल विकास और उद्यमिता का एक

अलग विभाग बनाया गया और नवंबर 2014 में इसे स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया जिसकी कमान राजीव प्रताप रूडी को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के तौर पर सौंपी गई।

अब जब इस अभियान को चलते हुए लगभग एक पूरा साल निकल गया है, तो इसका विहंगावलोकन करना, समीचीन ही नहीं आवश्यक भी है। मंत्रालय की ओर से इस साल 7 जून तक के जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक पीएमकेवीवाई के तहत 19.7 लाख लोगों का पंजीकरण हो चुका है। लक्ष्य से अगर तुलना करें तो 11 महीनों में यह संख्या 82 प्रतिशत है। इस लिहाज से यह योजना सफल मानी जा सकती है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। इस साल 25 अप्रैल तक के लिए जारी आंकड़ों में जब प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण करा चुके लोगों की संख्या 17.58 लाख तक पहुंच चुकी थी, उस समय तक रोजगार पाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या महज 81,978 थी, यानी 5 प्रतिशत से भी कम। इससे आलोचकों के इस तर्क को बल मिलता है कि कम से कम अभी तक सरकार का राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान अपने लक्ष्य को हासिल करने के नजदीक भी नहीं पहुंचा है। सरकार ने जब इस अभियान को शुरू करने की घोषणा की थी तो उसका बहुत साफ लक्ष्य यह तय किया गया था कि प्रशिक्षण हासिल करने वाले युवकों को उसके कौशल के अनुरूप नौकरी मिले। प्रशिक्षण अपने आप में केवल एक साधन था, साध्य नहीं। इसलिए इस अभियान की सफलता का आकलन हमेशा इसी बात से किया जाएगा कि वास्तव में कितने लोगों को इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण हासिल करने के बाद रोजगार मिल सका।

इस अभियान की समीक्षा भौगोलिक विस्तार के पैमाने पर भी होनी चाहिए। पिछले साल जुलाई में जब इसकी शुरुआत हुई तो इसे सभी 29 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के 596 जिलों में लांच किया गया। इसके तहत 29 सेक्टरों में 566 भूमिकाओं की पहचान की गई, जिसके लिए युवाओं का पंजीकरण कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना था। इसके लिए देश भर में 8759 सक्रिय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसका सीधा–सा उद्देश्य यह है कि इन सेक्टरों को जब भी कुशल कर्मचारियों की जरूरत हो, तो उनके पास हमेशा सक्षम विकल्प मौजूद हों। लेकिन वास्तविकता यह है कि देश भर में केवल 5 राज्यों–उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में कुल पंजीकरण का लगभग आधा है। इससे साफ है कि पूरे देश को इस योजना का उस तरह फायदा नहीं मिल पा रहा है, जैसीकि सरकार को अपेक्षा थी।

सरकार ने कौशल विकास अभियान को सफल बनाने के लिए कई एजेंसियों को अपना पार्टनर बनाया है और शैक्षणिक संस्थानों को प्रशिक्षण केंद्र के तौर पर शामिल किया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) इसे कार्यान्वित करने वाली नोडल संस्था है और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) इसकी निगरानी करती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी इसमें जोड़ा है, जिसके पीछे मुख्य विचार सप्ताहांतों के दौरान उनके संसाधनों का इस्तेमाल करना है। इसके तहत हर प्रशिक्षु को 250 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा और 40 रुपये प्रति घंटे के लिहाज से उन्हें स्टाइपेंड भी मिलेगा। 'द हिंदू' में छपी एक रिपोर्ट में तकनीकी शिक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि सरकार हर प्रशिक्षु को सालाना 6500 रुपये का स्टाइपेंड और 15000 रुपये की पाठ्य सामग्री भी देने वाली है। इस कार्यक्रम के तहत 16 अगस्त से पाठ्यक्रम शुरू होने की संभावना है। लेकिन इस प्रोग्राम की कुछ व्यावहारिक दिक्कतें भी हैं। एक तो पहले से कुछ भी आमदनी हासिल करने वाले युवाओं को इस प्रोग्राम के लिए पंजीकृत करा पाना टेढ़ी खीर होगी, वहीं शैक्षणिक संस्थाओं के लिए उद्योग जगत से संपर्क कर प्रशिक्षुओं को रोजगार दिला पाने का महत्वपूर्ण चरण दुरुह हो जाएगा। इंडियन सोसायटी फॉर टेक्निकल स्टडीज के उपाध्यक्ष ने स्वयं इसे स्वीकार करते हुए कहा है कि छात्रों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें नियोजित करने के लिए सही उद्योग की पहचान कर पाने की कॉलेजों की क्षमता संदिग्ध है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या उद्योग जगत और स्व–वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थाओं के बीच भरोसे का अभाव भी है, जिसके कारण प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं को रोजगार हासिल करने में दिक्कत आती है। एक अन्य बड़ी मुश्किल प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण कराने वाले युवाओं को कोर्स पूरा करने तक रोकने की है। सबसे ज्यादा प्रशिक्षुओं का पंजीकरण करने वाले राज्यों में अव्वल उत्तर प्रदेश में केवल 31 प्रतिशत पंजीकृत प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र मिल सका है, जबकि मध्यप्रदेश में यह संख्या केवल 30 प्रतिशत है।

ये स्थितियां उत्साहजनक नहीं हैं। खासतौर पर तब जब वर्तमान सरकार के महत्वाकांक्षी 'मेक इन इंडिया' की सफलता के लिए भी कौशल विकास अभियान का सफल होना बहुत आवश्यक है। लेकिन सरकार के सामने इसकी राह में कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें समझे बिना इसे सफल बना पाना बहुत कठिन होगा। कौशल विकाल अभियान का सिद्धांत बहुत सीधा है–अकुशल श्रम का कौशल विकास कर उसे औद्योगिक मांग के अनुरूप नियोजित करना। लेकिन भारत में मुश्किल यह है कि निचले स्तर पर जहां कम कुशल श्रमिकों की जरूरत होती है, वहां उस स्तर के श्रमिकों की संख्या मांग से कहीं ज्यादा है।

लेकिन उच्च कुशलता वाले श्रमिकों की जरूरत के लिहाज से आपूर्ति कम है। मांग और पूर्ति में असंतुलन की यह स्थिति संकेत करती है कि युवाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण की तुलना में श्रम बाजार की मांग का अनुपात सही नहीं है। वस्तुस्थिति को ठीक करने के लिए यह एक प्रारंभ बिंदु हो सकता है। फिलहाल की व्यवस्था में कौशल विकास के तहत अपना जॉब प्रोफाइल चुनने का फैसला प्रशिक्षु स्वयं करता है। फिर जब उसका प्रशिक्षण पूरा हो जाता है, तब यह देखा जाता है कि वहां किस उद्योग में किस तरह के कुशल श्रमिक की मांग है। यह पूरी प्रक्रिया ही दोषपूर्ण है। इसकी जगह पहले अगर उद्योग जगत से उसकी जरूरतों का मांगपत्र ले लिया जाए और फिर उसके मुताबिक युवाओं की रुचि के बजाय उनकी पृष्ठभूमि, शिक्षा और प्रवृत्ति (एप्टीट्यूड) के आधार पर उनको कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाए, तो उनकी रोजगारपरकता बढ़ेगी।

कौशल विकास अभियान की सफलता में एक बड़ी चुनौती आर्थिक विकास में भौगोलिक असमानता है। केरल जैसे विकसित और शिक्षित बाजार में जहां कुशल श्रमिकों की बहुलता है, वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों में अकुशल श्रमिक बहुतायत में मौजूद हैं। इसके कारण कौशल विकास कार्यक्रम में जहां केरल जैसे राज्यों में एक जैसे युवाओं की बहुलता होगी, वहीं बिहार, यूपी जैसे राज्यों में दूसरी श्रेणी के युवाओं की बहुलता होगी। और अंतिम परिणाम यह होगा कि दोनों ही तरह के राज्यों में कौशल विकास के बाद युवाओं की जो फौज निकलेगी, वह समस्या को और बढ़ाएगी। इसलिए किस राज्य में, किस केंद्र पर, कितने युवाओं को, किस जॉब प्रोफाइल के लिए प्रशिक्षण दिया जाए, यह तय करने का काम सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। और यह काम उद्योग जगत की मांग के आधार पर किया जाना चाहिए।

वर्तमान सरकार के कौशल विकास अभियान शुरू करने से पहले भी सरकारों ने इस दिशा में काफी समय से प्रयास जारी रखा है। लेकिन उन प्रयासों में कभी मानकीकरण नहीं हुआ, जिसके कारण पूरे देश में कौशल विकास का पाठ्यक्रम और स्वरूप अलग–अलग रहा है। ऐसे कार्यक्रमों में एक बड़ी चुनौती प्रशिक्षण केंद्रों की भौगोलिक उपस्थिति की है। ज्यादातर प्रशिक्षण केंद्र शहरी क्षेत्रों में हैं और निजी क्षेत्र खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत रुचि नहीं दिखाते हैं। नतीजतन एक बड़ी ग्रामीण जनसंख्या औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों से सीधे वंचित रह जाती है। इसके अलावा जिन जिलों को पिछड़ा घोषित किया जा चुका है, वहां आमतौर पर प्रशिक्षण केंद्रों में आजीविका चलाने के मूलभूत स्किल सिखाए जाते हैं और ऐसे कुशल युवाओं में औद्योगिक जगत की कुछ खास दिलचस्पी नहीं होती। हालांकि सरकार ने इस दिशा में प्रयास किए हैं और कम से कम पाठ्यक्रम के लिहाज से कौशल विकास अभियान में एकरूपता आई है। लेकिन देश भर में कौशल विकास केंद्रों के समान वितरण पर अभी काम होना बाकी है।

सरकार की कई महत्वाकांक्षी और बड़ी योजनाओं को भ्रष्टाचार का दीमक चाट जाता है। महात्मा गांधी न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) इसका एक जीता–जागता उदाहरण है। मस्टर रोल में फर्जी नाम शामिल करने से लेकर दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी में कमीशन जैसे आरोप यूपीए की इस फ्लैगशिप योजना पर हमेशा से लगते रहे हैं और मौजूदा सरकार ने इन कमियों की पहचान कर उन्हें रोकने की दिशा में काम भी किया है। इसी तर्ज पर कौशल विकास अभियान को भी भ्रष्टाचार के दीमक से बचाने की जरूरत है। इस अभियान के तहत प्रशिक्षुओं को घंटे के हिसाब से प्रशिक्षण पर वित्तीय इंसेंटिव मिलता है। प्रशिक्षुओं को जुटाने का काम भी ब्लॉक लेवल पर ठेके देकर किया जा रहा है। इसलिए इस मोर्चे पर सरकार को सावधान रहते हुए इस बात के पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत है कि प्रशिक्षुओं की संख्या में कोई फर्जीवाड़ा न हो, नहीं तो पंजीकरण के रोजगार में बदलने का अनुपात कभी सम्मानजनक स्थिति में नहीं पहुंच सकता।

कौशल विकास अभियान को लेकर सरकार की गंभीरता उम्मीद जताती है कि यह पहले की तरह सरकारी औपचारिक आयोजनों तक सीमित नहीं रहेगा। बस जरूरत है इस अभियान को लालफीताशाही से बचाने की। फिलहाल करीब 20 अलग–अलग संस्थाएं कौशल विकास के अलग–अलग कार्यक्रम चला रही हैं। ऐसी स्थिति अभियान की सेहत के लिए अच्छी नहीं है और इसे एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाना चाहिए। सरकार ने 2022 तक 40 करोड़ युवाओं के कौशल विकास का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की चुनौतियों को बताने के लिए बस यही जानना काफी है कि वर्ष 2004–05 से लेकर 2011–12 तक कुल युवाओं में प्रशिक्षण हासिल करने वाले युवाओं का अनुपात लगभग स्थिर रहा है। हालांकि पिछले साल भर के प्रयासों से ऐसा लगता है कि आखिरकार भारत कुशलता की राह पर निकल गया है। देश के सामने अब इस सफर से वापस लौटने या रुकने का विकल्प नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया मंदी के दुश्चक्र को तोड़ने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर ही उम्मीद भरी नजरों से देख रही है।

(लेखक आर्थिक विषय के पत्रकार हैं और सीएनबीसी आवाज़, जी बिजनेश, इकोनॉमिक टाइम्स के साथ काम कर चुके हैं। वर्तमान में कमाडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स के साथ कार्यरत हैं और शेयर बाज़ार, भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि और एग्री कमोडिटी से जुड़े विषयों पर लिखते रहते हैं।)

ई–मेलः bhaskarbhuwan@gmail.com

ETEN IAS
Preparing Civil Servants

In Association with
KSG
An Institute for IAS Exam...

Personalised. Powerful. Proven

Civil Services Examination 2017 preponed. Join now to prepare early !

New Batches Starting

General Studies (Pre + Main) English Medium
Batch 1 - 10th Aug, 7.30 am to 10.30 am, 7 Days / Week
Batch 2 - 10th Aug, 5 pm to 8 pm, 7 Days/Week
Batch 3 - 13th Aug, Weekend

General Studies (Pre + Main) Hindi Medium
5th Aug, 10 am to 1 pm, 7 Days / Week

Optional Subjects English Medium 12th August	
History 11 am	Pud Ad 2.30 pm

100+ Ranks* in Civil Services Examination-2015

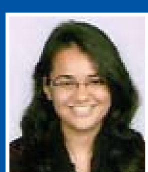

AIR-1
TINA DABI
Civil Service Examination - 2015

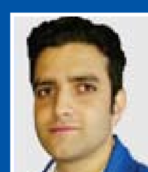

AIR-2
ATHAR AAMIR UL SHAFI KHAN
Civil Service Examination - 2015

*from the house of KSG

Join before 20th Aug'16 to avail early bird offer

JOIN THE LEAGUE OF ACHIEVERS !

ETEN IAS Centers: Agra, Aizawl, Alwar, Amritsar, Bangalore, Bareilly, Bhilai, Bhilwara, Bilaspur, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Dehradun, Delhi, Dibrugarh, Guntur, Hyderabad, Indore, Jabalpur, Jaipur, Jalandhar, Jammu, Jamshedpur, Jodhpur, Kolkata, Kozihikode, Lucknow, Ludhiana, Moradabad, Nagpur, Patna, Pune, Raipur, Ranchi, Rohtak, Salem, Srinagar, Tirupati, Trivandarum, Varanasi, Vijayawada, Vizag

Toll free: 1800 1038 362 • SMS IAS to 567678 • Call: 9654200517/23 • Website: www.etenias.com

Excellent Franchise opportunity of ETEN IAS KSG is available in following locations: Agra, Ahmedabad, Aligarh, Allahabad, Arunachal Pradesh, Bangalore, Bhubaneswar, Bikaner, Ernakulam, Guwahati, Imphal, Jaipur, Jamshedpur, Kanpur, Kohima, Kolkata, Kota, Mangalore, Mumbai, Patiala, Pune, Secunderabad, Shillong, Surat

For Franchise details, call Mr. Manav Aggarwal
Product Head: +91 9958 800 068 or email: manav.aggarwal@pearson.com

ALWAYS LEARNING
PEARSON

युवाओं को नई दिशा देता स्किल इंडिया

—ललन कुमार महतो

सरकार द्वारा आरम्भ की गई कौशल विकास योजना का लक्ष्य खासकर ग्रामीण युवाओं को रोजगार के योग्य कौशल प्रदान करते हुए रोजगार के लिए तैयार करना है। इस मिशन का लक्ष्य 2022 तक 40 करोड़ से अधिक लोगों को कौशल प्रदान करना तथा उनकी पसंद के कौशलों का प्रशिक्षण देते हुए उनकी रोजगार संबंधी योग्यता को बढ़ाना है। कौशल प्रदान की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्था, कौशल प्रशिक्षण के अनुभव वाले शिक्षण संस्थानों को जुटना पड़ेगा। इसमें सभी वर्गों को समान महत्व दिए जाने की आवश्यकता है।

जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जिसमें 67.2 करोड़ व्यक्ति 15—59 वर्ष की आयु के हैं, जिन्हें सामान्यता कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। इनमें से लगभग 25 करोड़ व्यक्ति 15 से 24 वर्ष की आयु के हैं जो वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत है। यदि देश की ग्रामीण—शहरी संरचना पर ध्यान दिया जाए तो आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य में भारत को समग्र सामाजिक—आर्थिक तरक्की के नए सोपानों तक पहुंचाने में ग्रामीण भारत की ही सबसे अहम भूमिका होगी, क्योंकि आगामी कुछ वर्षों में कार्यशील युवाओं का सबसे बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से ही होगा, जिसकी संख्या वर्ष 2050 तक लगातार बढ़ेगी। कुल ग्रामीण आबादी में जहां 51.73 प्रतिशत आबादी 24 साल से कम है, वहीं शहरी आबादी में इसकी हिस्सेदारी 45.9 प्रतिशत है। यदि गांवों में उचित उद्यमीय शिक्षण—प्रशिक्षण एवं रोजगार की व्यवस्था करके कार्यशील आबादी के पलायन को रोका जाए, तो आने वाले समय में ग्रामीण भारत ही सर्वाधिक जनाकिकीय लाभांश की स्थिति में होगा। इस समय देश की कुल आबादी में 49.91 प्रतिशत की हिस्सेदारी 24 साल से कम आयु वर्ग वालों की है और 47.2 करोड़ लोग 18 वर्ष से कम आयु वाले हैं।

स्किल इंडिया कार्यक्रम

अपनी कार्यशील जनसंख्या का गुणवत्तापूर्ण उपयोग करने के उद्देश्य से संप्रग सरकार ने वर्ष 2009 में 'राष्ट्रीय कौशल विकास नीति' जारी की थी, इस नीति के अनुसार, वर्ष 2022 तक 50 करोड़ उच्च स्तर के कुशल व्यक्तियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। इस नीति के अंतर्गत 'राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद' के द्वारा बड़ी संख्या में गुणवत्तापरक संस्थाओं का सृजन करके उनके जरिए 15 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करके कुशल कामगार बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। शेष 35 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए केन्द्र सरकार के 18 विभागों द्वारा उपाय शुरू किए जाने थे। अब आंशिक बदलाव के साथ देश की युवा शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल एवं योग्यता उपलब्ध कराने हेतु 'राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन' की शुरुआत तथा 'नई कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति' की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 जुलाई, 2015 को की। जननांकिकीय लाभांश के संदर्भ में कौशल विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 'कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग' का प्रोन्नयन 'कौशल विकास' एवं 'उद्यमिता मंत्रालय' के रूप में 9 नवम्बर, 2014 में किया गया था। इस मंत्रालय की पहल पर 'नेशनल मिशन फॉर स्किल डवलपमेंट' (एनएमएसडी) की शुरुआत की गई है। मिशन के कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष स्तर पर एक प्रशासनिक परिषद, एक स्टीयरिंग कमेटी व एक मिशन निदेशालय की स्थापना की जाएगी। मिशन निदेशालय को राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण (एनएसडीए), राष्ट्रीय

कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) तथा डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग (डीजीटी) का समर्थन प्राप्त रहेगा, शीर्ष स्तर पर मिशन की प्रशासनिक परिषद के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होंगे।

देश में दक्ष एवं कुशल श्रमशक्ति की कमी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई,2015 को पहले विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इस मिशन का उद्घाटन किया। इसके तहत वर्ष 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु क्षमताओं का सृजन किया जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य भारत में कौशल विकास के प्रयासों को परिणामोन्मुखी बनाने हेतु नियोक्ताओं और नागरिकों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है :–

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेयूवाई) भारत सरकार की परिणाम आधारित फ्लैगशिप कौशल विकास योजना है जो राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान (कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय) द्वारा जारी की गई है।

- कौशल विकास के क्रियान्वयन के लिए एक सटीक रणनीति बनाना जिसमें जीवनभर सीखने लायक माहौल बनाया जा सके।
- इस कौशल प्रमाणन एवं प्रोत्साहन स्कीम का लक्ष्य अधिकाधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षणों के लिए योग्य बनाना एवं उत्साहित करना है।
- कौशल विकास तंत्र में सुयोग्य शिक्षक और प्रशिक्षकों का एक बैंक बनाना और उसके लिए प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना।
- मौजूदा सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और औद्योगिक संरचना को कौशल विकास के काम में लाना, ताकि क्षमता का निर्माण किया जा सके।
- ऐसी व्यवस्था करना कि वैश्विक मानकों के अनुरुप श्रम बल सृजित कर हम अपने कुशल कामगारों को विश्व में कही भी भेजने की व्यवस्था कर सके।
- एक साख स्थानांतरण तंत्र की व्यवस्था करना, जिसके द्वारा वोकेशलन प्रशिक्षण तंत्र और औपचारिक शिक्षण तंत्र के बीच पुल बनाया जा सकें।
- केन्द्रीय–स्तर से राज्य तक समस्त क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय और संचयन को बढ़ावा देना।
- परिणाम–केन्द्रित प्रशिक्षण की व्यवस्था करके नियोक्ताओं की मांग और श्रमिक उत्पादकता को संयोजित करना।
- कुछ प्रमुख असंगठित क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए क्षमता निर्माण करना और अंततः इनके ज्ञान का उन्नयन करना, ताकि वे औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के लायक बन सकें।
- पर्याप्त गुणवत्तायुक्त, दीर्घावधिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप कौशल मुहैया करवाना, जो अंततः उच्च कौशल से परिपूर्ण श्रमबल का निर्माण कर सकें।
- लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के दुर्बल एवं वंचित लोगों को कौशल विकास की गतिविधियों से जोड़ना।
- कौशल प्रशिक्षण पर सामाजिक जागरुकता अभियान चलाकर युवाओं में कौशल के प्रति आकांक्षा का भाव पैदा करना, जो देश में मांग और पूर्ति के बीच एक पुल का काम करेगा।

लक्ष्य

भारत की राष्ट्रीय कौशल विकास नीति में वर्ष 2022 तक लगभग 40 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे बड़ी चुनौती तो इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को कौशल प्रदान करने की है। संभवतः यह किसी भी देश द्वारा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में अब तक निर्धारित लक्ष्यों में सबसे बड़ा लक्ष्य है। इतने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति केवल सरकार के प्रयासों से नहीं हो सकती है। संपूर्ण राष्ट्र के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। अकादमिक जगत, उद्योग, सरकारी, निजी संस्थाएं, समाज, नीति–निर्धारक, रोजगार प्रदाताओं, पंचायती राज संस्था, स्वयंसेवी संगठन, प्रशिक्षकों, युवाओं, अभिभावकों सभी को मिलकर कार्य करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति या तो प्रशिक्षण प्राप्त करे या प्रशिक्षण की प्रक्रिया में उर्वरक के रूप में सहभागिता निभानी होगी।

15 जुलाई,2015 को घोषित 'कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015' सफल कौशल रणनीति की कुंजी के रूप में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रभावी योजना की जरूरत को स्वीकार करती है। इस नीति के दृष्टिपत्र में कहा गया है कि ''बड़े पैमाने पर और तीव्रगति से उच्च गुणवत्तापूर्ण परिस्थिति का निर्माण कर युवा सशक्तीकरण को बढ़ावा देना और उद्यमिता पर आधारित आविष्कार की संस्कृति को बढ़ावा देना जिससे पूंजी और रोजगार का सृजन हो सके और देश के सभी नागरिकों के लिए एक टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित कर सकें।'' इस विज़न को प्राप्त करने के लिए नीति के चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह नीति कम अपेक्षित मूल्य, औपचारिक शिक्षा से एकीकरण का अभाव, निष्कर्ष पर ध्यान देने का अभाव, प्रशिक्षण के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षकों के अभाव सहित कौशल सहित संबंधी प्रमुख बाधाओं को दूर करती है। यह नीति वर्तमान त्रुटियों को दूर करते हुए, उद्योग से संबंध को बढ़ावा देते हुए, गुणवत्तापूर्ण विश्वसनीय प्रारूप के परिचालन, प्रौद्योगिकी को बल प्रदान करने और प्रशिक्षण के व्यापक अवसरों को बढ़ावा देते हुए कौशलों के लिए आपूर्ति एवं मांग को व्यवस्थित रखती है।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य सभी युवाओं को कौशलपूर्ण बनाकर सशक्त करना है, ताकि वह अपनी सभी क्षमताओं से अवगत हो सकें, आजीवन अनुभव प्रक्रिया से सीख सकें। उद्यमशीलता एवं कौशल विकास की प्रक्रिया में यह नीति निम्न घटकों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी :–

- उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना और उसे आकांक्षाओं से जोड़ना।
- औपचारिक शिक्षण तंत्र से उद्यमशीलता की पढ़ाई को जोड़ना।
- जनसांख्यिकीय पिरामिड में सबसे निचले स्तर पर सामाजिक उद्यमियों को फलने–फूलने का अवसर प्रदान करना।
- प्रचार द्वारा उद्यमशीलता को एक संभव कैरियर अवसर के रूप में स्थापित करना।
- प्रवेश और निकास की बाधाओं को दूर कर व्यवसाय करने की परिस्थितियों को आसान बनाना।
- साख और बाजार सम्पर्क द्वारा वित्त की व्यवस्था करना।
- महिलाओं में व्यवसाय और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।
- सामाजिक और भौगोलिक रूप से हाशिए के लोगों–दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और विकलांगों के लिए उद्यमिता आधार को विस्तृत करना और उसके लिए विशेष उपाय करना।

कौशल विकास योजना – कौशल को प्रमाण और पुरस्कार द्वारा भारतीय युवाओं को परिणाम केन्द्रित कौशल प्रशिक्षण और उसके परिणामस्वरूप उन्हें रोजगार के लायक बनाया जाएगा, एनएसडीसी द्वारा क्रियान्वित इस योजना के द्वारा 24 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना के प्रशिक्षुओं को उनके प्रशिक्षण, आकलन और सम्बद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं के प्रमाणीकरण के बाद डीबीटी के माध्यम से पुरस्कार दिया जाएगा। कुल 1500 करोड़ रुपये की लागत वाली इस योजना में 1120 करोड़ रुपये 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु, करीब 220 करोड़ रुपये पहले सीखने वाले युवाओं की पहचान पर विशेष बल देने हेतु 67 करोड़ रुपये कौशल प्रशिक्षण के विषय में जागरुकता हेतु और 150 करोड़ रुपये उत्तर–पूर्व क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षित करने में व्यय किये जाएंगे।

इस स्कीम के अंतर्गत सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उन प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी जो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण ले रहे हैं। पारदर्शिता और उद्देश्यधर्मिता के मद्देनजर प्रशिक्षण केन्द्र एवं मूल्यांकन निकाय अलग–अलग बनाए जाएगे ताकि दोनों के कार्यों में कोई विरोधाभास न हो। प्रोत्साहन राशि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा दी जाएगी और लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :–

- मौजूदा श्रम बल की उत्पादकता बढ़ाना और देश की जरूरतों के अनुसार से प्रशिक्षण और प्रमाणन देना।
- कौशल प्रमाणन के लिए युवाओं को तरह–तरह से प्रोत्साहित करना और उन्हें वित्तीय मदद देना।
- प्रमाणन प्रक्रिया का मानकीकरण करना और कौशल पंजीकरण की शुरुआत करना।
- कौशल प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं को अधिकृत संस्थानों द्वारा औसतन 8000 रुपये प्रति उम्मीदवार के हिसाब से पुरस्कृत करना।
- कौशल प्रशिक्षण का तीसरी पार्टी से आकलन करवाना जोकि राष्ट्रीय और वैश्विक–स्तर का हो।
- प्रशिक्षण देते समय श्रम बाजार में नवप्रवेशी और 10वीं एवं 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान देना।
- परामर्श सहायता कार्यक्रम के तहत् उन प्रशिक्षुओं की मदद लेना जिन्होंने अपना कौशल पूरा कर लिया है और नौकरी की तलाश में हैं।
- प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण स्थलों के एक निश्चित मानक एवं पाठ्यक्रमों को सत्यापित करने और उनका रिकॉर्ड रखने हेतु कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस) का गठन करना।
- प्रशिक्षण के दौर से गुजर रहे सभी प्रशिक्षुओं का आकलन के समय फीडबैक लेना।
- कौशल प्रशिक्षण के विषय में जागरुकता फैलाने के लिए राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों एवं समुदाय आधारित संगठनों के सहयोग से स्थानीय–स्तर पर कौशल मेला आयोजित करना।

प्रधानमंत्री कौशल विकास फैलोशिप

प्रधानमंत्री कौशल विकास फैलोशिप उन युवा पेशेवरों के लिए तीन वर्ष तक काम करते हुए सीखने का अवसर है, जिनकी राज्य और जिला–स्तर पर कौशल के क्षेत्र में काम करने में रुचि है। फैलो को चुने गए जिलों में एसएसडीएम और जिला प्रशासन की सहायता करनी होगी तथा प्रमुख कौशल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तथा कौशल विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में युवाओं की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने में कौशल विकास सहयोगी के रूप में काम करना होगा। इसके लिए फैलो के बुद्धिमान एवं प्रेरित होने की अपेक्षा है, लेकिन जिनके पास अनुभव की कमी है, उन्हें इस प्रक्रिया और सीखने के अनुभव एवं कार्यक्रमों द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वयन की क्षमता अपने भीतर

विकसित करने, व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने एवं स्वयं को प्रेरित करने तथा जीवन के लक्ष्य ढूंढने का मौका मिलेगा। इससे उन्हें बेहतर सक्षम कौशल विकास सहयोगी (फैसिलिटेटर) बनने में मदद मिलेगी, जिनकी 'सबका साथ सबका विकास' का सरकार का ध्येय पूरा करने के लिए बहुत अधिक आवश्यकता है। इस प्रकार योजना के दोहरे उद्देश्य हैं, जिसमें आजीविका के सम्मानजनक साधन उपलब्ध कराने के लिए चुने गए जिलों में एसएसडीएम और जिला प्रशासन को अल्पअवधि के लिए उत्प्रेरक के समान सहयोग प्रदान करना है और कौशल विकास सहयोगियों का समूह तैयार करना है, जो आगे चलकर एसएसडीएम के लिए पूरी तरह संसाधन होगा।

प्रधानमंत्री जिला कौशल विकास फैलो के मुख्य निम्न दायित्व होंगे

- जिले में कौशल विकास कार्यक्रम के समन्वय एवं क्रियान्वयन में जिला प्रशासन/एसएसडीएम/एनएसडीए की सहायता करना (जिला विशेष के लिए कार्य योजनाएं तैया र करना, आरम्भ करना एवं प्रगति की समीक्षा करना, रोजगार मेला आयोजित करना आदि)।
- जिला स्तर पर सभी कौशल विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद करना।
- युवाओं की आवश्यकताओं एवं कौशल के बीच अंतर को सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक–स्तर पर सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण करना।
- ग्रामीण युवा क्लबों एवं जिले के अन्य युवा संगठनों, सामान्य सेवा केन्द्रों तथा जमीनी–स्तर की इकाइयों को कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ बेहतर तरीके से जोड़ना ताकि जिला–स्तर पर युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों का पूरा लाभ देने के लिए उनमें जागरुकता उत्पन्न की जा सके।
- लोगों को कौशल विकास के लिए लाने एवं पंजीकृत करने हेतु योजनाएं क्रियान्वित करना।
- जिले में एएमएसएमई इकाइयों के प्रत्येक समूह के लिए आवश्यक कौशलों को समझना एवं पहचानना तथा उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करना।
- स्थानीय एवं ग्रामीण युवाओं को राज्य के भीतर ही रोजगार दिलाने तथा राज्य में ही बाजार से उन्हें जोड़ने के लिए प्रक्रिया तैयार करना।
- प्रशिक्षण, प्रमाणन एवं प्रशिक्षुओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार दिलाने में जुटी क्रियान्वयन एजेंसियों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण के अधिक उचित तरीके ढूंढने के लिए अनुसंधान करना।
- उभरते हुए अवसरों के बारे में जानकारी का प्रसार सुनिश्चित करने के लिए जिले में अनूठे, परिणामोत्पादक जागरुकता कार्यक्रम तैयार करना और क्रियान्वित करना।
- जिले में चल रहे कौशल विकास कार्यक्रमों के बारे में एसएसएडीएम को प्रतिक्रिया देना और ऋण की व्यवस्था के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से मिलकर काम करना।

राष्ट्रीय कौशल विकास निकाय (एनएसडीए)

यह भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, जो भारत सरकार एवं निजी क्षेत्र द्वारा कौशल विकास के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। एक सोसायटी के रूप में इसकी स्थापना 6 जून,2013 को हुई थी, इसके प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:–

- राष्ट्रीय कौशल गुणवत्ता फ्रेमवर्क का परिचालन एवं क्रियान्वयन करना।
- राष्ट्रीय श्रम बाजार सूचना प्रणाली का अभिकल्पन एवं क्रियान्वयन करना।
- कौशल गुणवत्ता की संरचना में सन्निहित, गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण फ्रेमवर्क की स्थापना एवं परिचालन करना। इसमें प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं और निकायों के लिए एक ढांचा स्थापित करना भी शामिल है।
- गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण फ्रेमवर्क का पालन करने वाली क्षेत्रक कौशल निकायों द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमाणपत्रों पर 'स्किल इंडिया' लोगो के प्रयोग को बढ़ावा देना।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास फैलो कार्यक्रम को सहारा देना।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)

कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 25 के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एक गैर लाभ अर्जक कम्पनी है। वर्ष 2008 में स्थापित यह देश में कौशल एवं शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक–निजी भागीदारी का पहला उदाहरण है, जिसमें निजी क्षेत्र का हिस्सा 51 प्रतिशत तथा शेष 49 प्रतिशत का नियंत्रण भारत सरकार के अधीन है। अनुदान और प्रोत्साहन प्रदान करने, समर्थन सेवाओं को सक्षम बनाने और आकार निर्माण करने में अहम् भूमिका निर्वहन करने वाला यह निगम 21 उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और असंगठित क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। इसके प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:–

- उद्योग एवं व्यवसाय के साथ सम्पर्कों को बढ़ावा देना।

- ऋण इक्विटी एवं अनुदानों को सम्मिलित रूप से प्रदत्त सहायता द्वारा बाजार आधारित मापनीय व्यवसाय के सृजन को उत्प्रेरित करना।
- क्षेत्रक कौशल परिषदों की स्थापना कराना।
- कौशल वाउचर कार्यक्रम लागू करना।
- राज्य एवं क्षेत्रक विशिष्ट कौशल परिषदों के साथ मिलकर प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्ट प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
- उद्योग जगत के साथ समन्वय करते हुए श्रमिकों के कौशल को अंतर्राष्ट्रीय–स्तर का बनाना तथा कौशल विकास के विषय एवं उनके गुणवत्ता–स्तर को बनाने के लिए मूलभूत ढांचा तैयार करना।
- कौशल विकास पर केन्द्रित निजी इकाइयों के साथ समन्वय कर समर्थन देना और ऐसा करते हुए निजी और सरकारी क्षेत्र के समन्वय की मिसाल कायम करना।
- ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता देना जो सार्वभौमिक उत्प्रेरक का कार्य कर सकें।
- समाज के पिछड़े वर्गों और अविकसित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने का भरसक प्रयास करना।
- नियंत्रणहीन क्षेत्रों में बाजार के नियंता की भूमिका अदा करना।

कौशल विकास कार्यक्रम को सफल बनाना

कौशल विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उपलब्ध प्रशिक्षण विकल्पों से संबंधित समस्त जानकारी का व्यापक प्रचार–प्रसार हो। ग्रामीण–स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि सभाएं बुलाकर ''कौशल विकास कार्यक्रम'' के बारे में युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं। गांवों के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सरकारी–स्तर पर चल रहे रोजगार केन्द्रों द्वारा इस ओर कार्य किया जा सकता है। ये समय–समय पर कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रकृति, उपलब्धता, पंजीयन प्रक्रिया, क्षमता आदि संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। रोजगार केन्द्र एक निर्देशन एवं परामर्श केन्द्र के रूप में भी विद्यार्थियों को अपनी अभिक्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम या कोर्स का चुनाव करने में उपयोगी हो सकते हैं। इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं अंशकालीन–स्तर पर ली जा सकती हैं।

निजी भागीदारी प्रबंधन, संचालन तक सीमित न होकर प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया में भी अपनी विशेषज्ञता उपलब्ध कराएं। सघन प्रशिक्षण को रोजगार प्राप्ति से जोड़ने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्लेसमेंट की प्रक्रिया से प्रशिक्षकों, संस्थाओं को भी जोड़ा जा सकता है। इसके लिए प्लेसमेंट बढ़ने पर प्रोत्साहन के मानदण्ड निर्धारित कर सकते हैं। संस्थाएं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन रजिस्टर में आंकड़े दर्ज करने तक सीमित न रखे इसके लिए संस्था का समयबद्ध मूल्यांकन, प्रमाणीकरण भी आवश्यक है। एक बार किसी संस्था को वित्तीय स्वीकृति मिल जाती है, उसके बाद भी निर्धारित मानकों पर सतत मूल्यांकन होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण कौशल द्वारा रोजगार प्राप्ति बढ़ाने वाले प्रशिक्षकों, संस्थाओं को भी आर्थिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। प्रशिक्षुओं से कौशल विकास कार्यक्रमों, संस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया जा सकता है। प्रशिक्षण प्रदान करने से पूर्ण प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन होना एवं प्रशिक्षण समाप्त के पश्चात् सीखे गए कौशल का मूल्यांकन एवं पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है।

कौशल विकास की राह में चुनैतियां

कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रदान किए जाने वाले कौशलों का निर्धारण वर्तमान आवश्यकताओं के साथ–साथ भविष्य में संभावनाओं को ध्यान में रखकर भी किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि युवा किसी विशेष कौशल को सीखकर निकले, उसके बाद परिस्थितियों, तकनीक, नवाचार आदि के कारण सिखाए गए कौशल की उपयोगिता खत्म हो जाए। इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की डिजाइन पर नीति निर्धारकों का गहन चिंतन आवश्यक है।

कौशल विकास योजना से महिलाओं का विकास

कौशल विकास योजना का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तीकरण सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य महिलाओं के विकास के लिए सकारात्मक, आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से ऐसा अनुकूल माहौल तैयार करना है, जिससे महिलाएं अपनी क्षमता को साकार कर सकें और शिक्षा, रोजगार, समान पारिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा सकें। महिलाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं। सरकार ने कई विभागों और संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा है। यह विभाग महिलाओं में कौशल विकास के प्रशिक्षण के साथ उन्हें रोजगार प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को बैंकिंग कोर्स, सिलाई–कटाई, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, नर्सिंग, ब्यूटीपार्लर, मशरूम उत्पादन, हस्तशिल्प आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत रुचि के अनुसार काम का प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकार इन योजनाओं का प्रचार–प्रसार भी तेजी से कर रही है ताकि अपनी बहू–बेटियों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त किया जा सके और आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

(लेखक पेशे से अधिवक्ता है।)
ई–मेलः lalan_kumar41@yahoo.com

ग्रामीण युवा और शिक्षा

—पीयूष कुमार दुबे

ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं का एक बड़ा हिस्सा अशिक्षा और जागरुकता की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में, आज एक ऐसी राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता महसूस होती है, जो केवल ग्रामीण युवाओं की शिक्षा सम्बन्धी स्थिति में सुधार लाने पर केन्द्रित हो। यह नीति राष्ट्रीय युवा नीति-2014 के अंतर्गत भी सम्मिलित की जा सकती है। चूंकि ग्रामीण युवाओं के सशक्तीकरण की प्राथमिक शर्त शिक्षा ही है, इसलिए इसको विशेष रूप से महत्व देना अनिवार्य है।

किसी भी देश की प्रगति का सर्वाधिक दारोमदार उसकी युवा पीढ़ी के कंधों पर होता है। इस दृष्टि से भारत की स्थिति संपन्न कही जा सकती है। इस समय देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी की उम्र 35 साल से कम है यानी कि वो युवा है। इनमें से अधिकांश युवा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। अतः अगर देश को अपनी युवा संपदा का सम्पूर्ण लाभ प्राप्त करना है तो उसके लिए अनिवार्य है कि ग्रामीण युवा भी सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक रूप से सशक्त हो। इस बात के मद्देनजर ग्रामीण युवाओं के सशक्तीकरण के लिए पूर्व की सरकारों से लेकर वर्तमान सरकार तक विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए हैं। विचार करें तो ग्रामीण युवाओं के सशक्तीकरण हेतु जो सर्वाधिक पहली आवश्यकता है, वो ये कि उनमें देश और समाज के प्रति जागरुकता का विकास किया जाए। जागरुकता के विकास की प्राथमिक शर्त यह होती है कि व्यक्ति शिक्षित हो। इस प्रकार समझा जा सकता है कि ग्रामीण युवा सशक्तीकरण में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसी संदर्भ में अगर राष्ट्रीय युवा नीति–2014 पर एक दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि उसमें निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वरीयता क्षेत्रों में शिक्षा को पहले स्थान पर रखा गया है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 को फरवरी 2014 में शुरू किया गया। मई 2014 से अब तक की अवधि में इस नीति के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई और उसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में वितरित किया गया ताकि उसे लागू किया जा सके।

राष्ट्रीय युवा नीति 2014

राष्ट्रीय युवा नीति 2014 (एनवाईपी–2014) का उद्देश्यात्मक दृष्टिकोण है– "देश के युवाओं को अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने योग्य बनाना तथा उनके माध्यम से भारत को विश्व समुदाय में अपना सही स्थान प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाना।" इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एनवाईपी–2014 द्वारा पांच उद्देश्यों और उनके विविध वरीयता क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। हम देख सकते हैं कि इनमें प्रथम स्थान पर शिक्षा है, फिर रोजगार और कौशल विकास, उद्यमशीलता आदि का स्थान है। शिक्षा की यह प्रथम वरीयता आवश्यक भी है, क्योंकि चाहे कौशल विकास से संबंधित योजना हो या स्वरोजगार से अथवा अन्य किसी क्षेत्र से, युवा सशक्तीकरण और उनमें भी विशेष रूप से ग्रामीण युवा सशक्तीकरण की किसी भी प्रकार की योजना एवं कार्यक्रम का अपने निर्धारित लक्ष्य को समुचित रूप से प्राप्त करने में शिक्षा का महत्व निर्विवाद है।

युवा सशक्तीकरण में शिक्षा के महत्व को और बेहतर ढंग से समझने के लिए अगर वर्तमान सरकार द्वारा रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता विकास के जरिए युवा सशक्तीकरण के उद्देश्य से प्रेरित स्टैंडअप इंडिया और स्टार्टअप इण्डिया जैसी योजनाओं का उल्लेख करें तो हम देखते हैं कि ये योजनाएं और इनके प्रावधान तो बेहतर हैं, किन्तु इनकी पूर्ण सफलता इस बात पर निर्भर है कि युवाओं में इनके प्रति कितनी समझ और जागरुकता है। ये समझ और जागरुकता शिक्षा के द्वारा ही आ सकती है। व्यक्ति की मूल

क्र.सं.	वरीयता क्षेत्र	सुझाए गए उपाय
1.	शिक्षा	• तंत्र की क्षमता और गुणवत्ता का निर्माण • कौशल विकास और जीवन पर्यन्त अधिगम का संवर्धन
2.	रोजगार और कौशल विकास	• लक्षित युवा आउटरीच और जागरुकता • तंत्र और पणधारियों के बीच संपर्क बनाना • अन्य भागीदारों की तुलना में सरकार की भूमिका परिभाषित करना
3.	उद्यमशीलता	• लक्षित युवा आउटरिच कार्यक्रम • क्षमता निर्माण के लिए प्रभावी कार्यक्रमों में वृद्धि करना • युवा उद्यमशीलता के लिए कार्यक्रम तैयार करना • वृहत मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन प्रणाली क्रियान्वित करना
4.	स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन शैली	• सेवा प्रदान करने में सुधार • स्वास्थ्य, पोषण और उपचारात्मक देखभाल के प्रति जागरुकता • युवाओं के लिए लक्षित रोग नियंत्रक कार्यक्रम
5.	खेल	• खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण तक अधिक पहुंच • युवाओं में खेल संस्कृति का संवर्धन • प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए सहायता और विकास
6.	सामाजिक मूल्यों का संवर्धन	• मूल्य शिक्षा प्रणाली को औपचारिक बनाना • युवाओं के लिए भागीदारी कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना • मूल्यों और सद्भावना के प्रसार के लिए कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों और लाभ संगठनों को सहायता प्रदान करना
7.	समुदाय भागीदारी	• मौजूदा समुदाय विकास संगठनों का प्रसार करना • सामाजिक उद्यमशीलता का संवर्धन करना
8.	नीति और अभिशासन में भागीदारी	• राजनीतिक तंत्र से बाहर युवाओं की भागीदारी • ऐसा अभिशासन तंत्र तैयार करना जिसका युवा प्रसार कर सके • शहरी अभिशासन में युवा भागीदारी का संवर्धन करना
9.	युवा भागीदारी	• युवा विकास योजनाओं की प्रभाविता के उपाय और निगरानी • युवाओं के साथ भागीदारी के लिए मंच तैयार करना
10.	समावेशन	• लाभ वंचित युवाओं के लिए भागीदारी और क्षमता निर्माण • संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं के लिए आर्थिक अवसर सुनिश्चित करना • विकलांग युवाओं को सहायता के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करना • युवाओं को जोखिम से बचाने के लिए जागरुकता एवं अवसर प्रदान करना
11.	सामाजिक न्याय	• अनुचित सामाजिक पद्धतियों को दूर करने के लिए युवाओं को समर्थ बनाना • सभी स्तरों पर न्याय तक पहुंच को सुदृढ़ करना

शिक्षा से लेकर अन्य विशेष प्रशिक्षणों तक इस शिक्षा का स्वरूप कई प्रकार का हो सकता है। उदाहरणार्थ, स्टैंडअप इंड़िया योजना के तहत व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से अपना पंजीकरण करने से लेकर उद्यमिता कर्ज के आवेदन तक सब कुछ बैठे–बैठे कर सकता है। अब शहरी युवाओं में तो इंटरनेट की समझ है तथा अन्य सरकारी गतिविधियों के विषय में जागरुकता भी है, इसलिए वे इन व्यवस्थाओं का सहज ढंग से लाभ ले सकते हैं। लेकिन, ग्रामीण युवाओं जिनमें अब भी इंटरनेट को लेकर व्यापक रूप से समझ का विकास नहीं हुआ है, के लिए ये सरल व्यवस्था भी अत्यंत दरुह है। कारण कि उनमें इस विषय की शैक्षिक समझ नहीं है। लेकिन यह समस्या सिर्फ इंटरनेट शिक्षा तक सीमित नहीं है। यह बात सरकार की अन्य ग्रामीण युवा सशक्तीकरण से सम्बंधित योजनाओं पर भी लागू होती है, जिनमें योजना के स्वरूप अनुसार ही अपेक्षित शिक्षा का स्वरूप भी बदलता रहता है। मूल बात यह है कि युवा सशक्तीकरण की कोई भी योजना युवाओं विशेषतः ग्रामीण युवाओं में शैक्षिक विकास के बिना कभी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि सरकार इस बात से अपरिचित है और इस दिशा में कुछ कर नहीं रही। पूर्व की सरकारों से लेकर वर्तमान सरकार तक, सभी के द्वारा युवा सशक्तीकरण से सम्बद्ध अपनी विविध योजनाओं में ग्रामीण युवाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इस संदर्भ में पूर्व सरकारों समेत वर्तमान सरकार द्वारा की गई कुछ पहलों का उल्लेख करना समीचीन होगा।

नेहरू युवा केंद्र

भारत सरकार द्वारा सन 1972 में विशेषतः ग्रामीण युवाओं की सहज क्षमताओं का विकास कर उन्हें गरीबी से मुक्ति दिलाने तथा विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई। यह विश्व के सबसे बड़े युवा संगठनों में से एक है। सन 1987 में इसे एक स्वायत्तता प्राप्त संस्था का दर्जा हासिल हो गया। इस संस्था की गतिविधियों के संकेंद्रित क्षेत्रों में साक्षरता और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक मुद्दों पर जागरुकता, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, नागरिक शिक्षा आदि प्रमुख हैं। इनमें शिक्षा और जागरुकता से सम्बद्ध क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया गया है। नेयुके (नेहरू युवा केंद्र) की कार्यप्रणाली पर नजर डाले तो इसके कार्यक्रम प्रत्येक जिले में जिला युवा समन्वयक जो जिला–स्तर पर नेयुके का प्रतिनिधि होता है, तथा प्रत्येक ब्लॉक में दो राष्ट्रीय युवा कॉर्प्स के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। कार्यक्रमों के संचालन हेतु सलाह देने के लिए जिला–स्तर पर समितियों का भी गठन किया गया है, जिनमें सरकारी और गैर–सरकारी दोनों ही तरह के सदस्य शामिल हैं। नेयुके के कोर कार्यक्रमों में से ज्यादातर कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं की शिक्षा और जागरुकता पर केन्द्रित हैं। ऐसे कुछ कार्यक्रमों पर नजर डालना उचित होगा।

युवा क्लब विकास कार्यक्रम – नेयुके के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचाना तथा लोगों में उनके प्रति जागरुकता का विकास करना है। यह एक पांच–दिवसीय कार्यक्रम होता है, जिसमें नेयुके के 50 युवा क्लब शामिल होते हैं, जिनके सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत प्रधानों तथा ग्रामीण नेताओं आदि के माध्यम से ग्रामीण लोगों से मेल–मिलाप तथा संवाद किया जाता है। ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 15000 की राशि आबंटित की जाती है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2015–16 में इस तरह के 2631 कार्यक्रम किए जाने थे।

युवा नेतृत्व एवं समुदाय विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण – यह तीन दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमे 20–30 युवा क्लबों के समूह से 40 भागीदार शामिल होते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 27,500 रूपये का आबंटन होता है। 2015–16 तक ऐसे 2631 कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित है, जबकि गत वर्ष के आखिर तक 53504 युवाओं को शामिल करते हुए 1075 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षण आदि माध्यमों से युवाओं में राष्ट्र निर्माण के योग्य क्षमताओं का विकास करना है। इस कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य ग्रामीण युवा ही हैं।

शीर्षक आधारित जागरुकता एवं शिक्षा कार्यक्रम – यह एकदिवसीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य युवाओं में स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक हित के अन्य मुद्दों के प्रति जागरुकता का विकास करना है। इसमें प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 8000 रुपये का आबंटन होता है। वर्ष 2015–16 में ऐसे 6779 कार्यक्रमों के आयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिनमें से 1462 कार्यक्रम 117333 युवाओं की सहभागिता के साथ वर्ष 2015 के आखिर तक किए जा चुके थे।

जिला युवा सम्मेलन और युवा कृति – यह कार्यक्रम नेयुके की जिला–स्तरीय इकाइयों द्वारा ग्रामीण युवा नेताओं से संवाद स्थापित करने को, उनके उत्पादों को प्रदर्शन करने हेतु तथा युवा सशक्तीकरण के लिए सुझाव देने हेतु अवसर और मंच प्रदान करने के उद्देश्य से वार्षिक तौर पर किया जाता है। यह एक दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें प्रति जिले प्रत्येक कार्यक्रम के लिए तीस हजार रुपये का बजट आबंटित किया जाता है। वर्ष 2015–16 में ऐसे 623 कार्यक्रमों के आयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें से 433 कार्यक्रम 120853 युवाओं को शामिल करते हुए वर्ष 2015 के अंत तक आयोजित किए जा चुके थे। इसी प्रकार महिलाओं के कौशल उन्नयन, लोककला और संस्कृति सम्बन्धी जागरुकता के विकास आदि पर केन्द्रित और भी कई कार्यक्रम नेयुके द्वारा किए जाते हैं। इन सबका मूल उद्देश्य यही है कि युवाओं, विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं का सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक रूप से सशक्तीकरण किया जा सके। सुखद यह है कि इस संगठन के ये सभी कार्यक्रम आशावान ढंग से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत संचालित एक योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करना है। यह योजना माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के स्तर पर संचालित होती है। इसके तहत अध्यापकों एवं प्राध्यापकों के नेतृत्व में सौ–सौ छात्र स्वयंसेवकों की एनएसएस इकाइयां गठित की जाती हैं। प्रत्येक इकाई अपनी गतिविधियों के संचालन हेतु किसी गांव या झुग्गी–बस्ती को अपनाती हैं। यूं तो इन इकाइयों की गतिविधियां शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक सेवा कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण आदि विविध बिन्दुओं पर केन्द्रित होती है, किन्तु इनके कार्यक्रमों पर दृष्टि डालें तो शैक्षिक गतिविधियों पर विशेष बल नजर आता है। मोटे तौर पर इसकी गतिविधियां दो प्रकार की होती हैं–नियमित गतिविधियां और विशेष गतिविधियां। नियमित गतिविधियों के अंतर्गत प्रत्येक एनएसएस स्वयंसेवक के लिए 2 वर्ष तक प्रतिवर्ष न्यूनतम 120 घंटे की अध्यापन सेवा प्रदान करना आवश्यक होता है। ये कार्य एनएसएस इकाई द्वारा लिए गए गांव या झुग्गी–बस्ती आदि में छात्रों की छुट्टी के समय किया जाता है। विशेष गतिविधियों के तहत ग्रहित गांवों या झुग्गी बस्तियों में सात दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यों के द्वारा ग्रामीण व झुग्गियों में रहने वाले युवाओं को देश–समाज के प्रति जागरूक कर उनमें विकास की भावना उत्पन्न करने का लक्ष्य होता है। वर्ष 2015–16 के दौरान एनएसएस के अंतर्गत 2015 के आखिर तक नामांकित स्वयंसेवकों की संख्या 2450605 तक पहुंच गई थी, जिसमें कि अब तक और भी वृद्धि हुई होगी। अबतक एनएसएस की 1842 स्व–वित्तपोषित इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है तथा इन्होंने अपनी गतिविधियों के संचालन हेतु 23025 गांवों की झुग्गी–बस्तियों को अपनाया है।

राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन

'राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन' प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना 'डिजिटल इंडिया' के अंतर्गत संचालित एक कार्यक्रम है। इसमें प्रशिक्षण के दो स्तर सुनिश्चित किए गए हैं। पहला स्तर है–डिजिटल साक्षरता का मूल्यांकन जिसके अंतर्गत व्यक्ति को मोबाइल, टेबलेट आदि के माध्यम से ईमेल भेजने, प्राप्त करने तथा अन्य सूचनाएं प्राप्त करने जैसे इंटरनेट के मूलभूत उपयोगों से परिचित कराया जाएगा। दूसरा स्तर है–डिजिटल साक्षरता की मूल बातें। इसके अंतर्गत लोगों को सरकारी योजनाओं व सुविधाओं आदि को इंटरनेट प्रौद्योगिकी के माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 9719258 व्यक्तियों का नामांकन हुआ है, जिनमे से 7049014 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। साथ ही, 3229798 व्यक्तियों को प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र भी दिया जा चुका है। लोगों को जोड़ने की इसकी प्रणाली कुछ यूं है कि देश के प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों के प्रत्येक ब्लॉक से प्रत्येक परिवार के एक पात्रताधारी सदस्य का चयन करना तथा उन्हें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से सम्बंधित प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त नेहरू

युवा केंद्र आदि संगठनों के माध्यम से भी इस साक्षरता मिशन को जोड़ा गया है।

राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (एन.वाई.एल.पी.)

युवाओं में नेतृत्व के गुणों के विकास के उद्देश्य से दिसंबर 2014 में एक नई योजना 'राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम' शुरु की गई। यह योजना युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरु की गई है। इस योजना के पांच घटक हैं–

- पड़ोस युवा संसद; विकास के लिए युवा; राष्ट्रीय युवा नेतृत्व पुरस्कार; राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद; राष्ट्रीय युवा विकास कोष।

पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का प्रभाव काफी सकारात्मक रहा है। इन कार्यक्रमों के तहत युवाओं को तात्कालिक मुद्दों पर शिक्षित किया जा रहा है। और उन्हें इन मुद्दों पर आयोजित चर्चा/परिचर्चाओं में शामिल किया जा रहा है। इससे युवाओं में नेतृत्व के गुणों के विकास में मदद मिली है।

युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय के एक अन्य कार्यक्रम 'पुनर्जागरण कार्यक्रम' के माध्यम से देशभर में शांति और वैश्विक भाईचारे, स्वयंसेवा, स्वच्छ भारत अभियान, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ प्रचार और जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ जैसी पहलों और सरकारी कार्यक्रमों के बारे में भी जागरुकता का प्रसार किया गया।

निष्कर्ष

उपर्युक्त समस्त तथ्यों और विश्लेषणों के उपरांत यह स्पष्ट है कि शिक्षा, ग्रामीण युवाओं के सशक्तीकरण की मुख्य कुंजी है। ग्रामीण युवाओं में शैक्षिक विकास के बिना उनके सशक्तीकरण की किसी भी योजना का सम्पूर्ण लाभ उन तक पहुंचना संभव नहीं है। इसीलिए पिछली सरकारें भी अपनी विभिन्न योजनाओं में इस बिंदु पर पहले भी जोर देते हुए कदम उठाती रही हैं और वर्तमान सरकार द्वारा भी इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनका संतोषजनक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन, कुछ समस्याओं के चिन्हित न होने के कारण तो कुछ वर्तमान योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन की कमी के चलते ये सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं पड़ रहे। अब ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं का एक बड़ा हिस्सा अशिक्षा और जागरुकता की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में, आज एक ऐसी राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता महसूस होती है, जो केवल ग्रामीण युवाओं की शिक्षा सम्बन्धी स्थिति में सुधार लाने पर केन्द्रित हो। यह नीति राष्ट्रीय युवा नीति–2014 के अंतर्गत भी सम्मिलित की जा सकती है। क्योंकि, ग्रामीण युवाओं के सशक्तीकरण की प्राथमिक शर्त शिक्षा ही है, इसलिए इसको विशेष रूप से महत्व देना अनिवार्य है।

(लेखक युवा पत्रकार हैं और समसामयिक विषयों पर निरंतर लिखते रहते हैं।)
ई–मेल: sardarpiyush24@gmail.com

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को देश में कुशल मानव शक्ति विकसित करने के सबसे कुशल तरीकों में से एक माना जाता है। औपचारिक प्रशिक्षण का यह उद्योग के नेतृत्व वाला, अभ्यास उन्मुख, प्रभावी और कुशल तरीका प्रदान करता है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति, 2015 भी भारत में कुशल मानवशक्ति तैयार करने में प्रशिक्षुता को प्रमुख घटकों में से एक के रूप में देखती है। वर्तमान योजना का लक्ष्य भी राष्ट्रीय नीति, 2015 में बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त करना है। इस नीति का प्रस्ताव 2019–20 तक देश में अवसरों में दस गुना वृद्धि करने के लिए एमएसएमई समेत उद्योगों के साथ सक्रिय रूप से काम करने का है।

हाल ही में कैबिनेट ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। वर्ष 2019–20 तक 50 लाख प्रशिक्षुओं के लक्ष्य के साथ इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का खर्च रखा गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीटी) द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा। इसमें प्रशिक्षुओं को जोड़ने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। एक प्रशिक्षु को दिए जाने वाले कुल वजीफे का 25 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सीधे नियोक्ताओं को दिया जाएगा। यह पहली बार है कि एक ऐसी योजना बनाई गई है जिसमें प्रशिक्षुओं को जोड़ने के लिए नियोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा, इसमें बुनियादी प्रशिक्षण को समर्थन दिया गया है जो प्रशिक्षुता प्रशिक्षण का एक आवश्यक हिस्सा है। बुनियादी प्रशिक्षण में वहन किए जाने वाले कुल खर्च का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह योजना पूरे देश में प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को प्रेरित करेगी और सभी हितधारकों के लिए लाभ की स्थिति बनेगी। इसके देश में सबसे शक्तिशाली कौशल प्रदान करने वाला मंच बनने की संभावना है।

स्वस्थ युवा से ही बनेगी मजबूत नींव

—श्रवण शुक्ल

भारत युवाओं का देश है। युवा ही आगे चलकर देश चलाएंगे। पर युवा आगे तब बढ़ेंगे, जब वो स्वस्थ रहेंगे। और इन्हीं स्वस्थ युवाओं के दम पर ही देश सशक्त बनेगा। युवाओं के स्वास्थ्य को लेकर तमाम सरकारी योजनाएं भी चल रही हैं, जिनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। साथ-साथ उन तमाम पहलुओं को भी चर्चा की गई है जिनके चलते आज की युवा पीढ़ी शारीरिक और मानसिक रूप से बीमारियों और तनाव से ग्रस्त हो रही है।

भारत देश की आत्मा गांवों में बसती है। गांवों की आत्मा जिंदादिल युवकों में बसती है। किसी भी ऐसे गांव, जहां जिंदादिल और स्वस्थ युवा न हो, वहां खुशहाली आती ही नहीं है, ये अटल सत्य है। भारत युवाओं का देश है। युवा ही आगे चलकर देश चलाएंगे। पर युवा आगे तब बढ़ेंगे, जब वो स्वस्थ रहेंगे। और इन्हीं स्वस्थ युवाओं के दम पर ही देश सशक्त बनेगा।

युवा शक्ति है देश की जमापूंजी – सयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यू.एन.एफ.पी.ए. ने वर्ष 2014 तक की युवाओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारत को सर्वाधिक युवाओं वाला देश बताया गया। देश की कुल जनसंख्या में करीब 28 प्रतिशत आबादी यानी लगभग 30 करोड़ 50 लाख लोग 10 से 24 आयु वर्ग के हैं।

इस रिपोर्ट में शामिल की गई बातों से एक मजबूत, सशक्त और विकसित भारत को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं अपितु इस रिपोर्ट में भी भारत की संभावनाओं को लेकर विश्वास व्यक्त किया गया है। वास्तव में जिस तरह से आज पूरा देश अपनी 'युवा शक्ति' को लेकर आशान्वित है, जिस तरह से लोग युवा कंधों पर भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर होते देखने की कामनाएं कर रहे हैं। ये कामना तभी सफल होगी, जब भारत, विशेषकर ग्रामीण भारत का हरेक युवा न केवल पढ़े–लिखे, बल्कि पूरी तरह से स्वस्थ रहकर अपनी और देश की प्रगति में सहायक बने।

अत्यंत आवश्यक है कि युवा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनें और अपने खान–पान का ध्यान रखते हुए जीवनशैली से सम्बंधित आदतों को सुधारें अन्यथा बीमारियों की मार से उन्हें पीड़ित एवं परेशान रहना पड़ेगा। अस्वस्थ युवा न तो अपने लिए कुछ कर सकता है न तो देश और समाज के लिए।

देश के प्रोफेशनल्स की सेहत पर नजर रखने वाले संस्थान नेशनल इंस्टिट्यूट आफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ की रिपोर्ट को ध्यान में रखें तो बीते पांच सालों में युवाओं की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन में, मेट्रो शहरों में काम करने वाले युवा अनिद्रा और तनाव का शिकार पाए गए हैं। देश के 31.2 प्रतिशत कामकाजी युवा किसी न किसी तरह के दर्द से परेशान हैं जिसमें माइग्रेन प्रमुख है। 65 प्रतिशत युवा वर्ग दर्द से परेशान हैं जिसकी वजह रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, अनियमित दिनचर्या और बेतरतीब खान–पान को बताया गया है। 65 प्रतिशत कामकाजी युवा किसी न किसी तरह के दर्द के कारण 6–8

घंटे की सामान्य नींद भी नहीं ले पाता। 41 प्रतिशत युवाओं का लगातार दर्द की वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर असर हो रहा है। (स्रोतः अखंड ज्योति अक्टूबर, 2015)

आनुवांशिक बीमारियों के अलावा बेतरतीब, भागदौड़ वाली, सिगरेट और शराब वाली तनावयुक्त जीवनशैली आजकल हमारी युवापीढ़ी को बर्बाद कर दे रही है। ये सब कुछ हमारे ग्रामीण जीवन में भी होने लगा है। हमारे बच्चे गलत तरीके की जीवनशैली जी रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा युवा वर्ग अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है।

वैसे आपकी व्यक्तिगत जिन्दगी में दखल देने का न मेरा कोई अधिकार है और न ही कोई मंशा है। फिर भी सोचा कि आप के साथ कुछ तथ्य साझा कर लिए जाएं। क्या आप जानते हैं कि 1971 में भारत में डायबिटीस 1.2 प्रतिशत लोगों को थी जोकि वर्ष 2000 में 12.1 प्रतिशत, यानी कि 10 गुना बढ़ गई? क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2013 में 20–79 वर्ष के बीच की आयु वाले 6 करोड़ 20 लाख लोगों को भारत में डायबिटीज है, जोकि 2030 में 10 करोड़ लोगों में होगी 2013 के एक शोध के अनुसार भारत में लगभग 8 करोड़ लोगों को प्री डायबिटीज है। भारत में वर्ष 2010 में 10 लाख लोगों की मौत डायबिटीज से हुई थी कि भारत में 20 प्रतिशत लोगों को कोई एक पुरानी (Chronic) बीमारी है और 10 प्रतिशत लोगों को एक से ज्यादा पुरानी बीमारी है। भारत में 30–59 वर्ष की आयु में दिल की बीमारी से से मरने वालों की संख्या अमरीका में इसी आयु वर्ग में मरने वालों से दुगुनी है। भारत के युवाओं में डायबिटीज पश्चिमी देशों के मुकाबले 10–20 वर्ष पहले शुरू हो जाती है। डायबिटीज से दिल का दौरा पड़ने का खतरा दुगुना हो जाता है, स्नायु–तंत्र पर विपरीत असर होता है, दृष्टिदोष उत्पन्न हो सकता है, और किडनी भी खराब हो सकती हैं।

यदि आप के किसी जानने वाले को डायबिटीज है तो दवा बनाने वाली कम्पनी आपको मन ही मन धन्यवाद करती होगी क्योंकि 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2280 करोड़ की दवा सिर्फ एक वर्ष में डायबिटीज के रोगियों ने खरीदी थी। मुझे लगता है कि हमें 'सपनों की बुनियाद' को समझने का प्रयास करना होगा। हमें आज के युवा भारत की वास्तविकता को समझने का प्रयास करना होगा। स्वयं एक युवा होने के बावजूद मैं आशंकित हूं कि क्या वास्तव में हम देश को अपने कंधों पर वह गति देने को तैयार हैं? क्या हम उस दिशा में अग्रसर हैं कि करोड़ों देशवासियों की उम्मीदों का भारत बना सके? अपनी भावनाओ को दरकिनार कर, इन प्रश्नों का जवाब ढूंढ़ना ही होगा।

युवाशक्ति को दिलानी होगी नशाखोरी से मुक्ति – नशाखोरी युवाओं की सबसे गंभीर समस्या है। आज जिस तरह से युवाओं में अपने आपको आधुनिक और फिल्मी दिखने के प्रयास में मादक पदार्थों के सेवन का प्रचलन बढ़ रहा है, उससे वास्तव में एक व्यक्ति के रूप में हमारी संभावनाओं पर प्रश्नचिन्ह लग चुका है। दुर्भाग्य तो यह कि आज युवाओं में यह गलतफहमी पैदा हो चुकी है कि बड़ा आदमी बनने के लिए 'नशायुक्त जीवनशैली अपनाना आवश्यक है और इस प्रयास में हम छात्र जीवन में ही अपने माता–पिता की गाढ़ी कमाई को नशे के ठेकेदारों के यहां पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज हम शराब की बोतलों में आधुनिकता ढूंढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या यह स्थिति हमारी दिशाहीनता की परिचायक नहीं है? हमें सोचना होगा कि जो 'युवा' स्वयं नशे में चूर हो, जो मानसिक और वैचारिक रूप से अपंगता का शिकार हो वो कभी राष्ट्र और समाज को सही दिशा नहीं दिखा सकता है। ऐसे में हमें युवाशक्ति को नशाखोरी से दूर रखना होगा, ताकि वो जिम्मेदार बन अपने परिवार और समाज के साथ ही देश की तरक्की में सहयोग कर सकें।

हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो युवा महिलाओं के स्वास्थ्य की बात भी जरूर की जानी चाहिए। ये अटल सत्य है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही शादी की औसत उम्र बढ़ी है, पर अब भी ये 19 वर्ष के आसपास ही है। यूं भी किशोरावस्था में शादी और फिर बाल–बच्चों का बोझ ढोना कोई आसान बात नहीं है। बालिकाओं को किशोरावस्था में जो कुछ अनुभव होता है वह उनके जीवन और उनके परिवार को संवारने में मुख्य भूमिका अदा करता है। विकासशील देशों में कई लड़कियों में किशोरावस्था एक ऐसा पड़ाव है जहां उन्हें जोखिम का सामना करना पड़ता है जिनमें स्कूल छोड़ना, बाल–विवाह और समय से पहले गर्भधारण करने जैसी समस्याएं शामिल हैं। गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान किशोर बालिकाओं को अधिक उम्र की महिलाओं की अपेक्षा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाएं अपेक्षाकृत कम उपलब्ध हो पाती हैं, जिनमें आधुनिक गर्भनिरोध एवं कौशल सहायता शामिल हैं। इनमें से कई गरीब हैं। साथ ही पारिवारिक आय में उनका नाममात्र का नियंत्रण है। उनमें यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में उपयुक्त जानकारी का अभाव है और वे अपने स्वास्थ्य के बारे में स्वतंत्र निर्णय लेने में अक्षम होती हैं।

समग्र विकास रणनीति के संदर्भ में जनसंख्या से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल ध्यान केंद्रित करने के क्रम में वर्ष 1989 से प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वैसे भी, किशोरावस्था में गर्भधारण का एक बालिका, उसके परिवार, उसके समुदाय और उसके राष्ट्र के लिए सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम का कारण होता है। कई लड़कियां गर्भवती होने के बाद कॉलेज नहीं जा पाती और

भविष्य निर्माण के लिए उपलब्ध अवसरों का लाभ नहीं उठा पाती। महिला शिक्षा काफी मजबूती से उनकी अर्जन क्षमता, उनके स्वास्थ्य और उनके बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। इस प्रकार किशोर गर्भावस्था, गरीबी चक्र एवं खराब स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। युवा बालिका चाहे वह विवाहित हो या नहीं, गर्भावस्था के दौरान उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ग्रामीण भारत में विवाहित युवाओं/किशोरों पर समाज का यह दबाव होता है कि वह बच्चों को जन्म दे और इस प्रकार परिवार नियोजन सेवाओं से वंचित रह जाती हैं। वहीं अविवाहित किशोर बालिकाओं में समाज की इस बात का डर होता है कि उन्हें समाज में स्वीकार किया जाएगा या नहीं। लगभग 1.6 करोड़ बालिकाएं प्रतिवर्ष 18 वर्ष से कम उम्र में ही मां बन जाती हैं, जबकि अन्य 32 लाख बालिकाओं को असुरक्षित गर्भपात से गुजरना पड़ता है। विकासशील देशों में लगभग 90 प्रतिशत किशोर गर्भावस्था विवाहितों की हैं, लेकिन इनमें से कई लड़कियों के लिए गर्भावस्थां के बारे में उनकी इच्छा है या नहीं, इसका विकल्प नहीं होता और अक्सर भेदभाव, अधिकारों का उल्लंघन (बाल विवाह सहित) या अपर्याप्त शिक्षा जैसे परिणाम देखने को मिलते हैं।

किशोर गर्भावस्था एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है और एक युवा माता को अपने बच्चों के साथ–साथ कई मातृत्व समस्याओं, मृत्यु एवं अक्षमता जैसे जोखिम का सामना करना पड़ता है। यह एक मानवाधिकार से भी जुड़ी समस्या है जिसमें किशोर गर्भावस्था के कारण उनका बचपन खत्म हो जाता है और उन्हें पर्याप्त शिक्षा का अवसर उपलब्ध नहीं होता। इसलिए हमें किशोरों को उचित उम्र का अवसर और यौन शिक्षा के बारे में उचित जानकारी देनी चाहिए। यह युवा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है ताकि वह इस बात का निर्णय कर सकें कि उन्हें मां बनने की जरूरत कब है। इसके अतिरिक्त हमें विस्तृत यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिसमें परिवार नियोजन एवं एचआईवी जैसे यौन संचरित संक्रमण की रोकथाम और उपचार शामिल हैं। मातृत्व स्वास्थ्य सुविधा महिलाओं को हर हाल में उपलब्ध होनी चाहिए।

किशोर गर्भावस्था में नवजात शिशुओं पर खतरा होता है। किशोर माताओं से जन्म लेने वाले बच्चों में जीवन के पहले महीने के दौरान मृत्यु का खतरा 50 प्रतिशत से ज्यादा होता है। किशोर माता की उम्र जितनी कम होगी बच्चे पर खतरा उतना ही ज्यादा होगा। निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में असुरक्षित गर्भपात का 15 प्रतिशत 15 से 19 वर्ष आयु वाली किशोर लड़कियों में देखा जाता है। वर्ष 2008 में, अनुमानतः 32 लाख असुरक्षित गर्भपात विकसित देशों में 15 से 19 वर्ष की आयु वाली लड़कियों में पाए गए जिन्हें अधिक उम्र वाली महिलाओं की अपेक्षा गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुल मातृ–मृत्यु का 13 प्रतिशत असुरक्षित गर्भपात के कारण होता है।

दुनियाभर में 15 से 24 वर्ष के 41 प्रतिशत युवाजन एचआईवी संक्रमण से ग्रस्त हैं। किशोर लड़कों की तुलना में किशोर युवतियों में एचआईवी से ग्रस्त होने का खतरा अधिक रहता है। दुनियाभर के युवा लोगों में सभी नए संक्रमणों से ग्रस्त युवा महिलाओं की संख्या 64 प्रतिशत है। वर्ष 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार देश में 225 मिलियन किशोर हैं, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5वां (22 प्रतिशत) हिस्सा हैं। कुल किशोर जनसंख्या का 12 प्रतिशत 10 से 14 वर्ष आयु वर्ग का हैं और लगभग 10 प्रतिशत 15 से 19 वर्ष की आयु वर्ग का हैं। इस आयु वर्ग में उनका स्वस्थ वयस्कों के रूप में विकास सुनिश्चित करने के लिए उनके स्वास्थ्य हेतु आवश्यक पोषण, शिक्षा, परामर्श और मार्गदर्शन के लिए चलायमान चरण शामिल हैं।

इस आयु वर्ग के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षणों से प्राप्त किशोरों से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं–

- 10 से 15 आयु वर्ग की आधे से अधिक लड़कियों में खून की कमी है– 56 प्रतिशत (एनएफएचएस–3)
- आधे से अधिक भारतीय महिलाओं (58 प्रतिशत) की शादी 18 वर्ष की आयु होने से पहले ही हो जाती है। (एनएफएचएस–3)
- 15 से 19 आयु वर्ग की 16 प्रतिशत लड़कियां मां बन जाती हैं और मात्र 12 प्रतिशत जीवित बच्चों को जन्म देती हैं।
- 62 प्रतिशत किशोरियों को गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं का सामना करना पड़ता है और 15 से 19 आयु वर्ग की 52 प्रतिशत महिलाएं घर पर ही बच्चों को जन्म देती हैं।
- इस आयु वर्ग की सभी गर्भावस्थाओं के 8.3 प्रतिशत मामलों में स्वयं गर्भपात हुआ।
- सभी मातृ–मृत्यु में 15 से 24 आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या 45 प्रतिशत।
- ग्रामीण किशोरियों में नवजात शिशु मृत्युदर 60/1000 है।
- 20 वर्ष से कम आयु की माताओं में नवजात शिशु की मृत्यु का खतरा 50 प्रतिशत अधिक होता है। (एनएफएचएस–3)
- 20 वर्ष से कम आयु की गर्भवती लड़कियों में से केवल 66.2 प्रतिशत को प्रसव–पूर्व देखभाल के रूप में आयरन या फोलेड गोलियां दी गईं। (एनएफएचएस–3)

- खून की कमी के कारण हर साल 6 हजार युवा माताएं मर जाती हैं। (एनएफएचएस–3)
- इस आयु वर्ग की 47 प्रतिशत लड़कियों का वजन सामान्य से कम है। (एनएफएचएस–3)

यही वजह है कि भारत सरकार ने आरसीएच–।। कार्यक्रम में किशोर स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। किशोर प्रजनन और यौन–स्वास्थ्य (एआरएसएच) की कार्यक्रम कार्यान्वियन योजना (पीआईपी) में किशोरों की सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान जन–स्वास्थ्य प्रणाली के पुर्नगठन पर ध्यौन केंद्रित किया गया है। सामान्यत उप–केंद्र क्लिनिक के दौरान किशोरों को बेहतर सेवाएं और पीएचसी व सीएचसी स्तारों पर निर्धारित दिन और समय पर सेवा की उपलब्धि सुनिश्चित कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

इसी तरह कुछ राज्यों में भी ऐसी गतिविधियां शुरू की गई हैं। सेवाओं के महत्वपूर्ण पैकेज में निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक और परामर्श सेवाएं शामिल हैं। सभी किशोरों, विवाहित–अविवाहित लड़कियों और लड़कों को क्लिनिक सत्रों के दौरान किशोर–अनुकूल सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं और दिनचर्या समय के दौरान भी ये सेवाएं प्रदान की गई हैं। सभी राज्यौं ने इन्हें राज्यौं के पीआईपी में शामिल किया है। जिला अस्पयतालों, सीएचसी और पीएससी में लगभग 3 हजार किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक हैं। इन क्लिनिकों के साथ–साथ आम ओपीडी में प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास चल रहे हैं। चिकित्सा अधिकारी और एएनएम/एलएचवी/सलाहकारों को पूरे देश में किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। किशोरों के लिए आवश्याक गुणवत्तापूर्ण सेवाओं में वृद्धि करने के लिए इस नेटवर्क का विस्तार करने और इसे अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में 10–19 साल की उम्र की किशोरियों में मासिक स्वच्छता के प्रति जागरुकता लाने संबंधी नई योजना भी शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों (10–19 साल) को स्वच्छता और सेनिटरी नेपकिन के इस्तेमाल संबंधी पर्याप्त ज्ञान और जानकारी देना है। इस योजना को पहले चरण में 20 राज्यों के 152 जिलों में यानी देश के 25 प्रतिशत जिलों में शुरू किया गया है।

इसके अतिरिक्त सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 6–18 साल की उम्र के बच्चों और किशोर तथा किशोरियों की स्वास्थ्य जरूरतों की समस्या के समाधान के लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्कूली बच्चों पर विशेष रूप से केंद्रित यह एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान निकालना है। इसके अलावा इसमें पोषण संबंधी कार्यक्रमों के साथ शारीरिक गतिविधियों और परामर्श को भी बढ़ावा दिया जाता है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के घटकों में बीमारी, विकलांगता और किसी तरह की कमी की जांच और पूर्व प्रबंधन शामिल है। जांच, स्वास्थ्य देखभाल, सामान्य स्वास्थ्य, मूल्यांकन और खून की कमी, पोषण तत्व की स्थिति, दृष्टि तीक्ष्णता, दांतों की जांच, त्वचा, हृदय से जुड़ी जांच, शारीरिक विकलांगता, समझने में परेशानी, व्यवहार संबंधी समस्याओं हेतु रेफरल के जरिए स्वस्थ्य सेवा प्रावधान किए गए हैं। इस आयु वर्ग में प्रचलित साधारण बीमारियों के लिए मूलभूत दवाएं उपलब्ध् कराई जा रही हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार तय दिन पर टीकाकरण के साथ संबंधित मुद्दे पर शिक्षा को भी शामिल किया गया है।

किशोरियों की यौन और प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य जरूरतों के लिए किए गए कार्यों से उनके अधिकारों की रक्षा होगी तथा यह लड़कियों को काफी जल्दी बहुत सारे बच्चे पैदा करने से रोकने में मदद करेगा। जिससे माताओं के साथ बच्चों की जिंदगी को भी खतरा होता है। अनायास किशोरावस्था में गर्भधारण को रोकना और लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके अधिकारों में निवेश करने से उनकी जिंदगियों के अन्य पहलुओं में काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शिक्षित युवा महिला अपने परिवार के कल्याण में काफी सहयोग देने के साथ पारिवारिक आय और बचत बढ़ाने और भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और उन्नत अवसर प्रदान करने में योगदान देती है। (संदर्भ भारत सरकार द्वारा चलाई गई आरसीएच–।। योजना)

इसके अलावा भी संपूर्ण भारत में युवाओं के लिए तमाम शारीरिक शिक्षा योजनाएं हैं। युवावस्था में पहुंचने के साथ ही खेलकूद को लेकर तमाम सरकारी योजनाएं हैं। एनसीसी जैसी सेवा उन्हें शारीरिक, मानसिक रूप से देश की सेवा के प्रति जिम्मेदारी का अहसास कराती हैं। वहीं, स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के लिए खास घंटे भी निर्धारित किए गए हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि तमाम विकासशील देशों के मुकाबले युवाओं के स्वास्थ्य और जागरुकता संबंधित अधिकतर कार्यक्रम सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, पर दुख की बात ये है कि इन योजनाओं के लाभ जरुरतमंदों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकार लोगों तक पहुंचे और उन्हें जागरुक करने के और उपाय करे, क्योंकि अगर युवाशक्ति स्वस्थ रहेगी, तभी वो अपने देश को और सशक्त बना पाएगी।

(लेखक युवा पत्रकार हैं और स्वस्थ भारत अभियान से भी जुड़े हैं। वर्तमान में नेटवर्क 18 मीडिया समूह में कार्यरत हैं।)
ई–मेलः epatrakaan@gmail.com

युवाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए योजनाएं

—संगीता यादव

युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया 'स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया' का नारा बेहद कारगर साबित हो रहा है। वास्तव में यह कार्यक्रम बहुत प्रभावशाली अभियान है, जो भारतीय युवाओं के लिए नौकरी के अधिक अवसर प्रदान करेगा। भारत के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री की ओर से चलाए गए इस नए अभियान को लेकर युवाओ में गजब का जोश भी दिखाई पड़ रहा है। इस पहल से देश में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए योजना बनाई गई है। ये दुनिया भर में अपने देश के युवाओं की प्रतिभा को कारोबार के माध्यम से दिखाने में मदद करेगी।

केंद्र सरकार की ओर से 'स्टार्टअप इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' के जरिए देश को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए जा रहे इस प्रयास का व्यापक स्तर पर असर भी दिखाई पड़ रहा है। भारत दुनिया के उन सबसे युवा देशों में से है जहां 25 वर्ष से कम लोगों की कुल आबादी 54 प्रतिशत से अधिक है। ऐसे में सरकार इस आबादी को काम और कौशलयुक्त बनाना चाहती है। इसी उद्देश्य के साथ स्टार्टअप और मेक इन इंडिया सरीके तमाम कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

अभी तक दुनिया में व्यापार के माहौल के मामले में भारत का स्थान 135 पर है। ऐसे में सरकार अपने नियमों में खुलापन लाते हुए 50वें नंबर पर आने की कोशिश कर रही है। सरकार की ओर से स्किल डेवेलपमेंट को मूलमंत्र बनाया गया है। साथ ही देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 2022 तक बढ़ाकर 16 से 25 प्रतिशत करनी है। इसके जरिए विनिर्माण क्षेत्र में 2022 तक 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजित करने का भी लक्ष्य रखा गया है क्योंकि बेरोजगारी की समस्या देश में बढ़ी है। एक सर्वे के अनुसार 2030 तक बेरोजगारी लगभग 30 फीसदी होने का अनुमान है। संयुक्त

राष्ट्र के मुताबिक इस समय दुनिया भर में करीब 20 करोड़ बेरोजगार हैं। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा युवाओं का है। छह वर्ष पूर्व के वित्तीय संकट के बाद अर्थव्यवस्था सुधरने की गति खासी धीमी रही है। इस मामले में सबसे खराब हालत दक्षिण अफ्रीका की है, लेकिन भारत का हाल भी उससे ज्यादा अलग नहीं है। 2011 की जनगणना के मुताबिक कामकाजी उम्र की शुरुआत, यानी 15 से 24 वर्ष के बीच के 20 फीसदी से भी अधिक भारतीय बेरोजगार हैं। 30 से 34 साल की उम्र में बेरोजगारी की दर छह फीसदी है। इस तरह औसतन बेरोजगारी करीब 12 फीसदी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेरोजगारी एक जटिल समस्या बनती जा रही है। शिक्षा और रोजगार के बीच कोई संतुलन ही नहीं बन पा रहा है। यह सब अचानक नहीं हो गया। भारत में बेरोजगारी की समस्या युवाओं के लिए हमेशा परेशानी का सबब बनी रही है। ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए स्किल डेवलपमेंट का फंडा अपनाया गया है।

भारत की आबादी का करीब 70 प्रतिशत गांवों में रहता है जिसके कारण नौकरी करने लायक इन युवाओं की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 2022 में भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर महोत्सव होगा। राज्यों के नेतृत्व और केंद्र सरकार के निर्देशन में टीम इंडिया के बारे में प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता में अन्य उद्देश्यों के अलावा युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण देना शामिल है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। इस उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को न सिर्फ रोजगार उपलब्ध कराकर स्वावलंबी बनाया जा रहा है बल्कि रोजगार शुरू करने के लिए उन्हें ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें स्टार्टअप इंडिया को लेकर युवाओं में गजब का उत्साह दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए अगले चार साल में 10 हजार करोड़ रुपये फंड के बनाने की घोषणा की। इसमें हर साल 2500 करोड़ रुपये के फंड स्टार्टअप्स को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप से होने वाला लाभ तीन साल तक कर मुक्त रहेगा।

स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया

केंद्र सरकार की ओर से युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें हुनरमंद बनाना भी जरूरी है। वास्तव में स्टार्टअप का अर्थ देश के उन युवाओं से है जो आर्थिक रूप से खड़े होने की क्षमता रखते हैं, ऐसे में सरकार की ओर से मदद मिलने से उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिलेगा और देश के विकास में अपना योगदान भी दे सकेंगे। देश के अत्यधिक कुशल और बहु–प्रतिभाशाली युवा इस अभियान के माध्यम से पूरी तरह से लाभान्वित होंगे और नये रोजगारों का सृजन करने में सक्षम होंगे। ये अभियान मोदी सरकार की भारत को 2022 तक प्रत्येक को घर, बिजली, रोजगार और अन्य बेसिक आवश्यकताओं की उपलब्धता के साथ विकसित देश बनाने की प्रतिबद्धता का परिणाम है। इस कार्यक्रम के जरिए विश्व मानचित्र पर भी भारत को उपलब्धि हासिल होगी। अभी तक भारत 4,200 एंटरप्राइजेज के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है। भारत सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन से ही स्टार्टअप्स के मामले में पीछे है। दुनियाभर के निवेशक और वेंचर कैपिटलिस्ट भारत को स्टार्टअप्स की शुरुआत के लिए सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल ''स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया'' की बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को की थी। उन्होंने वादा किया था कि केंद्र सरकार इस पहल के जरिए युवा उद्यमियों को उद्यमशीलता में शामिल करके बहुत बेहतर भविष्य के लिये प्रोत्साहित करेगी। इसी मंशा के साथ प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत की। इसके तहत लगभग 125 लाख बैंकों की शाखाएं युवाओं (कम से कम एक दलित या आदिवासी और एक महिला उद्यमी) को ऋण प्रदान करके प्रोत्साहित करेंगी। ये अभियान भारत में लोगों के लिये नये रोजगारों का निर्माण करेगा। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विनिर्माण इकाइयों के प्रोत्साहन की सुविधा भी है। इस पहल को सफल करने के लिए ऑनलाइन कनेक्टिविटी के माध्यम से भारत के लगभग सभी उच्च शिक्षण संस्थानों की भागीदारी के प्रयासों की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम से भारत को दुनिया की स्टार्टअप राजधानी बनने में सहायता मिलेगी। स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया के शुरु किए जाने के साथ ही इस योजना की पूरी कार्यविधि पेश की जाएगी। एक उच्चस्तरीय अंतर–मंत्रालयी समूह की स्थापना के द्वारा एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की योजना बनायी गई है, जो नवाचार की देखरेख के साथ ही साथ स्टार्टअप प्रस्तावों के मूल्यांकन से ये सुनिश्चित करेंगे कि वो प्रोत्साहन के योग्य हैं या नहीं।

क्या है ''स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया''

वास्तव में यह यह नया अभियान है। इसके जरिए केंद्र सरकार देश के युवाओं की मदद करेगी। ये पहल युवाओं को उद्योगपति और उद्यमी बनने का अवसर देगी। स्टार्टअप का अर्थ, देश के युवाओं को बैंकों के माध्यम से वित्त प्रदान करना है जिससे उनकी शुरुआत बेहतर मजबूती के साथ हो ताकि वो भारत में अधिक रोजगार सृजन कर सकें। ये कार्यक्रम स्टार्टअप

को वित्त सहायता से सक्षम बनाने के लिए बड़ी शुरुआत है जिससे कि वो अपने नए अभिनव विचारों को सही दिशा में उपयोग कर सकें।

स्टार्टअप की खास–खास बातें

- इसके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम लागू होगा और तीन साल तक कोई जांच अधिकारी नहीं आएगा। तीन साल तक स्टार्टअप पर होने वाले लाभ पर कोई टैक्स नहीं होगा।
- स्टार्टअप के लिए पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का फंड है, जिसमें से 2500 करोड़ रुपये स्टार्टअप्स को दिए जाएंगे।
- चार साल तक 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का क्रेडिट गारंटी फंड बनाया जाएगा। पेटेंट फीस में 80 फीसदी की कमी की जाएगी। हैंडहॉल्डिंग की भी व्यवस्था की जाएगी।
- शेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स में छूट दी जाएगी। अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत भी की गई है जिसके तहत स्टार्टअप को प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। एंटरप्रेन्योर नेटवर्क बनाया जाएगा, स्टार्टअप को सीड कैपिटल देने के साथ कई अन्य सुविधाएं भी होंगी।
- 35 नए इन्क्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे। बच्चों में इनोवेशन बढ़ाने के लिए इनोवेशन कोर प्रोग्राम शुरू होगा। 5 लाख स्कूलों के 10 लाख बच्चों की पहचान की जाएगी जो इनोवेशन को आगे बढ़ा सकें।
- अपनी प्रॉपर्टी को बेच कर स्टार्टअप शुरू करने पर कैपिटल गेन टैक्स की छूट दी जाएगी।

स्टार्टअप्स एमएसएमई के लिए मानदंडों में ढील

सरकार ने स्टार्टअप्स एमएसएमई के लिए मानदंडों में ढील देने का निर्णय लिया है। निर्णय के मुताबिक, अगर एमएसएमई निर्धारित तकनीकी और गुणवत्ता मानकों के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं की डिलीवरी कर सकते हैं, तो उनके लिए पूर्व अनुभव और पूर्व कारोबार से जुड़े मानदंडों में ढील दी जाएगी। ऐसी स्थिति में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) से 20 फीसदी की अनिवार्य सरकारी खरीद में स्टार्टअप एमएसएमई को भी भाग लेने में मदद मिलेगी। यह ढील भारत में स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु दी गई है, जो सरकार के एजेंडे में काफी ऊपर है।

प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा बैंक की शुरुआत करते हुए सभी छोटे उद्यमियों को आसानी से ऋण मुहैया कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा था कि मुद्रा बैंक की स्थापना के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि छोटे उद्यमियों को व्यापार के लिए ऋण आसानी से मिले और उससे जुड़े कामगारों को रोजी–रोटी की समस्या ना हो। प्रधानमंत्री का मत है कि देश का एक बड़ा तबका छोटे उद्यमों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें बैंक कर्ज देने में कोताही बरतते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन और स्वरोजगार को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। छोटे उद्यमियों को ऋण देने से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़ेगा और आर्थिक वृद्धि तेज होगी। छोटा–मोटा कारोबार करने वाले कर्जदार ऋण का भुगतान समय पर करते हैं। भारत में बचत करना पुरानी आदत है और इस परंपरा को मजबूती से आगे बढ़ाने तथा स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी से मुद्रा बैंक की कल्पना आई। एनएसएसओ के 2013 के सर्वे के मुताबिक, तकरीबन 5.77 करोड़ लघु व्यासायिक इकाइयां हैं। इनमें से ज्यादातर एकल स्वामित्व के तहत चल रही हैं। इनमें व्यापार, निर्माण, रिटेल और छोटे स्तर की अन्य गतिविधियां शामिल हैं। इसकी तुलना में संगठित क्षेत्र और बड़ी कंपनियां 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। ऐसे में लघु क्षेत्र में न तो कोई नियामक है और न ही संगठित वित्तीय बैंकिंग प्रणाली से वित्तीय सहयोग या सहारा मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुद्रा बैंक की स्थापना की गई है। इस बैंक के जरिए दलितों और आदिवासी उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिले। उद्योग में अधिकतर कुशल श्रमिक दलित समुदायों से हैं। उनमें अपनी सूक्ष्म इकाइयां शुरू करने की संभावना है ।

मुद्रा बैंक के जरिए स्वावलंबी होंगे युवा

मुद्रा का पूरा नाम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फंड रिफाइनेंस एजेंसी है। इसके जरिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक के ऋण दिए जाएंगे। वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने बजट सत्र के दौरान अपने बजट भाषण में मुद्रा बैंक की स्थापना की घोषणा की थी। उन्होंने एक मुद्रा (सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी) बैंक खोलने का प्रस्ताव रखा था, जिसके पास 20,000 करोड़ रुपये की राशि और 3,000 करोड़ रुपये की साख गारंटी राशि होगी। मुद्रा बैंक बुनियादी तौर पर छोटी इकाइयों को वित्त उपलब्ध कराने की नीति बनाएगा और छोटी इकाइयों को कर्ज देने के लिए फंड उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तीन तरह के ऋण देने का प्रावधान किया गया है। इसमें पहले यानी शिशु योजना में 50 हजार रुपये तक के ऋण दिए जाएंगे। जबकि किशोर योजना में 50 हजार रुपये से 5 लाख रुपये और तरुण योजना के तहत 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक के ऋण देकर

युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुद्रा बैंक ठेले और खोमचे वालों को भी ऋण उपलब्ध कराएगा।

प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक के प्रमुख उद्देश्य

प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक का उद्देश्य है कि सूक्ष्म वित्त के ऋणदाता और कर्जदारिता का नियमन और सूक्ष्म वित्तप्रणाली में नियमन और समावेशी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उसे स्थायित्व प्रदान करना। इसके जरिए सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) और छोटे व्यापारियों, रिटेलर्स, स्वसहायता समूहों और व्यक्तियों को उधार देने वाली एजेंसियों को वित्त एवं उधार गतिविधियों में सहयोग दिया जाएगा। कर्ज लेने वालों को ढांचागत दिशानिर्देश उपलब्ध कराना, जिन पर अमल करते हुए व्यापार में नाकामी से बचा जा सके या समय पर उचित कदम उठाए जा सकें। डिफॉल्ट के केस में बकाया पैसे की वसूली के लिए किस स्वीकार्य प्रक्रिया या दिशानिर्देशों का पालन करना है, उसे बनाने में मुद्रा मदद करेगा। छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को प्रभावी ढंग से छोटे कर्ज मुहैया कराने की प्रभावी प्रणाली विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उपयुक्त ढांचा तैयार किया गया है। शुरुआती दौर में इसके लिए कुछ क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इसमें परिवहन, सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं, खाद्य उत्पाद और टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेक्टर प्रमुख हैं। इसके साथ ही स्वामित्व/साझेदारी फर्म लघु निर्माण इकाइयों के रूप में कार्यरत दुकानदार, फल–सब्जी विक्रेता, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, ट्रांसपोर्टर, ट्रक ऑपरेटर, हॉकर, सहकारिताएं या व्यक्तियों का निकाय, खाद्य सेवा इकाइयां, मरम्मत करने वाली दुकानें, मशीन ऑपरेटर, लघु उद्योग, दस्तकार, खाद्य प्रसंस्करण करने वाले, स्वयंसहायता समूह,10 लाख रुपये तक की वित्तीय अपेक्षा रखने वाले ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सेवाप्रदाता तथा पेशेवर व्यवसायों/उद्यम–इकाइयां आदि शामिल होंगे।

मेक इन इंडिया

केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए महत्वाकांक्षी मिशन मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली से की। मेक इन इंडिया को लांच करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ किया कि एफडीआई को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ फर्स्ट डेवलप इंडिया के रूप में समझा जाना चाहिए। उन्होंने निवेशकों से आग्रह किया कि वे भारत को सिर्फ बाजार के रूप में न देखें बल्कि इसे एक अवसर समझें। प्रधानमंत्री ने विदेशी निवेशकों को भरोसा दिया है कि विकास और विकासोन्मुख रोजगार भारत सरकार की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आम आदमी की क्रयशक्ति बढ़नी चाहिए क्योंकि इससे मांग बढ़ेगी और निवेशकों को फायदा मिलने के साथ–साथ विकास को बढ़ावा मिलेगा। लोगों को जितनी तेजी से गरीबी से बाहर निकालकर मध्यम वर्ग में लाया जाएगा, वैश्विक व्यवसाय के लिए उतने ही अधिक अवसर खुलेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि 'मेक इन इंडिया' के जरिए लुक ईस्ट अभिव्यक्ति के साथ लिंक वेस्ट को भी निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि स्वच्छ भारत और कचरे से सम्पन्नता मिशन अच्छी आमदनी और बिजनेस का जरिया बन सकते हैं। सरकार ने भी इस तरफ ध्यान देते हुए सार्वजनिक–निजी भागीदारी के जारिए भारत के 500 शहरों में बेकार पानी के प्रबंधन और ठोस कचरा प्रबंधन के बारे में अपने विज़न का जिक्र किया। ऐसी स्थिति में उम्मीद की जा रही है कि भविष्य की तस्वीर खुशनुमा हो सकती है।

मेक इन इंडिया की खास बातें

- इस अभियान के अंतर्गत हर साल देश के एक करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा।
- इसके अंतर्गत रक्षा क्षेत्र के उपकरण के निर्माण पर भी सरकार का अलग से जोर रहेगा। भविष्य में भारत में ही जेट विमान बनाने की योजना है।
- इस अभियान का लोगो मशीन के कलपुर्जों से बने गिर के

शेर को बनाया गया है, जो आगे बढ़ने को तत्पर दिखता है।

- देश की अगले तीन साल में विश्व बैंक के कारोबार में आसान देशों के सूचकांक में 134 से 50वें स्थान पर आने की कोशिश।
- औद्योगिक लाइसेंस और औद्योगिक उद्यमियों के प्रतिवेदनों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है, लाइसेंस की वैद्यता की अवधि तीन साल तक बढ़ा दी गई है।
- कपास, चमड़ा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे अधिक रोजगार की संभावना वाले उद्योगों के आधार पर पांच नए स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे. इनमें बाकी उद्योगों को भी कर रियायतें देने का प्रस्ताव है।
- रक्षा मंत्रालय 20 उत्पादन इकाइयां स्थापित करने की योजना बना रहा है। रक्षा साजो–सामान के अनेक मामलों के उत्पादन को लाइसेंस से पहले ही छूट दी जा चुकी है।
- सरकार श्रम कानूनों में संशोधन की योजना बना रही है, ताकि काम के घंटों को लचीला बनाया जा सके और प्रशिक्षुओं को लिया जा सके. मजदूरों की कॉलोनी के लिए कर रियायतों का प्रस्ताव है।
- निवेश प्रोत्साहन के लिए सक्रिय एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया के साथ एक टीम काम करेगी जो निवेशकों को ऑनलाइन सूचना मुहैया कराएगी और अधिकारियों के साथ बैठक करवाएगी।
- विशेष रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए शत–प्रतिशत विदेशी निवेश के दरवाजे खोल दिए गए हैं. इनकी मंजूरी स्वतः मिल जाएगी।

प्रधानमंत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम

केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी के तहत युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह उद्यमशीलता बनाने के लिए मार्जिन मनी के साथ लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों की सहायता करने के लिए एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। पिछले साल इस योजना के तहत मार्जिन मनी के साथ 41,778 परियोजनाओं की सहायता करने के लिए तथा तीन लाख से अधिक व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन के लिए 959.01 करोड़ रुपये खर्च किया गया। इस कार्यक्रम से तमाम युवाओं को रोजगार मिला। युवाओं की रुचि को देखते हुए केंद्र सरकार इस कार्यक्रम को तेजी से लागू कर रही है। चालू वित्तीय वर्ष यानी वर्ष 2016–17 में इसका न सिर्फ लक्ष्य बढ़ाया गया बल्कि इसमें उपयोग की जाने वाली राशि भी सरकार ने बढ़ा दी है। चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम के तहत मार्जिन मनी के साथ 55,000 परियोजनाओं की सहायता की जाएगी। इससे 4,25,000 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन होगा। इस पर सरकार की ओर से 1,139 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अ.जा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यकों/महिलाओं/भूतपूर्व सैनिकों/शारीरिक विकलांगों/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पर्वतीय तथा सीमावर्ती क्षेत्रों आदि जैसे विशेष श्रेणियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी है। विनिर्माण इकाई के लिए अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये है।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं। समसामयिक विषयों पर विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में नियमित लेखन)

पत्रिकाओं के शुल्क की नई दरें

क्रम सं.	पत्रिका का नाम	एक प्रति का मूल्य	विशेषांक का मूल्य	वार्षिक शुल्क	द्विवार्षिक शुल्क	त्रिवार्षिक शुल्क
1.	योजना	22	30	230	430	610
2.	कुरुक्षेत्र	22	30	230	430	610
3.	आजकल	22	30	230	430	610
4.	बालभारती	15	20	160	300	420
5.	रोजगार समाचार	12	–	530	1000	1400

स्वरोजगार से दूर होगी बेरोजगारी

—गौरव कुमार

देश के ग्रामीण अंचलों में युवा बेरोजगारी की दर काफी अधिक है। हमारा प्रयास इन युवाओं की बेरोजगारी और असंतोष दूर करने के प्रति होना चाहिए। इस हेतु कई अहम् कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ एक अन्य अहम् सवाल यह भी है कि क्या सभी बेरोजगार युवाओं को सरकार रोजगार दे सकती है? इतनी बड़ी आबादी को रोजगार देना एक दुरुह कार्य है। किंतु उनमें स्वरोजगार और उद्यमशीलता की भावना भरकर अवश्य बेरोजगारी दूर की जा सकती है।

आज भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश बन चुका है। यह स्वाभाविक है कि जिस देश में सबसे ज्यादा युवा होंगे वह देश सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज होगा और प्रगतिशीलता के नए शिखर तक पहुंचेगा। किन्तु यह तभी संभव है जब इन युवाओं को सही दिशा मिले। आज देश के हर हिस्से से युवा बेरोजगारी, युवा असंतोष की खबरें प्रायः सुनने में आती हैं। आज देश कुशल या दक्ष लोगों की समस्या से भी जूझ रहा है। वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत की कार्यशील आबादी का अनुपात काफी अधिक है, किन्तु इसमें दक्षता का अभाव है। ऐसे में आज देश में श्रम की जरुरत से अधिक कुशल श्रम की है। और इस दिशा में कौशल विकास जैसी योजनाएं और कार्यक्रम राष्ट्रीय आर्थिक विकास के वाहक बन सकेंगे। इससे ग्रामीण युवा सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे।

केंद्र सरकार ने देश में युवाओं को रोजगार दिलाने और उनमे कौशल विकास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अहम् कदम उठाए है। केंद्र सरकार कौशल विकास और उद्यमशीलता के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति भी जारी कर चुकी है। साथ ही देशव्यापी राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की भी औपचारिक रूप से शुरुआत की गई है। बात जब बेरोजगारी की हो, वहां आज कौशल विकास एक अहम् कड़ी के रूप में स्थापित हो चुका है। रोजगार और कौशल का रिश्ता और महत्व काफी अधिक है और सरकार इस दिशा में बखूबी काम कर रही है। कौशल विकास आज के आधुनिक और तकनीकी विश्व में बेहद महत्वपूर्ण है और इसके प्रति हमारी चिंता इस वजह से भी बढ़ी है क्योंकि बढ़ती आबादी और रोजगार के बीच व्यापक अंतर आ चुका है। इसे पूरा करने में कौशल विकास जैसे माध्यम उपयोगी और कारगर हैं।

रोजगार और कौशल की दशा

आज वैश्विक स्तर पर रोजगार एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। लगातार बढ़ती आबादी के लिए रोजगार सृजन सभी सरकारों के लिए एक चुनौती है। इससे पार पाना वर्तमान में काफी कठिन भी लग रहा है। भारत की स्थिति इस सन्दर्भ में और भी गंभीर बनी हुई है। इस दिशा में सरकार का प्रयास न केवल रोजगार सृजन बल्कि कौशल विकास की तरफ होना भी एक सुखद संकेत है। **आज ग्रामीण युवाओं के रोजगार और उनके कौशल के प्रति सबसे अधिक चिंता व्यक्त की जाती है। इस दिशा में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के रूप में केंद्र सरकार ने अभिनव पहल की है। यह अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है।** इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर ऐसे कार्यों में दक्ष बनाया जाएगा जिसकी मांग विदेशों तक हो। इससे उन्हें दुनिया में कहीं भी रोजगार पाने में कठिनाई

नहीं होगी। इस योजना का एक अन्य मकसद 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के पूरक के रूप में योगदान देना भी है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे रोजगार और कौशल विकास के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं किन्तु इस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता वर्तमान में इसलिए भी महसूस की जा रही है क्योंकि वर्तमान की वैश्विक अर्थव्यवस्था विशेषज्ञता व दक्षता आधारित होती जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक सम्पूर्ण विश्व में करीब 5.5 करोड़ दक्ष लोगों की कमी है। इनमें नर्स, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर आदि जैसे कार्य शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो भारत में 4.7 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास इन कार्यों की दक्षता तो है किन्तु उनके पास सम्बंधित रोजगार नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी खराब है। कई तकनीकी दक्षता प्राप्त और कुशल लोग रोजगार के कारण किसी अन्य कार्यों में संलग्न हैं। इस तरह की स्थितियों के बीच दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास जैसी योजना आरम्भ करना एक महत्वपूर्ण कदम है।

आज देश कुशल या दक्ष लोगों की समस्या से जूझ रहा है। वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत की कार्यशील आबादी का अनुपात काफी अधिक है, किन्तु इसमें दक्षता का अभाव है। राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण के 68 वें चक्र 2012 के अनुसार भारत में कुल श्रमबल करीब 472.9 मिलियन है। 15 से 59 आयु वर्ग की कार्यबल आबादी का हिस्सा सम्पूर्ण जनसंख्या का करीब 60 प्रतिशत है इस श्रम बल का बेहतर तरीके से लाभ नहीं लिया जा पा रहा है वह भी केवल इस वजह से की वे दक्ष नहीं हैं। **आज देश की कुल कार्यशील आबादी का करीब 53 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र में लगा है जहां यह मान लिया गया है कि दक्षता की आवश्यकता नहीं होती। जबकि वास्तविकता यह है कि आज आधुनिक कृषि में सबसे अधिक दक्षता की आवश्यकता है।** दक्षता की कमी भी कृषि के पिछड़ेपन की एक वजह हैं। इसी प्रकार करीब 93 प्रतिशत लोग अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं जहां पर भी दक्षता की जरुरत लगभग महसूस नहीं होती। किन्तु इन क्षेत्रों के श्रमिक यदि दक्षता प्राप्त कर ले तो उनकी स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हो सकता है। इस तरह से इन क्षेत्रों के श्रमिकों के प्रति जारी चिंता को भी समाप्त किया जा सकेगा।

देखा जाए तो दक्षता विकास कार्यक्रमों को भी शक्ल देने की आवश्यकता है, इस तरह की योजनाओं को शुरू करने के लिए सरकार के वर्तमान प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। आज देश में बहुसंख्यक आबादी को बेहतर जीवन–स्तर देने की चुनौती खड़ी है। यदि रोजगार की मांग और आपूर्ति के बीच खाई को कम किया जाए तो आय के स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है। यह गरीबी कम करने में मददगार हो सकती है, देश की आर्थिक सेहत में सुधार लाया जा सकता है। सबसे बढ़कर देश के ग्रामीण अंचलों में विकास की नई दिशा बनाई जा सकती है जो ग्रामीण विकास का नया स्वरुप होगा। वैसे देश में आजादी के बाद से ही कई ऐसी नीतियां लाई गई जो हमारे देश के ग्रामीण अंचलों के विकास से प्रत्यक्षतः जुड़े हुए थे। ऐसी सैकड़ों नीतियां और योजनाएं क्रियान्वित की गई जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की दिशा अग्रोन्मुख हो।

ग्रामीण रोजगार और कौशल विकास के पूर्ववर्ती प्रयास

गरीबी को प्रभावी तरीके से दूर करने और ग्रामीण विकास की दिशा तीव्र करने के लिए केंद्र सरकार ने मनरेगा जैसे महात्वाकांक्षी कार्यक्रम को शुरू किया। आंकड़े बताते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के आर्थिक–सामाजिक विकास की नई इबारत लिखी जा चुकी है। इससे बेरोजगारी जैसी समस्या का भी प्रभावी निदान हुआ है, साथ ही इससे लोगों का सशक्तीकरण और ग्रामीण मजदूरी की दर में भी काफी इजाफा हुआ है। एक अन्य योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो 25 दिसंबर, 2000 को शत–प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी, इसने भी इस दिशा में काफी बेहतर काम किया है। एक अध्ययन में यह बात रेखांकित की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब सड़क निर्माण पर 10 लाख का निवेश होता है तो करीब 163 लोग गरीबी के चक्र से बाहर निकलते हैं। इसी तरह एक अन्य रोजगार संबंधी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसे 1 अप्रैल, 1999 से शुरू किया गया, ग्रामीण रोजगार से जुड़ी योजना थी। नवीन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कुछ प्रमुख मिशन और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। स्वयंसहायता समूह भी इसी तरह की अन्य योजना है जो समान समस्या से जूझ रहे लोगों का एक छोटा समूह है। समूह के सदस्य एक–दूसरे की समस्या के निदान के लिए सहयोग करते हैं। इसका समन्वित प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में रोजगार के प्रति एक आशा के रूप में दिखता है और वे अपने समाज के साथ जुड़े रहना ज्यादा पसंद करते हैं। कौशल विकास कर रोजगार दिलाने वाली जम्मू–कश्मीर की योजना 'हिमायत' की तर्ज पर देश के सर्वाधिक नक्सल–प्रभावित क्षेत्रों के लिए 'रोशनी' नामक परियोजना शुरू की गई है। 7 जून, 2013 को इस नए कौशल विकास कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। इस योजना को नक्सल–प्रभावित 9 राज्यों के 24 जिलों में पहले चरण में शुरू हुआ जा रहा है। अगले तीन वर्षों में इस योजना पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना के तहत करीब 50 हजार युवाओं जिसमें आधी महिलाएं होंगी, को विभिन्न प्रकार के कौशलपरक प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार दिलाया जाएगा जो खुदरा, स्वास्थ्य, टेक्सटाइल, निर्माण, वित्तीय व बीमा क्षेत्रों से सम्बंधित रोजगार होंगे।

इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और कौशल विकास के लिए वैसे कई प्रयास किए गए हैं, किन्तु इनका अपेक्षित परिणाम नहीं आ सका और ये किसी न किसी रूप में समस्याओं का समाधान नहीं कर सके।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

देश में करीब 60 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। रोजगार के लिए उपयुक्त कौशल प्राप्त करके ये युवा परिवर्तन के प्रतिनिधि हो सकते हैं। वे न केवल अपने जीवन को प्रभावित करने के काबिल होंगे बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है। इस दिशा में कदम उठाते हुए कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय का गठन किया गया है, जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में जुटा है। इसके तहत सालभर में 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाया जाना है। कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) और उद्योग द्वारा तय मानदंडों पर आधारित होगा। इससे रोजगार–परक कौशल प्रदान करने की बाध्यता बढ़ जाएगी। कार्यक्रम के तहत तृतीय पक्ष आकलन संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन और प्रमाणपत्र के आधार पर प्रशिक्षुओं को नकद पारितोषिक भी दिया जाना है। नकद पारितोषिक औसतन 8,000 रुपये प्रति प्रशिक्षु होगा। इस तरह के कौशल प्रशिक्षण एनएसडीसी द्वारा हाल ही में संचालित कौशल अंतर अध्ययनों के जरिए मांग के आकलन के आधार पर दिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मुख्य रूप से श्रम बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे लोगों पर जोर होगा और विशेषकर कक्षा 10 व 12 के दौरान स्कूल छोड़ गए छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस योजना के तहत अनुमानतः कुल 1120 करोड़ रुपये के परिव्यय से 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसमें पूर्व शिक्षा–प्रशिक्षण को चिह्नित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस मद में 220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। युवाओं को जुटाने तथा जागरुकता के लिए अलग से 67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। युवाओं को कौशल मेलों के जरिए जुटाया जाएगा और इसके लिए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय आधारित संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। कौशल व उद्यम विकास वर्तमान सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

नवगठित कौशल व उद्यम विकास मंत्रालय की ''मेक इन इंडिया'' अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अभियान भारत को एक विनिर्माण केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए अहम पहल है। विकासशील अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र समेत सभी क्षेत्रों की मांग के अनुसार प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करने में इस मंत्रालय की अहम भूमिका है। वर्ष 2022 तक 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में प्रयास मिशन के तौर पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत तीन संस्थान कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कौशल विकास प्रयासों को नीतिगत दिशा दे रही है और इनकी समीक्षा भी कर रही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय प्रधानमंत्री की परिषद के नियमों को लागू करने के लिए रणनीतियों पर कार्य कर रहा है। एनएसडीसी एक गैर–लाभ कंपनी है और गैर–संगठित क्षेत्र समेत श्रम बाजार के लिए कौशल प्रशिक्षण की जरुरतों को पूरा कर रही है।

भारत ने विश्व में सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना ली है। उम्मीद है कि भारत शीघ्र ही विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। उम्मीद है कि वर्ष 2020 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विनिर्माण केन्द्र भी बन जाएगा। जनसंख्या के सकारात्मक कारकों और उच्च गुणवत्ता वाले कार्यबल की सतत उपलब्धता की मदद से हमारा देश विश्व अर्थव्यवस्था में विशेष छाप छोड़ सकता है। भविष्य के बाजारों के लिए कौशल विकास से लेकर मानव संसाधन विकसित करने के लिए हाल में ही घोषित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से अवश्य ही हमारी अर्थव्यवस्था को पूर्ण लाभ मिलेगा। नई नीति के तहत मिशन के तौर पर लागू की गई यह योजना मानव संसाधन और उद्योग के विकास में एक नए युग की शुरुआत करेगी। वर्तमान की कौशल विकास योजनाएं प्रशिक्षण, दक्षता और रोजगार तीनों को पूरा करता है। इस तरह की योजना से देश के विकास में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी अभियान ''मेक इन इंडिया'' के पूरक के रूप में इसका महत्व कही अधिक है। देश में बेरोजगारी जैसी भयावह स्थिति से निपटने के लिए भी ऐसी जरुरत महसूस की जा रही है। इससे यह आशा की जा सकती है कि देश में उद्यमशीलता की उभरती प्रवृत्ति और बढ़ते आर्थिक क्रियाकलापों में इसकी भूमिका सबसे अधिक और महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में आज देश में श्रम की जरुरत से अधिक कुशल श्रम की है। और इस दिशा में कौशल विकास जैसी योजनाएं और कार्यक्रम राष्ट्रीय आर्थिक विकास के वाहक बन सकेंगे। इससे ग्रामीण युवा सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
ई–मेलः gauravkumarsss1@gmail.com

ट्रांसफार्मर IAS

अब एक साथ एक मंच पर

Allahabad PCS AcademY

इंग्लिश मीडियम से बेहतर मार्गदर्शन अब हिन्दी मीडियम में

• टीचिंग हेड •
टी.एन.कौशल

"हिन्दी माध्यम से लगातार गिरती सेलेक्शन दर ने मुझे सर्विस से ब्रेक लेकर यहां आने को प्रेरित किया।"

टी.एन.कौशल–परिचय

- JNU ,इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और नवोदय विद्यालय से शिक्षा प्राप्त
- 2007 में UPPCS द्वारा CTO और 2008 में ट्रेजरी ऑफीसर के पद पर चयनित
- 2009 में U.P. में SDM के रूप में चयनित
- 2010 में IAS में चयन और IRS(इनकम टैक्स) में पोस्टिंग
- 2012 से IFS (भारतीय विदेश सेवा) ऑफीसर के रूप में कार्य

~PCS फाउंडेशन बैच–प्री+मेंस~

केवल 6 माह में PCS की कंपलीट तैयारी करें

इस कोर्स से IAS की बेसिक तैयारी भी पूरी हो जाएगी

★ IAS 2016 GS मेंस–विशेष थ्रस्ट कोर्स ★

उनके लिए जो जानते हैं कि रणनीति से युद्ध जीतने में सहायता मिलती है

जो अभ्यर्थी 07 अगस्त को संपन्न प्री में अपनी सफलता को लेकर आश्वस्त है और हिन्दी माध्यम से आई.ए.एस.–2015 में सफल होने का जज़्बा रखते हैं और बिना समय बर्बाद किए मेंस की तैयारी बेहतरीन ढ़ंग से करना चाहते हैं, उनका संस्थान में स्वागत है

नोट–यह प्रोग्राम टी.एन. कौशल सर के डायरेक्ट मार्गदर्शन में चलेगा

Art of effective-writing +Exam Management + Time Management +कैश कोर्स+QIP

Syllabus oriented weekly classes	Art of answer-writing	Exam management
सिलेबस के उन भागों पर फोकस जिनकी अध्ययन सामग्री का हिन्दी मीडियम में अभाव है – इथिक्स – साइंस एंड टेक्नोलॉजी –ऑर्ट्स एंड कल्चर	कितना लिखें, कैसे लिखें–वैल्यू एडिशन –कोटेशन, अंडरलाइन, डायग्राम और ग्राफ का प्रयोग कैसे करें. प्वाइंट में लिखें की पैराग्राफ में लिखें. –जो प्रश्न नहीं आते या कम आते हैं उन्हें कैसे डील करें?	एक्जाम के प्रेशर को हैंडल करना एक्जाम हॉल की गलतियों से बचाव एग्जाम के दिन क्या खाएं कौन से पेन का प्रयोग करें

नॉलेज तो इस स्टेज में हर अभ्यर्थी के पास होता है पर उसे use करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्ति की रणनीति का अभाव होता है

रक्षा अध्ययन
टी.एन.कौशल
भारतीय विदेश सेवा का रणनीतिक अनुभव

★UP PCS 2016 मेंस बैच★ Hindi + English

इंटेसिव क्लासेस+Answer writing इंप्रूवमेंट प्रोग्राम+कैश कोर्स+QIP

सबसे कम समय में तैयार होने वाले विषय

सबसे कम समय में तैयार कराने वाले शिक्षक

सोशल वर्क
ए.के.मिश्र
PCS परीक्षा की टीचिंग का वृहद् अनुभव

हिन्दी साहित्य
आर. प्रभा वशिष्ठ (JNU स्कालर)

IAS में हिन्दी माध्यम से सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले विषय

रेखाचित्र, flow-chart और ग्राफ बनाकर अधिक अंक पाने की रणनीति
इतिहास पढें–सरल और रोचक तरीके से–न्यूनतम समय में–बिना अधिक तथ्य संकलन के
साहित्य के ज्ञान को GS में प्रयोग करके उत्तर लेखन में वैल्यू एडीशन

इतिहास
टी.एन.कौशल
इतिहास विषय से IAS में चयनित एकमात्र शिक्षक

Vanya Singh
(female topper)

UPPCS-2015 में टॉपर वान्या सिंह सहित 65%सेलेक्शन

सरकारी पत्र लेखन के सचिवालय से प्राप्त प्रारूप
संक्षेपण कला का विकास
सामान्य हिन्दी- एच.के. मिश्र

निबंध- टी.एन. कौशल
भूमिका लेखन पर फोकस– 50% अंक भूमिका से ही निर्धारित होते हैं

GS में 300,अनिवार्य हिंदी व निबंध में 100,एवं वैकल्पिक विषय में 260 से अधिक अंक पाने की रणनीति सीखें

दर्शन शास्त्र
समाजशास्त्र
भूगोल
लोक प्रशासन
MP PCS+RAS

★IAS+UP PCS मेंस टेस्ट सीरीज★

समय प्रबंधन और स्पीड–राइटिंग के साथ अपनी कमियों की पहचान और उनमें सुधार के लिए ज्वाइन करें

योग्य फैकल्टी द्वारा कॉपी चेकिंग न कि पूर्व छात्रों या ऑफिस स्टॉफ के द्वारा जैसा कि अधिकांश संस्थानों के शिक्षक समय की कमी के कारण करते हैं.

विस्तृत टिप्पणियों के द्वारा सटीक फीड बैक ताकि आप अपनी कमियों से परिचित हो सकें

चार चरणों पर आधारित– मार्गदर्शन ➡ मूल्यांकन ➡ फीडबैक ➡ सुझाव
संभावित प्रश्नों पर आधारित उत्तर लेखन का अभ्यास
डायग्राम, फ्लोचार्ट आदि के प्रयोग की सही समझ का विकास

इंटरव्यू
MP PCS
उत्तराखंड PCS
राजनीति विज्ञान

ऑनलाइन टेस्ट सीरीज
प्रश्नपत्र डाउनलोड करें व हल करने के बाद स्कैन करके भेजें

ALL टेस्ट सीरीज
2 टेस्ट निशुल्क

• मूल्यांकन के आधार •
प्रस्तुतीकरण–फ्रेमिंग–गुणवत्ता–कंटेंट
आगामी टेस्ट में सुधार के निर्देश

★ IAS सिग्नेचर कोर्स (फाउंडेशन+एडवांस्ड)★

अधिकतम 50 छात्रों का बैच

सभी शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि 300–400 छात्रों की भीड़ के बैच में केवल प्रवचन संभव है, गहन अध्ययन नहीं। अब आप को निर्णय करना है कि आप दिल्ली भीड़ का हिस्सा बनने आते हैं या IAS बनने।

Distance /Postal /onlineकोर्स

जो अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से दिल्ली नहीं आ सकते और गुणवत्तापूर्ण तैयारी करना चाहते हैं न कि पुराने नोट्स पर आधारित पोस्टल प्रोग्राम प्री के बाद दिल्ली आकर प्रीमियम बैच join करने की छूट

A-1,कमर्शियल कॉम्प्लेक्स,ICICI बैंक के सामने, मेन रोड़, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली 09953126338 09717156339

युवाओं के लिए वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा

—नीलेश कुमार तिवारी

वित्तीय समावेशन की कोई सार्वभौम सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। यह भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक एवं देशकाल के अनुरूप निर्धारित होती है। विश्व बैंक के अनुसार "मूल्य संबंधी अवरोधों के बिना वित्तीय सेवाओं तक पहुंच ही वित्तीय समावेशन है। इसे परिभाषित करना और मापना कठिन है क्योंकि पहुंच की बहुत सारी विधाएं हैं।" भारत में वित्तीय समावेशन पर सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित समिति ने 2008 में दी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि "कम आय और कमजोर वर्गों के लिए ऋण और वित्तीय सेवाओं तक ससमय सुगमतापूर्वक पहुंच ही वित्तीय समावेशन है। इस प्रकार वित्तीय समावेशन को गरीबों, वंचित समूहों, कम आय के लोगों की वित्तीय सेवाओं व उत्पादों तक सुगम तरीके से पहुंच के रूप में देखा जाता है। इन सेवाओं के संकेतक हैं–जमा, निकासी, ऋण, बीमा, भुगतान सेवा, मनी ट्रांसफर आदि।

सरकार ने प्रधानमंत्री जन–धन योजना के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना शुरू की ताकि वंचितों को वित्तीय सेवा तंत्र से जोड़ा जा सके। यह एक कारगर और सराहनीय पहल है। देश में सभी को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए और देश की घरेलू बचत का राष्ट्रीय स्तर पर लाभ लेने के उद्देश्य से 28 अगस्त, 2014 को इस राष्ट्रव्यापी जन–धन योजना की शुरुआत की गई। हमारे देश में वित्तीय समावेशन को प्रायः बैंक खातों तक पहुंच के रूप में देखा जाता है, जबकि इसमें बैंकिंग के अलावा अन्य वित्तीय सेवाओं जैसे– पेंशन, बीमा एवं पूंजी बाजार के उत्पादों और सेवाओं से वंचित लोगों को उनकी परिधि में लाना भी शामिल है। अन्य शब्दों में, वित्तीय समावेशन का अर्थ अब तक वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों से वंचित रहे लोगों तक सुविधापूर्वक, सरल तरीके से उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। देश में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या से निपटने में जहां भारत सरकार और राज्य सरकारें अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयासरत हैं, वहीं इन समस्याओं के समाधान में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की भी अहम भूमिका है। सरकार वित्तीय समावेशन के जरिए किसानों को भी लाभान्वित करने की दिशा में अग्रसर है। किसान क्रेडिट कार्ड इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मुद्रा अनौपचारिक क्षेत्र को वित्तीय स्वावलंबन प्रदान करने की सरकार की एक अन्य महत्वाकांक्षी योजना है। इसके जरिए वित्तीय समावेशन को एक नए मुकाम तक ले जाने की तैयारी है जिसका उद्देश्य सूक्ष्य कारोबारियों और उद्यमियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा कर देश की अर्थव्यवस्था में इन कारोबारियों की हिस्सेदारी और रोजगार पैदा करने की क्षमता को बढ़ाना है। उम्मीद है कि मुद्रा बैंक अनौपचारिक क्षेत्र का संस्थागत वित्तीयन करके उसे विकास के नए मुकाम पर खड़ा होने में समक्ष बनाएगा।

वित्तीय साक्षरता की दरकार

लेकिन केवल वित्तीय सेवाओं की पहुंच से ही लोगों का वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। वित्तीय समावेशन के लिए किए जाने वाले तमाम प्रयास तब तक अधूरे हैं जब तक देश में लोगों को वित्तीय शिक्षा नहीं मिल जाती है। वित्तीय साक्षरता से तात्पर्य है ऐसी योग्यता जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तिगत वित्त प्रबंध को सम्बद्ध करके निर्णय कर सके।

इसके अलावा लोगों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा भी कई तरह के कार्यक्रम और प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ग्रामीण वित्तीय साक्षरता हेतु गांवों में आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया था। लोगों में वित्तीय साक्षरता के लिए कॉमिक बुक्स का प्रकाशन भी किया गया, यह अब ब्रेललिपि में भी मौजूद है

जिससे कि नेत्रहीन भी इसका लाभ उठा सकते हैं। कर्नाटक राज्य में 2009 से वित्तीय समावेशन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

वित्तीय समावेशन की भविष्योन्मुखी राह

वित्तीय समावेशन की महत्वाकांक्षी योजनाएं तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि देश का हर नागरिक अपने वित्तीय अधिकारों के बारे में पूरी तरह जागरूक न हो जाए। इसके लिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा कार्य करने होंगे।

वित्तीय समावेशन के लिए हमें अधिकांश लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। साथ ही मीडिया की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की भी जिम्मेदारी है। इसके लिए लघुकालीन और दीर्घकालीन रणनीति अपनाने की भी जरूरत है। सबसे पहले हमारे लिए वित्तीय शिक्षा देने वाले लक्ष्य समूह की पहचान जरूरी है। हम आम नागरिक, स्कूली बच्चे और सरकारी कर्मियों को इसके लिए चुन सकते हैं। हमारी शुरुआत स्कूली बच्चों से होनी चाहिए। चूंकि आज के बच्चे ही कल का भविष्य है। और यदि उन्हें शुरू से वित्तीय शिक्षा प्रदान की जाए तो इसका मतलब होगा कि हम देश के भावी वित्तीय साक्षर नागरिक तैयार कर रहे हैं। **इसके लिए एक पहल यह हो सकती है कि हम वित्तीय साक्षरता के लिए एक पाठ्यक्रम बनाएं और उसे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तथा कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर तक संचालित करें। स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में वित्तीय समावेशन के अध्यायों को शामिल कर हम देश की युवा पीढ़ी को आज से ही एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बना सकते हैं।** प्रत्येक राज्य सरकारों और शिक्षण संस्थाओं को इसके लिए राजी करना होगा और इसे अनिवार्य बनाया जा सकता है जैसाकि कर्नाटक राज्य में रिज़र्व बैंक के सहयोग से किया गया है।

इसके अलावा हम पंचायती राज संस्थाओं और शहरी नगरपालिका संस्थाओं को इस वित्तीय साक्षरता मुहिम से जोड़ सकते हैं। ये संस्थाएं आम जन से जुड़ने का सबसे सरल रास्ता हैं। इसके माध्यम से हम ग्राम–स्तर पर जागरुकता शिविर का संचालन कर सकते हैं, लोगों के लिए सूचना केंद्र बना सकते हैं। वर्तमान में बीमा क्षेत्र बहुत व्यापक–स्तर पर फैला हुआ है। किन्तु आज भी बहुत से लोग इसके प्रति गंभीर रूख नहीं अपनाते। लोगों में बीमा कराने के प्रति भी जागरुकता नहीं है इस दिशा में भी हमें ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए बीमा कराने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सकता है। बीमा एजेंटों के रूप में समाज के वैसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो विश्वस्त और सम्माननीय हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब बैंकों का प्रसार तेजी से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बैंकों की शाखा में ही जागरुकता के लिए एक सेल की स्थापना की जा सकती है। इसका कार्य लोगों में जागरुकता और उनकी वित्तीय अज्ञानता से उत्पन्न समस्या का समाधान करना होगा। इन सब प्रयासों का सम्मिलित प्रतिफल यह होगा कि देश एक वित्तीय साक्षर राष्ट्र बनेगा और तदुपरांत एक वित्तीय समावेशित राष्ट्र भी।

सामाजिक सुरक्षा के मायने

'सामाजिक सुरक्षा'शब्द का उपयोग सन 1935 में अमेरिका के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उद्योग जगत् एवं व्यापार जगत् के मजदूरों के संदर्भ में किया गया था (Morris Robert , 1973)। सामाजिक सुरक्षा विकसित एवं विकासशील देशों की सामाजिक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य समाज में व्यक्तियों एवं परिवारों को संरक्षण प्रदान करना है जिससे सभी को स्वास्थ्य सेवाएं, आय सुरक्षा, खासकर बुढ़ापे, बीमारी, बेरोजगारी, काम के दौरान चोट या कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के समय सुरक्षा प्राप्त हो सके। भारत में सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत सन् 1952 में 'कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम' से हुई जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य के समय चोट, या मृत्यु, मजदूरी की हानि, बीमारी इत्यादि के दौरान नगद लाभ के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना था(Cohen Wilbur, 1953)।

अतः यह समझना आवश्यक है कि सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को विभिन्न परिस्थितियों में जैसे सेवानिवृत्ति, छंटनी, विकलांगता, मृत्यु, इस्तीफा इत्यादि के समय आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। वर्ष 1968 के भारतीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा सामाजिक न्याय एवं मानव गरिमा आधारित रही है। भारतीय योजना आयोग सामाजिक सुरक्षा को एक अवधारणा एवं प्रणाली के अंतर्गत विकास की प्रक्रिया का अभिन्न अंग मानता रहा है। जैसाकि भारत में व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा का दायित्व संयुक्त परिवार के मुखिया के द्वारा होता आया है, परंतु विभिन्न अध्ययनों के द्वारा शहरीकरण, पलायन, एवं एकल परिवार (Nuclear Family) इत्यादि के कारण सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा है।

भारतीय संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

भारत में सामाजिक सुरक्षा चाहे वह संगठित या फिर असंगठित क्षेत्र में हो हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रही है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की तीसरी सूची में सामाजिक सुरक्षा एवं श्रमिक कल्याण के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख किया गया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के द्वारा समाज में पिछड़े व्यक्तियों के कल्याण पर

ध्यान दिया जाता है। अतः राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy) एवं समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्रीय एवं राज्य सरकार कानून पारित कर समान विकास का उद्देश्य रखती है।

सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाएं व्यापक रूप से संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में सामाजिक संरक्षण प्रदान करती हैं जो मुख्यतः –

- जीवन हानि एवं विकलांगता के समय सुरक्षा।
- स्वास्थ्य देखभाल एवं मातृत्व लाभ।
- वृद्धावस्था के दौरान आय सुरक्षा।

भारत में सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों का संरक्षण एवं कल्याण प्रदान करना है। जहां एक ओर सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी इत्यादि का प्रावधान रहता है। वहीं दूसरी तरफ स्वैच्छिक योजनाओं जैसे सामान्य भविष्य निधि में (PPF) एवं विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं के द्वारा आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।

योजना	शुरुआत	प्रकार	विशेषता
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)	मई 2015	बीमा योजना	18–70 वर्ष के व्यक्तियों को वार्षिक 12 रु. प्रीमियम में 2 लाख रु. का दुर्घटना बीमा
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (PMJJBY)	मई 2015	बीमा योजना	18–50 वर्ष के व्यक्तियों को 330 रु. वार्षिक प्रीमियम में 2 लाख रु. का जीवन बीमा
अटल पेंशन योजना (APY)	मई 2015	पेंशन योजना	गरीब एवं असंगठित क्षेत्र के 18–40 वर्ष के व्यक्तियों को योगदान के आधार पर 1000 रु. से 5000 रु.पेंशन 60 वर्ष की आयु से प्राप्त होगी।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	जुलाई 2015	कौशल विकास	2022 तक 40 करोड युवाओं को रोजगार कौशल प्रशिक्षण के द्वारा प्रोत्साहन प्रदान करना।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	मई 2015	मुफ्त LPG	गरीबी–रेखा से नीचे के परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना	2015	ग्रामीण विकास	ग्रामीण युवा गरीबी रेखा के नीचे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सशक्त करना।

केंद्रीय बजट 2016–17 में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अंतर्गत समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों की वित्तीय सहायता हेतु 975 करोड़ रु. का प्रावधान कर 6 लाख लोगों को लाभ पहुंचाना है। भारत में सामाजिक सुरक्षा हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर चलायी गई हैं जिनका उद्देश्य न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना अपितु सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करना भी रहा है।

सामाजिक योजनाएं एवं युवा

अर्थशास्त्री अमर्त्यसेन एवं जीनड्रेज के अनुसार सामाजिक सुरक्षा के द्वारा समाज में लोगों को सुरक्षा (बीमारी दुर्घटना, मृत्यु) के साथ–साथ उन्हें विकास की धारा से जोड़ना है। भारत आजादी के बाद दो प्रमुख समस्याओं से जुझता रहा है, जो बेरोजगारी और गरीबी हैं। भारत में असंगठित क्षेत्र लगभग 93 प्रतिशत उपलब्ध काम प्रदान करता है तथा युवाओं में बेरोजगारी एक गंभीर चिंता का विषय रही है। युवाओं की बेरोजगारी की प्रमुख चुनौतियों में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर प्रमुख कारक रहे हैं। भारत में युवाओं को राष्ट्र विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रमुख योजनाएं जैसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगारंटी अधिनियम मनरेगा, स्वण जियंती शहरी रोजगार योजना और स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SJGSY) इत्यादि ही हैं।

वहीं दूसरी तरफ अब तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के द्वारा 20 लाख से अधिक लोगों को उनकी कौशल विशेषता अनुसार प्रशिक्षित किया गया है ताकि वे स्वयं आत्मनिर्भर होकर राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें।

साथ ही साथ 'स्कील इंडिया मिशन' के द्वारा वर्ष 2015–16 में 1.04 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अतः कौशल विकास के द्वारा युवाओं को सशक्त कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं रोजगार प्रदान करना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य रहा है।

मई 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं – प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा अटल पेंशन योजना के द्वारा भारत के लोगों को खासकर असंगठित क्षेत्र एवं मध्यम तथा गरीब जनसंख्या को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास सराहनीय है। वहीं दूसरी तरफ कौशल विकास के द्वारा युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हे आत्मनिर्भर एवं स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित करना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

संदर्भः

Cohen Wibur J., (1953), Social Security in India

Morris Robert, (1973), Encyclopedia of social work, NASW, Washington

(लेखक पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ से अर्थशास्त्र के पीएचडी स्कॉलर हैं।)

ई–मेलः nileshtiwariprsu@gmail.com

युवाओं के समग्र विकास का लक्ष्य

—शुभम वर्मा

भारत सरकार ने ग्रामीण युवाओं के समग्र विकास के लिए उनकी शिक्षा, रोजगार समस्याओं तथा खेती इत्यादि सभी पहलुओं पर विचार करते हुए योजनाओं का निर्माण किया है। सरकार ने ना सिर्फ शहर बल्कि ग्रामीण और आदिवासी इलाके के युवाओं की भी चिंता इन योजनाओं में की है। जल-संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य जैसी योजनाएं सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाती हैं। सरकार ने पुरानी योजना मनरेगा में भी अब तालाब, बांध आदि बनाने के कार्यों को समाहित करके अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है तथा इससे भी कई लोगों को ग्रामीण इलाकों में रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सरकार ने ग्रामीण युवाओं के सशक्तीकरण हेतु निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय योजनाएं बनाई हैं। अब बस जरुरत है तो उन्हें सही तरह से क्रियान्वित करके धरातल पर उतारने की, जिससे ग्रामीण भारत का युवा भी सशक्त होकर देश को सशक्त बनाने में अपना योगदान दे सके।

2014 में प्रकाशित यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे अधिक युवा भारत में रहते हैं। चीन जनसंख्या में आगे होने के बाद भी युवाओं की जनसंख्या के मामले में भारत से पीछे ही है। यह जनसंख्या जिस तरह से हमारे लिए वरदान या उपयोगी सिद्ध हो सकती है, उसी तरह से इसके चिंताजनक पहलू भी हैं। जैसाकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि यदि भारत के युवाओं तथा जनसंख्या का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो भारत सारी दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है। मगर यदि यही युवा गलत दिशा की तरफ मुड़ गए या फिर बेरोजगार रहे तो फिर देश के लिए उतना ही नुकसानदायक हो सकता है। जैसाकि प्रायः नक्सलवादी इलाकों में देखा जाता है। अतः युवा गलत दिशा में ना मुड़े इसलिए नई सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। जिनको यदि उचित तरीके से ज़मीनी–स्तर पर पहुंचाया जाए तो देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकती हैं ।

पुरानी सरकारों में अक्सर देखा जाता था कि रोजगार की योजनाएं अधिकतर शहर के युवाओं या अधिक पढ़े–लिखे युवाओं की ओर केन्द्रित होती थी। इसका खामियाजा ग्रामीण युवाओं को भुगतना पड़ता था तथा इसका परिणाम यह होता था कि ग्रामीण युवा गांव छोड़कर बड़े शहरों की तरफ भागते थे। इससे ना सिर्फ शहर की आबादी बढ़ती थी बल्कि रोजगार ना होने के कारण बड़े शहरों में हजारों की तादाद में झुग्गियां बस जाती थी जिनमें करोड़ों लोग बदतर जिंदगी जीने को मजबूर होते थे। वर्तमान सरकार ने ना सिर्फ ग्रामीण युवाओं के रोजगार के विषय में बल्कि गरीब अनुसूचित जातियों के युवाओं के रोजगार तथा उन्हें अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी अत्यंत सराहनीय प्रयास किए हैं।

इन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नलिखित हैं–

अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए – सरकार ने 'वेंचर कैपिटल फण्ड फॉर शेड्यूलकास्ट एंटरप्रेन्योर योजना' बनाई

है। इसके लिए 220 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसे 22. दिसंबर 2014 को स्वीकृति मिली और फिर 16 जनवरी 2014 को इसे लांच कर दिया गया। इस योजना को औद्योगिक वित्तीय कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईएफसीआई) के जरिए लागू किया जाएगा। इसी के साथ अनुसूचित जातियों के युवाओं के लिए 'क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी योजना' की 2014–15 के बजट में घोषणा की गई थी और इस योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था जो अनुसूचित जाति के युवा और उद्यम को शुरू करने वालों के लिए है। योजना को पूर्ण स्वीकृति मिली और अंत में उसे 06 मई 2015 को लागू कर दिया गया।

रोजगार के साथ–साथ युवाओं की समस्याओं के अन्य पहलुओं पर ध्यान देते हुए सरकार ने कई योजनाए बनाई हैं। इनमें से नशीले पदार्थों को रोकने के लिए पहली राष्ट्रीय नीति पूरी होने को है। एनजीओ को दी जाने वाली सरकारी सहायता के मद में 2014–15 में 30.74 करोड़ रुपये डाले गए हैं और जुलाई 2015 में पंजाब में युवाओं में नशामुक्ति के लिए 28 नए नशाविरोधी केंद्र खोलने की स्वीकृति दी गई है।

सरकार ने पढ़ने–लिखने वाले युवाओं के लिए भी कई योजनाओं का सृजन किया है। गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए गरीब तबके के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए एमफिल और पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए यूजीसी के जरिए ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप को 2014–15 में शुरू किया गया। साथ ही ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति के मद में मौजूदा वित्तवर्ष (सितंबर 2015 तक) के छह महीने के भीतर ही बजट का 80 फीसदी हिस्सा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेज दिया गया। 'आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग' के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति को 2014–15 में लांच किया गया।

सरकार ने ग्रामीण डीएनटी/एनटी और अर्ध–घुमंतु जनजातियों के युवाओं के लिए भी खास कदम उठाए हैं जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी के बाहर की गैर–अधिसूचित जातियों के लिए डॉ. अम्बेडकर प्री–मैट्रिक और पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति और नानाजी देशमुख छात्रावास निर्माण योजना को शुरू किया गया। यही नहीं ग्रामीण गरीब तथा पिछड़े युवाओं के विदेश में अध्ययन की व्यवस्था भी सरकार ने की है जिसमें विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ओबीसी और ईबीसी छात्रों के विदेश अध्ययन के लिए डॉ. अम्बेडकर स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशनल लोन फॉर ओवरसीज स्टडीज को 2014–15 में शुरू किया गया।

देश में बेरोजगारी घटाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन के लिए एक क्रेडिट से जुड़ा सब्सिडी कार्यक्रम जैसी मुख्य योजनाओं को लागू कर रहा है। पीएमईजीपी लाभार्थियों को छूट देती है। शहरी एससी और एसटी लाभार्थियों के लिए परियोजना की लागत पर 25 फीसदी की छूट जबकि ग्रामीण पर यह 35 फीसदी दी जाती है। इसी तरह मुद्रा बैंक की शुरुआत भी भारत के युवाओं में उद्यमिता विकसित करने के लिए की गई है। मुद्रा बैंक (छोटी इकाई के विकास की वित्तीय एजेंसी) की प्राथमिकता छोटे व्यवसायियों को वित्तीय सहयोग करना है। 5.77 करोड़ छोटे व्यवसायियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की तादाद 62 फीसदी है। इस योजना के तहत उन व्यवसायों को ऋण देने में प्राथमिकता दी जाती है जो अनु. जाति और अनु. जनजाति उद्यमियों से जुड़े हैं। अतः इससे ना सिर्फ सभी वर्ग के युवाओं को समान अवसर मिलता है बल्कि देश में उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलता है।

सरकार ने शहर और ग्रामीण इलाकों के साथ–साथ देश के आदिवासी इलाकों के विषय को भी गंभीरता से लिया है तथा आदिवासी कल्याण मंत्रालय ने आदिवासियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया है। वर्ष 2014–15 में मंत्रालय ने इनके बीच से गुणवत्तापरक विज्ञान के छात्रों को चिन्हित करने का फैसला किया है। इसमें खासकर लड़कियां होंगी जिन्हें एनएम के तौर पर प्रशिक्षण देने या फिर किसी दूसरे संस्थान में भेजने की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा में आने वाली भाषा संबंधी दिक्कतों को दूर करने के क्रम में दो भाषा (क्षेत्रीय और आदिवासी भाषा में) की किताबों पर काम चल रहा है, जिसे ओड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र में शुरू कर दिया गया है। इस बीच जब से नई सरकार ने सत्ता संभाली है कौशल विकास मंत्रालय ने एक लाख आदिवासियों को प्रशिक्षित किया जिसके लिए 275 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पेरा मेडिकल स्टॉफ बनाने के लिए केंद्रीकृत प्रशिक्षण, शिक्षक, कारीगर, टेक्नीशियन, तकरीबन 3 हजार डेयरी को–आपरेटिव की स्थापना, बागवानी के जरिए आत्मनिर्भरता के लिए प्रशिक्षण, मुर्गीपालन आदि प्रयास आदिवासी आबादी के लिए किए गए।

आदिवासी युवाओं में रोजगार सृजन तथा उद्यमिता को नए स्तर पर ले जाने के लिए ट्राइफेड ने आदिवासियों के उत्पादों जैसे मूर्तियों, कला के कामों आदि को बेचने के लिए स्नेपडील से सहायता ली है। इससे भी आगे बढ़कर संस्था ने ई–वाणिज्य का पोर्टल– http://eshop.tribesindia.com विकसित किया है जिसके जरिए हथकरघा, हैंडलूम, मूर्तियां आदि हाथ से काम

आदि का व्यापार किया जा सकता है। (ट्राइफेड–ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इंडिया)

ग्रामीण युवा शहरों की तरफ ना भागे इसके लिए ग्रामीण इलाकों के संपूर्ण विकास के लिए सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लांच किया। मिशन का लक्ष्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण इलाकों का विकास करना है। इस तरह के क्लस्टर को विकसित करने के लिए उनमें आर्थिक गतिविधियों के प्रावधानों, कौशल विकास और स्थानीय उद्यमिता और आधारभूत ढांचों की सुविधाओं को मुहैया कराने और इस तरह से एक क्लस्टर को स्मार्ट गांव में विकसित करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत गांव में ही शहर जैसी सुविधाएं विकसित करने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ने खुद ग्रामीण इलाकों के विकास के विषय में रुचि लेते हुए अक्तूबर 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की जिसका लक्ष्य प्रत्येक सांसद को मार्च 2019 तक तीन आदर्श गांवों को विकसित करना है। यह सब कुछ संसद सदस्यों के हाथ से होना है। यह योजना विशिष्ट किस्म की है और ग्रामीण आत्मा को सुरक्षित रखते हुए उनके बदलाव की पूरी क्षमता रखती है। इसमें चयनित गांवों का एकीकृत तरीके से विकसित करना है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, पर्यावरण, जीवनयापन, आदि सभी क्षेत्रों में विकास किया जाएगा। आधारभूत ढांचे के विकास के साथ–साथ लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, इको–मित्रता, कोआपरेटिव विकास, पारदर्शिता लानी है और स्थानीय स्वशासन भी लागू होना है। इस योजना के द्वारा भी ग्रामीण इलाकों के युवाओं के लिए कई तरह के रोजगार निर्मित होने की सम्भावना है।

युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता दक्षता की होती है। अतः इस ओर कदम बढ़ाते हुए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनयापन कार्यक्रम को उन्नत कर दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना (डीडीयू–जीकेवाई) के रूप में सितंबर 2014 में शुरू किया । इसके तहत पहले की योजनाओं में कौशल के हिस्से को फिर से प्राथमिक बनाने, ग्रामीण युवाओं की जरूरतों को पूरा करने और इसके साथ ही राष्ट्रीय और वैश्विक कौशल जरूरतों को पूरा करने जैसी बातें शामिल हैं। उन्नत कार्यक्रम को उसके नतीजे के आधार पर तैयार किया गया है जिसमें 75 फीसदी को गारंटी के साथ नौकरी, प्रशिक्षण से कैरियर की प्रगति पर जोर, गरीब और सीमांत हिस्से को लाभ हासिल करने के योग्य बनाना, सामाजिक तौर पर बहिष्कृत समूहों (50 फीसदी एससी, एसटी, 15 फीसदी अल्पसंख्यक, 33 फीसदी महिलाएं) को कवर करते हुए समावेशी कार्यक्रम तैयार करना शामिल है।

देश के कई ग्रामीण युवा इस समय कृषि पर निर्भर हैं। अतः सरकार ने उनके विषय में सोचते हुए किसानों को ऐसे उपायों को मुहैया करवाया है जो लम्बे समय तक किसानों के काम आएंगे। इन उपायों की कृषि के आधुनिकीकरण के साथ शुरुआत होगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) उसी दिशा में एक प्रयास है जिसे फरवरी 2015 में शुरू किया गया है। यह कार्ड किसानों की जमीनों की उत्पादकता के स्तर के परीक्षण के बाद जारी किया जाएगा और फिर उसी के मुताबिक फसलों के लिए पोषक और खाद की संस्तुति की जाएगी। जुलाई 2015 तक राज्यों में इस तरह के 34 लाख कार्ड जारी किए जा चुके हैं। यह काम विभिन्न प्रयोगशालाओं में मिट्टी के परीक्षण के बाद किया गया है। योजना के तहत ऐसे 14 करोड़ किसानों को कार्ड दिए जाने हैं। इसी कड़ी में 2015–16 का केंद्रीय बजट कृषि को प्राथमिकता देता है जिसमें सिंचाई को महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनाया गया है। 5000 करोड़ के फंड के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को अगस्त 2015 में पांच सालों के लिए लांच किया गया है। इसके जरिए खेतों के स्तर पर सिंचाई में निवेश को हासिल करने का लक्ष्य है। दूसरा, इस तरह की सिंचाई योजनाओं को मिलाने के साथ यह योजना विकास के नजरिए से लागू करने पर केंद्रित है। इसके साथ ही विकेंद्रीकृत योजना और प्रोजेक्ट आधारित योजना लागू करने की प्रक्रिया को अपनाना इसकी प्राथमिकता में शामिल है। इस तरह से यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपनी खुद की सिंचाई योजना को बनाने की छूट देता है। और यह जिले और ब्लॉक की जरूरतों

के मुताबिक हो सकता है जिसे राज्य फिर उसी स्तर पर लागू करने की गारंटी भी रखेगा।

ग्रामीण युवा किसानों की अत्यंत जरूरी स्थिति (बुरे समय) में वित्तीय सुरक्षा को वर्तमान सरकार ने प्राथमिकता में रखा है, जैसाकि 2015–16 के उसके केंद्रीय बजट में दिखता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार समय पर किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण मुहैया कर रही है जिससे उनके वित्तीय संकट को हल किया जा सके। उदाहरण के लिए गन्ना किसानों को अपने संकटों से निपटने के लिए 6000 करोड़ रु. का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया। साथ ही, किसानों के लिए अतिरिक्त राहत की बात उस समय दिखी जब गैर–मौसमी बारिश और तूफान के चलते किसानों की फसलें बरबाद हो गईं और फिर उसके एवज में प्रधानमंत्री ने फसलों के 1.5 गुना मुआवजे की घोषणा कर दी। किसानों के हितों की रक्षा हेतु 2015–16 से 2017–18 के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीईए (दि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स) ने एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रकचर फंड के जरिए राष्ट्रीय कृषि बाजार को बढ़ावा देने की मंजूरी दे दी)। इसके तहत इस मद में जुलाई 2015 में 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इस योजना के तहत देश भर में 585 थोक बाजारों के खोलने का लक्ष्य है। इसके साथ ही पूरे देश के स्तर पर कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल बनाने और एमपीएमसी के एकाधिकार को खत्म कर ई–मंडी की स्थापना करने की योजना है।

सरकार ने ग्रामीण युवाओं के सशक्तीकरण हेतु निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय योजनाओं का निर्माण किया है। अब बस जरुरत है तो उन्हें सही तरह से क्रियान्वित करके धरातल पर उतारने की, जिससे ग्रामीण भारत का युवा भी सशक्त होकर देश को सशक्त बनाने में अपना योगदान दे सके।

(लेखक शोधार्थी है तथा पीपीआरसी, दिल्ली से सम्बद्ध हैं)
ई–मेलः theshubhamhindi@gmail-com

60 लाख युवाओं को नए सिरे से प्रशिक्षण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 13 जुलाई 2016 को पीएमकेबीआई के तहत अगले चार वर्षों (2016–2020) के दौरान एक करोड़ से अधिक लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए 12 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दे दी। पीएमकेवीवाई में 60 लाख युवाओं को नए सिरे से प्रशिक्षण दिया जाएगा और पूर्व शिक्षा की पहचान (आरपीएल) के अधीन अर्जित 40 लाख लोगों के अनौपचारिक कौशल को भी प्रमाणित किया जाएगा। आरपीएल और नए प्रशिक्षणों के मध्य लक्ष्य आवंटन घटाया–बढ़ाया जा सकेगा और क्रियात्मक तथा परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर इसका परस्पर विनिमय भी किया जा सकेगा।

यह योजना पूर्व अधिसूचित सामान्य मानदंडों के अनुरूप होगी और अनुदान मॉडल के आधार पर आगे बढ़ेगी। इसमें प्रशिक्षण और मूल्यांकन लागत की सीधे ही प्रशिक्षण प्रदाता और मूल्यांकन निकायों को सामान्य मानदंडों के अनुरूप प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रशिक्षुओं को वित्तीय सहायता यात्रा भत्ता, आवास और भोजन की लागत के रूप में दी जाएगी। लाभार्थियों को नियोजन सहायता सीधे ही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाएगी। बेहतर पारदर्शिता और लक्ष्य निर्धारण के लिए प्रशिक्षण भागीदारों को प्रशिक्षण की लागत के संवितरण को आधार कार्ड और बॉयोमीट्रिक्स से जोड़ा जाएगा। कौशल प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल योग्यता

विभिन्न राज्यों की विशिष्ट कौशल आवश्यकताओं के समाधान की जरूरत के संबंध में कौशल विकास पर मुख्यमंत्रियों के उप–समूह की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को पीएमकेवीवाई 2016–2020 के अधीन परियोजना आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत वित्तीय और वस्तुगत दोनों तरह के कुल प्रशिक्षण का 25 प्रतिशत लक्ष्य का आवंटन किया जाएगा। पीएमकेवीवाई के अगले चरण के कुल प्रशिक्षण लक्ष्यों का 25 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्यों को सीधे ही वित्तीय राशि/बजट आवंटित किया जाएगा। (प्रशिक्षुओं के जुटाव, निगरानी और प्रशिक्षण के बाद नियोजन का कार्य रोजगार मेलों और कौशल शिविरों के माध्यम से किया जाएगा। जैसाकि सामान्य मानदंडों में निर्देश दिया गया है नियोजन को प्रोत्साहन/हतोत्साहन से जोड़ते हुए प्रशिक्षुओं के नियोजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परंपरागत नौकरियों के लिए अनौपचारिक प्रशिक्षण हेतु एक परियोजना आधारित दृष्टिकोण का भी प्रस्ताव किया गया है। पीएमकेवीवाई में घरेलू कौशल जरूरतों को पूरा करने के अलावा खाड़ी के देशों, यूरोप और अन्य विदेशी स्थलों में रोजगार के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के तहत अच्छी नौकारियों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी।

सशक्त होती ग्रामीण युवा महिलाएं

–प्रमोद जोशी

जब हम ग्रामीण युवा स्त्रियों की बात करते हैं तब हमें ध्यान रखना होगा कि उनके सशक्तीकरण की राह भी आगे पढ़ने, आगे बढ़ने और राष्ट्रीय विकास में योगदान की दिशा में शहरी लड़कियों से भी ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए घर से निकलना ही मुश्किल है, भले ही उसके घर वाले उसे पढ़ाना चाहें। स्त्रियों को लेकर बुनियादी अवधारणाओं में बदलाव लाए बगैर काम चलेगा नहीं, पर यह बदलाव सरकार के किए से नहीं आएगा। अलबत्ता सरकार की इसमें भूमिका अवश्य है। अब केवल स्त्रियों के कल्याण की बात करने का वक्त नहीं बचा। अब उनकी भागीदारी और अधिकारों की बात होनी चाहिए।

परम्परा से भारतीय गांव सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक उत्पादन का केन्द्र थे। इक्कीसवीं सदी में वह रूपांतरण की प्रक्रिया से दो–चार हो रहे हैं। शहरीकरण की यह प्रक्रिया अचानक पूरी नहीं हो जाएगी। उसका भी एक लम्बा दौर चलेगा। यह संधिकाल लम्बा चलेगा और इसमें कई तरह की पेचीदगियां सामने आएंगी। इस दौर में पुरानी गतिविधियों को नया रूप देने और तकनीकी बदलाव के अलावा सामाजिक वर्गों की भूमिका भी बदलेगी। सामाजिक वर्ग के रूप में इस कार्य में स्त्री की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। खासतौर से किशोरियां और युवा स्त्रियां भारत के आधुनिकीकरण और सामाजिक रूपांतरण में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं बशर्ते हम उसके लिए तैयार हो।

हाल में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने राष्ट्रीय महिला नीति का प्रारूप जारी किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक–आर्थिक रुप से सशक्त बनाना है। स्त्रियों को लेकर बुनियादी अवधारणाओं में बदलाव लाए बगैर काम चलेगा नहीं, पर यह बदलाव सरकार के किए से नहीं आएगा। अलबत्ता सरकार की इसमें भूमिका अवश्य है। अब केवल स्त्रियों के कल्याण की बात करने का वक्त नहीं बचा। अब उनकी भागीदारी और अधिकारों की बात होनी चाहिए। भारत सरकार ने सन 2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में घोषित किया था। उसी साल 'राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति' लागू हुई थी। अब इस नीति को नया मोड़ देने का समय आया है। इसमें युवा वर्ग की महिलाओं की भूमिका को खासतौर से रेखांकित करने की जरूरत है। पिछले पन्द्रह साल में दुनिया बहुत बदली है। बीसवीं सदी के अंतिम वर्षों में भारत के तकनीकी–आर्थिक रूपांतरण के समानांतर जो सबसे बड़ी परिघटना गुजरी है वह है लड़कियों की जीवन में बढ़ती भागीदारी।

भागीदारी के साथ–साथ लड़कियों के जीवन के जोखिम भी बढ़े हैं। खासतौर से दिल्ली में निर्भया कांड के बाद से स्त्रियों की सुरक्षा का सवाल उभर कर आया है। अपने घरों से निकल कर काम करने या पढ़ने के लिए बाहर जाने वाली स्त्रियों की सुरक्षा का सवाल मुंह बाएं खड़ा है। जब हम ग्रामीण युवा स्त्रियों की बात करते हैं तब हमें ध्यान रखना होगा कि उनके सशक्तीकरण की राह भी आगे पढ़ने, आगे बढ़ने और राष्ट्रीय विकास में योगदान की दिशा में शहरी लड़कियों से भी ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए घर से निकलना ही मुश्किल है, भले ही उसके घर वाले उसे पढ़ाना चाहें।

बावजूद कठिनाइयों के भारतीय लड़कियों के हौंसलों में कमी नहीं है। वे भी घर से बाहर

निकल कर रास्ते खोजने निकल पड़ी हैं। सन् 200 के एक नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक देश में 15–32 आयु वर्ग के लगभग 74 फीसदी युवा पलायन करते हैं। पलायन के लिए बताए गए कई कारणों में से प्रमुख रोजगार, शिक्षा और शादी हैं। शुरुआती वर्षों में यह पलायन ज्यादातर लड़कों का था, पर अब लड़कियां भी शहरों का रूख कर रहीं हैं। और वे भी शादी के बंधन में जल्द नहीं बंधना चाहती हैं। बहरहाल पन्द्रह साल के बाद सरकार नई महिला नीति लेकर आई है, जिस पर बदली हुई स्थितियों में विचार किया जाना चाहिए। पिछले 15 वर्षों में काफी बातों में बदलाव आया है। खासतौर से महिलाओं की जागरुकता और आकांक्षाएं बढ़ी हैं। उनकी सामाजिक–शैक्षिक स्थिति बदली है और यकीनन अगले 15 साल में इस दिशा में और बड़े मोड़ आएंगे। इसलिए हमें अगले पन्द्रह साल को ध्यान में रखकर ही विचार करना चाहिए।

पुरुषों से ज्यादा बड़ी भूमिका

सामाजिक जीवन में युवा महिलाओं की भूमिका पुरुषों से ज्यादा बड़ी है। देश का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास स्त्रियों के विकास पर निर्भर करता है। जब एक महिला सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो न केवल उसका परिवार, गांव, बल्कि देश भी मजबूती पाता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 83.3 करोड़ आबादी गांवों में रहती है। इनमें तकरीबन 40.51 करोड़ महिलाएं हैं। इनमें एक तिहाई युवा महिलाएं हैं। अवसरों की कमी, कौशल न होने और अक्सर पैसे की कमी से इनकी उत्पादन क्षमता का पूरा लाभ देश को नहीं मिल पाता है। स्त्रियों के सशक्तीकरण के मोटे तौर पर संकेतक उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक–पारिवारिक स्थिति और रोजगार से जुड़े हैं। भारत में इस वक्त किशोरों और युवाओं की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है। सामान्यतः हम 13 से 19 वर्ष के व्यक्ति को किशोर और 16 से 24 वर्ष को युवा में शामिल करते हैं। यह परिभाषा कुछ आगे–पीछे हो सकती है।

भारत में इस समय उपरोक्त आयु वर्ग में 21 करोड़ से ज्यादा किशोर और लगभग इतनी ही युवा आबादी है। इस आबादी में आधी के आसपास स्त्रियां हैं। और इन स्त्रियों में 60 फीसदी के आसपास आबादी ग्रामीण है, जिसमें तेजी से बदलाव आ रहा है। युवावस्था से ज्यादा महत्वपूर्ण किशोरावस्था होती है, जो युवावस्था की बुनियाद है। उम्र का यह संधिकाल होता है, जब सब कुछ बदलता है। बच्चा एक सामान्य नागरिक बनने की दिशा में होता है, उसका शारीरिक बदलाव इसी दौरान होता (खासतौर से लड़कियों का) है। उसका व्यावसायिक जीवन इसी दौर में तय होता है।

नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी उसे इसी दौरान होता है। स्त्रियों के सशक्तीकरण के लिहाज से यह उम्र ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए ज्ञान से लैस लड़कियां अपने परिवार के दृष्टिकोण को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकती हैं। इसलिए ग्रामीण युवा बालिकाओं का सशक्तीकरण एक प्रकार से सामाजिक बदलाव का सबसे प्रभावशाली औजार साबित हो सकता है। पर लिंगानुपात बताता है कि हमारा समाज लड़कियों की उपयोगिता से बेखबर है।

रोजगार और उद्यमिता

पिछले दिनों तमिलनाडु के कोयम्बतूर से खबर मिली थी कि पलायप्पन पलायम गांव में 'ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क' की स्थापना की गई है। यह पार्क भारत सरकार के विज्ञान और तकनीक विभाग ने प्रायोजित किया है। इसके लिए गांव ने डेढ़ एकड़ जमीन दान में दी है। इस परियोजना में बेकिंग, फूड प्रिजर्वेशन, फलों के जैम, अचार बनाने के अलावा सस्ते सैनिटरी नैपकिंस बनाने, प्राकृतिक उर्वरक और केले के पत्तों से उपयोगी तकनीक विकसित की जा रही है।

इस परियोजना में छोटी ट्रेनिंग की व्यवस्था है। शुरुआती वर्ष में यहां से 200 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। परियोजना में एक इंजीनियरी कॉलेज को जोड़ा गया है। शुरुआती अनुभव यह है कि ग्रामीण युवा लड़कियां नई तकनीक को अपनाने और सीखने में ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधनों का विकास करने के लिए ऐसी परियोजनाओं की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंसेवी समूह इस प्रकार की परियोजनाएं लाकर इसे गति दे सकते हैं।

छोटे–बड़े घरेलू उद्योगों से जोड़ा जा सके तो यही महिलाएं अपना एक अलग अस्तित्व बनाने में समर्थ होंगी। इसी प्रकार राजस्थान से 'सखी' स्वयंसहायता समूहों की खबरे हैं, जो कृषि उत्थान,नकदी फसल, मल्टी क्रॉपिंग, बीज व उर्वरक के काम में स्त्रियों के प्रशिक्षण का काम करते हैं। पशुपालन, मुर्गीपालन, सिलाई,कढ़ाई, बुनाई, मीनाकारी, एम्ब्रॉयडरी, गहने बनाना, घर की साज–सज्जा का सामान तथा कपड़े बनाना वगैरह कई तरह के नए व्यवसाय सामने आए हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता की परियोजनाएं लेकर भी स्त्रियां सामने आईं हैं। नई महिला नीति के दस्तावेज में भी महिलाओं में उद्यमशीलता के संवर्धन के लिए ईको–प्रणाली बनाने, महिला ई–हाट, समर्पित विषय–वस्तु आधारित प्रदर्शनियों के जरिए उद्यमशीलता को बढ़ाने और सस्ते ऋण उपलब्ध कराने की बात कही गई है। गांवों से शहर जाकर इंजीनियरी या मेनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद लड़कियों के सामने वापस आकर अपना कारोबार कायम करने के मौके भी हैं।

समाज में उनकी स्थिति

लैंगिक अनुपात से समाज में स्त्रियों की दशा का पता लगता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल लैंगिक अनुपात 1000 पुरुषों में 943 स्त्रियों का है। ग्रामीण अनुपात 949 का और शहरी अनुपात 923 का है। देश के अलग–अलग इलाकों में यह अलग–अलग है, पर सबसे खराब स्थिति हरियाणा की है जहां नवीनतम आंकड़ों के अनुसार छह साल से कम की उम्र के बच्चों का लैंगिक अनुपात 834 का है। पंजाब में 846, जम्मू–कश्मीर में 862, राजस्थान में 888 और उत्तर प्रदेश में 902 है।

लैंगिक अनुपात बताता है कि समाज स्त्रियों को किस रूप में देखता है। भारत में 0–6 साल वर्ग में 1000 लड़कों के बीच लिंग अनुपात में लड़कियों की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति 1961 से लगातार देखी जा रही है। वर्ष 1991 के 945 संख्या के 2001 में 927 पहुंचने और 2011 में इस संख्या के 918 पहुंचने पर इसे खतरे की घंटी मानते हुए सरकार ने इसे सुधारने की कोशिशें शुरू की हैं। लिंग अनुपात में गिरावट सीधे तौर पर जन्म से पूर्व लिंग की पहचान करने वाली तकनीक के दुरुपयोग की ओर इशारा करती है। बहरहाल हाल में सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरुआत की और जिसे खराब लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया। सामान्यतः जिन सूचकांकों पर ध्यान देना चाहिए उनमें से कुछ इस प्रकार हैं– विवाह के समय की औसत आयु, बच्चे को जन्म देते समय माताओं की मृत्यु, बच्चों के जन्म के बीच की अवधि, परिवार के सदस्यों की संख्या, स्त्रियों के खिलाफ अपराध, साक्षरता दर, श्रमिकों में स्त्रियों की संख्या और बाल लैंगिक अनुपात। स्त्रियों के स्वास्थ्य का जिक्र किए बगैर उनके सशक्तीकरण की बात करना उचित नहीं होगा।

फिर भी उपेक्षा

देश की लगभग 12 करोड़ युवा स्त्रियां यदि सही समय पर उत्पादक कार्यों में लग सकें तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव लाया जा सकता है। इन ग्रामीण महिलाओं को शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की जरूरत है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 7 मार्च को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हारवर्ड विश्वविद्यालय से जुड़ी अर्थशास्त्री रोहिणी पाण्डे ने एक तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या में गिरावट आ रही है। उन्होंने दक्षिण एशिया के आंकड़े देते हुए बताया कि यहां के पांच देशों में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद 27 फीसदी महिलाएं कामकाजी हैं। पाकिस्तान में इससे भी कम 25 फीसदी। उनका कहना था कि भारतीय महिलाओं की संख्या में पाकिस्तान की तुलना में भी गिरावट आ रही है। कामकाजी से उनका आशय औपचारिक रोजगार से है, घरेलू कामकाज से नहीं।

सामान्यतः जैसे–जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, स्त्रियां मेहनत के छोटे कामकाज जैसे खेती और ऐसे ही दूसरे कामों से हटती जाती हैं। पर जैसे–जैसे शिक्षा का प्रसार होता है और अर्थव्यवस्थाओं में गति आती है, कामकाजी तबके में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ती जाती है। पर भारत में पहिया उल्टा घूमने लगा है। यानी सन 2005 के बाद से ढाई करोड़ के आसपास महिलाएं कामकाजी तबके से अलग हो गईं।

भारतीय अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। घर से बाहर निकलकर काम पर जाना महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जो महिलाएं काम करती हैं उनका विवाह जल्दबाजी में नहीं होता, बच्चे फौरन नहीं होते और उनके बच्चे अपेक्षाकृत बेहतर शिक्षा पाते हैं और सामाजिक–सांस्कृतिक विकास के लिहाज से तमाम सकारात्मक गतिविधियां होती हैं। इस प्रकार के अध्ययन सामने आए हैं, जो बताते हैं कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में काम पाने के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि स्त्रियों के साथ आज भी कामकाज में पूरी तरह समानता का व्यवहार नहीं हो पाता है, उन्हें पुरुषों से कम वेतन मिलता है और उनकी पारिवारिक भूमिका ज्यादा बड़ी होने के बावजूद कार्यस्थल पर विपरीत स्थितियों में काम करना पड़ता है। यदि उन्हें उपयुक्त रोजगार मिले तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि दुनिया में आज भी स्त्रियों की 48 फीसदी उत्पादक क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। महिलाओं का रोजगार में शामिल होना उनके सशक्तीकरण के लिए जरूरी है, साथ ही अर्थव्यवस्था के विकास में भी उसकी भूमिका है। सवाल है कि देश में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का प्रसार बढ़ने के बावजूद महिलाओं की भूमिका बढ़ क्यों नहीं रही है? और वह कैसे बढ़ सकती है? हालांकि जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा, पर पांच मुख्य बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है, जिनमें कारण और निवारण दोनों छिपे हैं।

काम करने की ललक

भारतीय स्त्रियों में काम करने की ललक है और वह बढ़ ही रही है। राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे (राउंड 68) के अनुसार 31 प्रतिशत स्त्रियां जिनका ज्यादातर समय घरेलू कामकाज में व्यतीत होता है, अब बाहर निकल कर काम करना चाहती हैं। पढ़ी–लिखी ग्रामीण स्त्रियों का यह प्रतिशत और भी अधिक यानी 50 फीसदी से ज्यादा है। काम करने की इच्छुक हर प्रकार की स्त्रियों को जोड़ा जाए तो देश में 78 फीसदी स्त्रियों की कामकाज में हिस्सेदारी हो सकती है। इसका दूसरा पहलू यह है कि स्त्रियां ज्यादातर घर के आसपास काम चाहती हैं। बहुत–सी स्त्रियां इसलिए काम नहीं करती, क्योंकि घर या गांव के पास काम नहीं मिलता। इसके साथ अवसरों की बात भी है। सन 1987 में 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' शुरू

महिलाओं के लिए 'उड़ान' परियोजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विज्ञान और इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं के कम पंजीकरण की समस्या को दूर करने के लिए 'उड़ान' नामक परियोजना शुरू की है। उड़ान का उद्देश्य सीनियर सैकेंडरी स्तर पर छात्राओं के लिए विज्ञान और गणित को प्रोत्साहन देना है। इसके तहत प्रत्येक छात्रा को निशुल्क और ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 1000 वंचित लड़कियों को चुना जाएगा और उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक अन्य विशेष कार्यक्रम महिला विश्वविद्यालयों में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान एकीकरण (क्यूरी) है, जिसके तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संरचना को मजबूत बनाने के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। इसके अलावा क्यूरी के तहत महिला केन्द्रित विश्वविद्यालयों में अनुसंधान सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा, ताकि महिलाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा को लोकप्रिय बनाया जा सके।

होने के बाद शिक्षकों का कोटा तय होने से महिलाओं के लिए अध्यापन का क्षेत्र खेती के बाद दूसरे नम्बर पर आ गया है। गांवों की पढ़ी–लिखी लड़कियों के लिए एक दरवाजा खुला। इधर कौशल भारत, मेक इन इंडिया, महिलाओं के लिए शिक्षा और कुछ नौकरियों में कोटा या प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति ने युवा महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया है। सन 2010 से 2012 के बीच विनिर्माण के क्षेत्र में स्त्री श्रमिकों का प्रतिशत 15 से बढ़कर 25 हुआ है। महिलाओं के रोजगार में सबसे बड़ी बाधा है प्रवास। यानी दूसरे गांव, शहर या देश में जाकर काम करना आसान नहीं है। प्रवास मुश्किल है और हमारी सामाजिक–सांस्कृतिक परिस्थितियां पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों के प्रवास के प्रतिकूल हैं।

राजनीतिक सशक्तीकरण

सामान्यतः राजनीति में स्त्रियों की भूमिका बहुत सीमित है। यह दुनियाभर की प्रवृत्ति है, पर भारतीय राजनीति में स्त्रियों की भूमिका और भी कम है। सामान्यतः संसद और विधानसभाओं में महिला सदस्यों की संख्या 10 फीसदी से ऊपर नहीं जाती। पर पंचायती राज ने एक रास्ता खोला है। 24 अप्रैल, 1993 को भारत में संविधान के 73वें संशोधन के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा हासिल कराया गया।

यह फैसला ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक कदम था, पर उतना ही महत्वपूर्ण महिलाओं की भागीदारी के विचार से था। इसमें महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण की व्यवस्था थी। यह कदम क्रांतिकारी साबित हुआ। हालांकि इस कदम की शुरू में आलोचना की गई। आज भी तमाम महिला पदाधिकारियों के नाम से उनके पति, पिता या पुत्र काम कर रहे हैं, पर ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है, जिन्होंने सफलता और कुशलता के साथ अपने काम को अंजाम दिया है। पंचायती राज में अब दूसरी पीढ़ी की युवा लड़कियां सामने आ रही हैं।

पंचायती राज के कारण गांवों में महिलाओं की भूमिका में युगांतरकारी बदलाव आया है। अब इस आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जा रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में 50 फीसदी आरक्षण शुरू हो चुका है, पर हाल में केन्द्र सरकार के पंचायती राज मंत्री ने कहा कि संविधान में संशोधन के बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने नई महिला नीति का जो दस्तावेज जारी किया है उसका एक लक्ष्य महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण करना भी है ताकि उनके लिए ऐसा सामाजिक–आर्थिक वातावरण तैयार हो, जिसमें वे अपने मूल अधिकारों को प्राप्त कर सकें। इस अधिकार को हासिल करने में युवा महिलाओं की भूमिका ज्यादा बड़ी है। हाल में कुछ राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता को भी अनिवार्य बनाया है। हालांकि इसका विरोध भी हुआ है, पर इससे युवा स्त्रियों के लिए अवसर बढ़ेंगे। नई महिला नीति का दस्तावेज भी राजनीति, प्रशासन, लोकसेवा और कॉरपोरेट क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कहता है।

महिलाओं के प्रति बदलना जरूरी नजरिया

युवा स्त्रियों के सशक्तीकरण की बात तब तक अधूरी है जब तक लड़कियों को लेकर सामाजिक दृष्टिकोण की बात नहीं की जाए। केवल लड़कियों की भूमिका बदलने का सवाल नहीं है, बल्कि उनके प्रति सामाजिक नजरिया भी बदलना चाहिए। उनकी सुरक्षा इसी नजरिए से तय होगी। असुरक्षित और भयभीत बालिका से हम बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। सुरक्षा का वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पूरे समाज की है। यह काम सामाजिक शिक्षण से पूरा हो सकता है। हम परम्परा से 'यत्र नार्यस्तु पूज्यते' जैसी बात कहते जरूर हैं, पर व्यावहारिक रूप से इसे लागू नहीं कर पाते हैं। जो लिंगानुपात देश के कई इलाकों में है, वह इस सामाजिक दृष्टिकोण पर मोहर लगाता है। कहना मुश्किल है कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा हमारे दिलो–दिमाग में बैठा है या नहीं। पर हम व्यवहार रूप में इसे लागू कर सकें तो कहानी बदलते देर नहीं लगेगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं; दैनिक हिंदुस्तान से स्थानीय संपादक के पद से सेवानिवृत्त हुए। फिलहाल मीडिया संस्थानों में अध्यापन कार्य में संलग्न हैं।)
ई–मेलः Pjoshi23@gmail.com

ऑपरेशन मलयुद्ध-खुले में शौच मुक्त हरदा का सपना हुआ साकार

हरदा मध्य भारत में मध्य प्रदेश का एक जिला है। इस जिले में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कई नई विधियों को अपनाया गया है।

'गंदगी के विरुद्ध लड़ाई' अर्थात ऑपरेशन मलयुद्ध की शुरुआत सरकार की बजाय लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी डालकर गांवों में खुले में शौचमुक्त वातावरण बनाने के लिए जागरूक करने के एक प्रयोग के रूप में की गई थी। धीरे–धीरे यह एक अधिक संस्थागत अभियान बनता गया जिसमें प्रत्येक संभावित हिस्सेदार को शामिल कर और उन्हें व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया में बदलाव का एक अभिकरण बनाया गया। कुछ नए तरीकों के साथ शौचालय निर्माण की नीरस योजना एक मजेदार और विकासशील योजना बन गई। ये नई खोजें निम्न थी:

- अभियान की एक नाम, प्रतीक, कथानक गीत और स्थानीय ब्राण्ड एम्बेसडरों के साथ एक ब्राण्डिंग करना।
- अभिप्रेरकों का चयन सामूहिक चर्चा, साक्षात्कार और शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ नियमितता परीक्षण की एक विशेष त्रिस्तरीय निष्कासन प्रक्रिया द्वारा किया गया।ये चयन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि अनुशासन, गंभीरता और सम्प्रेषण कौशलों के आधार पर किया गया।
- अभिप्रेरकों को एक परिणाम–उन्मुख प्रोत्साहन प्रणाली (15000 रुपये प्रत्येक ग्राम पंचायत को और 250 रुपये दैनिक) में शामिल किया गया जिसके परिणामस्वरूप ओडीएफ की स्थिति को प्राप्त किया गया, न कि शौचालय की संख्या को, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय जोखिम पूरी तरह से दूर हो गया। छह माह के बाद टॉपअप (5000 रुपये) और एक साल बाद टॉप अप (5000रुपये) का प्रावधान करके चिरस्थायीत्व का ध्यान रखा गया और ओडीएफ का दर्जा प्राप्त किया गया। दैनिक भत्ता 90 दिन तक सीमित था (रिसर्च के अनुसार अधिकतम निगरानी अवधि)।
- जिले का प्रत्येक नागरिक व्यवहार परिवर्तन अभियान का एक हिस्सेदार होता है। इसलिए 4000 लोगों को इन–हाउस प्रशिक्षण मॉड्यूल में शामिल किया गया। प्रशिक्षित किए गए सभी लोगों के पास उप–समूहों को प्रशिक्षित करने की विभिन्न क्षमताएं थी जैसे धार्मिक नेता, जाति और सामुदायिक संघों के नेता, स्वास्थ्य, राजस्व, सहकारी, डेयरी और आईसीडीसी कार्यकर्ता, न्यायपालिका, पुलिस और वन अधिकारी।
- बार एसोसिएशन ने उन गांवों के ग्राहकों से कम फीस लेने की घोषणा की जो खुले में शौचमुक्त थे। चिकित्सकों ने शौचालय की स्थिति और खुले में शौच की स्थिति को अपने रोगियों के परामर्श में लिखना शुरू कर दिया। निजी स्कूलों के

रक्षा बंधन के अवसर पर भाईयों द्वारा अपनी बहनों को शौचालय उपहार में दिए जाने का अभियान

मालिकों ने अपने विद्यार्थियों के माता–पिता को अपने घर में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए सत्रों का आयोजन करना शुरू किया ताकि उनके बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ सके। जो सहकारी समितियां सस्ते दाम की दुकानों के माध्यम से खाद्यय अनाज वितरित करती हैं उन्होंने अपने ग्राहकों को पहले शौचालय का निर्माण करने और उसके बाद महीने का राशन लेने आने की सलाह दी। धार्मिक नेताओं ने अपने उपदेशों में ओडीएफ के महत्व को बताना शुरू किया।

- सभी सरकारी और अर्द्ध–सरकारी कर्मचारियों से एक शपथपत्र लिया गया कि वे शौचालय का प्रयोग करते हैं और उन्हें विभिन्न धाराओं की जानकारी दी गई जिनके अंतर्गत खुले में शौच करना कानूनी जुर्म होता है।
- योग दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, नशा मुक्ति दिवस, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस–इन सभी को स्वच्छता का रंग दिया गया ताकि ओडीएफ हरदा और मलयुद्ध का संदेश दिया जा सके।
- शौचालय निर्माण में सभी प्रकार के तकनीकी विकल्पों जैसे पूर्व निर्मित आरसीसी, यथा–स्थापन कास्ट ब्लॉक, पारम्परिक ईंटे, फ्लाई ऐश, हवा द्वारा पकाए गए आधुनिक ब्लॉक आदि को प्रोत्साहित किया गया और किसी एक प्रतिमान पर अधिक बल नहीं दिया गया। शौचालय के सभी संभावित प्रतिमानों को जिला पंचायत कार्यालय में स्थित जल एवं स्वच्छता पार्क में प्रदर्शित किया गया। गांवों में सीमित समय में आवश्यक संख्या में शौचालय बनाने के लिए 'कलस्टर अटैक' और 'जीरो डेज' आयोजित किए गए ताकि भारी संख्या में शौचालयों का निर्माण किया जा सके।
- डायस्पोरा नामक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट और ग्राम पंचायतों से एमएस एक्सेल ऑफिस फोर्मेट में भुगतान शीट प्राप्त करने और निर्मित हो चुके शौचालयों के लिए भुगतान जारी करने के लिए सेंडस्पेस नामक एक फाइल शेयरिंग वेबसाइट का प्रयोग किया गया।
- ग्रामीण लोगों द्वारा 'स्वच्छता उत्सव' मनाना जिसके अंतर्गत वे अपने गांव के उन स्वच्छ स्थानों पर एक 'गौरवशाली सैर' करते हैं जहां पहले वे शौच जाते थे, निगरानी रखने वाली टीमों को पुरस्कार देते हैं, नए शौचालयों का निर्माण करने वालों को सम्मान देते हैं। 'लोटा जलाओ' में गांव में खुले में शौच के प्रतीक को जलाते हैं और अंत में हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं और गांव के स्वच्छता नियमों का अनावरण करते हैं जिनमें कानूनी प्रावधान और भविष्य में इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धाराएं शामिल होती हैं।
- पंचायत द्वारा निर्मित शौचालयों की बजाय स्वयं द्वारा शौचालयों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षाबंधन के त्यौहार पर भाई नम्बर वन अभियान की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत 500 से अधिक ऐसे भाईयों को पुरस्कार दिया गया जिन्होंने राखी बंधवाने से पहले अपनी बहनों को एक शौचालय भेंट करके उनके सम्मान को सुरक्षित किया और नवनिर्मित शौचालय के सामने खड़े होकर 'सेल्फी विद सिस्टर' को शेयर करके गौरव का अनुभव कराया; भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने इस शुरुआत को देश को अपने संबोधन–'मन की बात' में शामिल किया।
- चिरस्थायीत्व को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन के आग्रह पर सहयोग प्राइवेट डेयरी 'पवित्र गाय प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत ओडीएफ गांवों से 25 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त के भाव से दूध खरीद रहा है क्योंकि ओडीएफ गांवों में मवेशी खुले में पड़े लोगों के मल के सम्पर्क में नहीं आते हैं।
- ओडीएफ गांवों के ग्रामीणों और वॉल्युंटियर्स को प्रोत्साहित करने और उन्हें पुरस्कार प्रदान करने के लिए गांव, खण्ड और जिला–स्तर पर ओडीएफ ओलम्पिक का आयोजन किया गया। 20 से भी अधिक आयोजनों, कबड्डी, खोखो, तीन टांगों की रेस, सैक रेस, धीमी साइकिल रेस, ऊठक–बैठक, पुश अप आदि में 10से 60 वर्ष की आयु के 1100 हिस्सेदारों ने भाग लिया। जो गांव ओडीएफ नहीं थे वे इस आनंद और मस्ती से वंचित रहे, और राष्ट्रीय और राज्य–स्तर के खिलाड़ियों वाले गांव भी इस ओडीएफ ओलम्पिक में भाग लेने से वंचित रहे।
- स्वच्छ रसोई–सुंदर रसोई नामक प्रतिस्पर्धा उन स्वयंसहायता समूहों के बीच आयोजित की गई जो ओडीएफ गांवों के स्कूलों में मिड–डे मील को तैयार करते हैं।
- 'रद्दी से समृद्धि कार्यक्रम' एक प्रयोग था जिसके अंतर्गत प्लास्टिक बैग, लिफाफों आदि स्वच्छ नॉन–बायोडिग्रेडेबल कचरे के टुकड़ों को भरकर मुलायम खिलौने बनाना शामिल था। इस में 35 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कूड़े से कलाकृति प्रदर्शनी एवं बिक्री, स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों और कारीगरों के लिए कचरे से निर्मित विभिन्न कलाकृतियों और कलाओं को दिखाने का एक अवसर है जो जीवनयापन का स्रोत बन सकती हैं।

स्वच्छता और पेय जल मंत्रालय के सौजन्य से

इतिहास से साक्षात्कार

अपनी प्रति सुरक्षित कराएं

युगपुरुषों के साथ...

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
publicationsdivision.nic.in

पुस्तकें मंगाने और व्यापारिक पूछताछ के लिए businesswng@gmail.com या 011-24367260, 24365609 पर संपर्क करें

याद करें कुर्बानी पुस्तकों के साथ

अपनी प्रति सुरक्षित कराएं

आधुनिक भारत के निर्माता

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
publicationsdivision.nic.in

पुस्तकें मंगाने और व्यापारिक पूछताछ के लिए businesswng@gmail.com या 011-24367260, 24365609 पर संपर्क करें